राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का १४वां दिवस | संख्या १०

मंगलवार, दिनांक २३ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, वित्त, अकाल सहायता, विद्युत्, सिंचाई, चिकित्सा, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, जन-सम्पर्क, श्रम, वन, मुद्रण एवं समाज कल्याण-विभाग]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २९७ के अधीन नियम

३२५. **श्री केसरीसिंह** (पाली) : Will the Minister for Municipalities be pleased to state:-

(1) Whether the Government has framed any rules under sub-section 2(g) of Section 297 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 ?

If so, a copy of the rules may please be laid on the Table of the House.

(b) If not, does the Government propose to frame the same now ?

(विराम)

श्री केसरीसिंह : I had asked this question in respect of sub-section 2(j). Unfortunately it has been printed as 2(g). Unless the Hon. Minister is prepared to answer this question in respect of 2(j), there is no point in asking it.

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): We have been informed about 2(g).

श्री अध्यक्ष : Would you mind coming prepared with 2(j) tomorrow or day after tomorrow ?

श्री बरकतुल्लाखां : As you order, Sir.

धोलपुर क्षेत्र में कत्ल, डकैती, अपहरण की घटनाएं

३२६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) इस वर्ष धोलपुर क्षेत्र में कितने कत्ल, कितनी डकैती व कितनी [illegible] अपहरण की घटनाएं हुई हैं [illegible]

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इन घटनाओं में कितने आदमी मारे गये, कितनों का अपहरण हुआ व कितना माल लूट कर ले जाया गया ?

(ग) इसमें कितना माल बरामद हुआ, कितने अपहरण किये गये व्यक्ति पुलिस द्वारा वापिस लाये गये ?

(घ) उपरोक्त घटनाओं में कितने मामलों का अदालत में चालान हुआ और उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (क) इस वर्ष धोलपुर क्षेत्र में १२ कत्ल, ६ डकैती, तथा १४ अपहरण की घटनाएं घटी हैं ।

(ख) इन घटनाओं में १२ मारे गये तथा ३ पुरुष व ११ औरतों का अपहरण हुआ तथा कुल माल रुपये १,१३,९१२.५० नये पैसे का लूटा गया ।

(ग) इसमें माल बरामद कुछ भी नहीं हुआ तथा एक मनुष्य व ३ औरतें पुलिस द्वारा वापिस लाई गईं । पांच औरतें व दो मनुष्य अपने खुद के प्रयास से एवं पब्लिक द्वारा लाये गये ।

(घ) १२ कत्ल के केसेज़ में से ७ का चालान अदालत में पेश किया गया । जिनमें अदालती कार्यवाही जारी है । ६ डकैती के केसेज़ में चालान किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया । १४ अपहरण के केसेज़ में ५ में [illegible] पेश किया गया । अदालती कार्यवाही

श्री भैरोंसिंह : जो व्यक्ति अपने निजी प्रयास से या पब्लिक के प्रयत्नों से आए हैं उनके केसेज़ में पुलिस ने चालान किया है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जब तक डाकुओं का पता न लगे और डाकू कब्जे में न आते चालान नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डाकुओं को नामजद कर दिया गया है ।

श्री भीमसिंह : जिस हद तक सूचना दी है उस हद तक ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : डाकू कौन है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड गेंग है । उन पर कोई मुकदमा चलाना वकत नहीं रखता । जब उनका यू. पी. या मध्यप्रदेश की तरफ मुकाबला होगा तब होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि जिनका अपहरण किया गया है उनके अपहरण करने में कौन कौन डाकू हैं ।

श्री भीमसिंह : अभी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी फरमाया कि कुछ आदमियों का गिरोह है । जब मुकाबला होगा तब जो स्थिति होगी वह होगी । इसलिए यह तो मालूम हो जाना चाहिए कि कौन कौन से डाकू थे ?

श्री मथुरादास माथुर : धोलपुर के बारे में दो-तीन दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि दो-तीन गेंग्ज़ हैं, उनमें से ये भी हैं ।

Page No.3

श्री भैरोंसिह : आपने अभी बताया कि १२ आदमी मारे गये यानी उनका कत्ल हुआ। इतने अपहरण हुए, १ लाख से ऊपर का माल चला गया और उसमें से एक पैसा भी वापिस नहीं आया; इस सारी अव्यवस्था को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस सम्बन्ध में पहले से कार्यवाही चालू है और धोलपुर के इस प्रकार के क्षेत्र में आर. ए. सी. को कायम कर रखा है। हर तरह से डाकुओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी वे डकैती करते हैं। वहां के क्राइम के फिगर्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां के मुकाबले में हमारे यहां क्राइम के फिगर्स बहुत कम हैं।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि धोलपुर क्षेत्र में हथियारों की कमी है। इसलिए वे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते और अपनी रक्षा नही कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : आप कहते हैं वह जनता की बात है। जो जो एप्लीकेशन्स देते हैं और जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकमन्ड करता है उनको हम हथियार देते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आपको मालूम है कि काफी लोगों ने हथियारों के लिये दरख्वास्तें दी हैं और लोगों को हथियार नहीं मिलते हैं। इसलिए आपने जो मौजूदा प्रोसीजर रखा है उसमें कुछ रद्दोबदल करें और लोगों को हथियारों का लाइसेन्स जो लेना चाहते हैं उनको तुरन्त हथियारों का लाइसेन्स दे दिया जावे और हथियार दे दिये जावें।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति को जिसको हथियार देती है, वेरीफाई कराती है क्योंकि इसका डबल उपयोग हो सकता है; उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के करेक्टर को ठीक बता देता है और डाउटफुल नहीं बताता है तो हम उसको दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पट्टेदारों से जमीन की कीमत

३२७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अलवर, भरतपुर जिले के भूमिहीन पट्टेदारों से जमीन की कीमत ४५०) फी स्टेन्डर्ड एकड़ की दर से मांगी जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उसी किस्म की जमीन की कीमत पुरुषार्थियों से करीब ८०) रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ ली गई है या लेने का फैसला किया गया है ?

(३) क्या राजस्थान सरकार पट्टेदारों से पुरुषार्थियों जितनी कीमत लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उप-मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं, निष्क्रान्त भूमि का मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है ।

श्री हरिराम : अभी आपने शरणार्थियों को जमीन देने के मामले में कहा है, "जी नहीं"; तो आपने कितनी रकम तय की है ।

श्री परसराम मदेरणा : १५०) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ वसूल की जावेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह रकम कब तय हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी महीना डेढ़ महीना हुआ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या रिफ्यूजीज़ से एग्रीमेन्ट हुआ उसमें तय की है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ ।

श्री हरिराम चौहान . जो रकम सरकार उन लोगों से लेना चाहती है चाहे ८०) हो या १००) पर स्टेन्डर्ड बीघा हो, उतनी ही रकम पट्टेदारों से लेने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : इवेक्यू लेन्ड गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की है और हमने उनसे एग्रीमेंट किया था कि यह जमीन जिनके पास है उनको ही रहने दी जावे, उनको डिसपज़ेस नहीं करने का तय किया । यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पट्टेदारों से ४५०) [illegible]र्ड एकड़ लगान का तय किया ।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उनकी आर्थिक हालत खराब है, इसलिये कम कीमत वसूल करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिख कर उनसे कम-बेसी कराएं ?

श्री परसराम मदेरणा : आर्थिक हालत खराब है, इसीलिये तो जमीन उनके पास रखी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को यह मालूम है कि इनमें अधिकतर हरिजन हैं जिनको उनके साथ साथ जमीन दी गई है । जब आप रिफ्यूजीज़ से इतना लेते हैं और पट्टेदारों से ज्यादा लेते हैं तो क्या सरकार इसको दुबारा देखने को तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा : डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न नहीं । Non-claimant के साथ में रियायत बरती गई है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और राजस्थान सरकार के बीच में जो एडहॉक फैसला (arrangement) हुआ था उसमें साढ़े तीन चार करोड़ का टोटल असेसमेंट था, एक करोड़ इसका तय किया था । प्रोपोर्शनेटली उसमें कमी कर दी गई है । पट्टेदारों का जहां तक सवाल है कमी करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री हरिराम चौहान : सम्वत् २००३ से पहले की जिनकी जोत है उनके सम्बन्ध में सरकार ने इसी सदन में घोषणा की है कि उनसे किसी प्रकार की कीमत नहीं ली जायगी ।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी इस प्रश्न से रिलेवेन्सी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

सहायता एवं पुनर्वास उप-मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की इन्फोर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकी है इसलिये……

श्री अध्यक्ष : कलेक्ट करके बाद में भिजवा दें, ताकि प्रोसीडिंग्ज में छाप दें।

(इस प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

राजस्थान नहर के निर्माण में खराब सामान का प्रयोग

३२९. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के निर्माण में निम्न श्रेणी की सीमेंट, अधपकी ईंटें तथा अन्य खराब सामान प्रयोग किये जाने के आरोप पंजाब के एक उप-मंत्री द्वारा लगाये गये हैं और राजस्थान सरकार को भी उसकी सूचना दी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास किस तरह की सूचना आई है और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) टाइम्स ऑफ इन्डिया, दिनांक ५ जुलाई, १९६२ में प्रकाशित समाचार द्वारा सूचना मिली कि पंजाब के सिंचाई व शक्ति (इरिगेशन एण्ड पॉवर) के उप-मंत्री ने अपने आकष्मिक निरीक्षण में मुक्तसर के समीप राजस्थान नहर के निर्माण में अधपकी ईंटें व निम्न श्रेणी की सीमेंट इस्तेमाल होती हुई पकड़ी और पंजाब सरकार ने इस मामले में पूर्ण जांच सम्बन्धी आदेश दिये हैं।

(ख) उक्त सूचना के आधार पर पंजाब सरकार को वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये लिखा गया। पंजाब सरकार ने बतलाया कि उप-मंत्री ने दिनांक १ जुलाई, १९६२ को अपने आकस्मिक निरीक्षण में राजस्थान फीडर (पंजाब भाग) के हिस्से आर०डी० २८१।२८२ के लाइनिंग के कार्य में अधपकी ईंटें प्रयोग में आती हुई पकड़ीं, सम्बन्धित सब डिविजनल ऑफिसर व ओवरसियर को मुअत्तिल कर दिया गया है और जांच की रिपोर्ट विचाराधीन हैं। पंजाब सरकार को जांच रिपोर्ट की प्रति भेजने के लिये लिखा गया है, प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की सूचना मिलने पर क्या राजस्थान सरकार ने अपने इन्जीनियर, ओवरसियर को जांच के लिये वहां भेजा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान गवर्नमेन्ट ने उनकी गवर्नमेंट को और चीफ इन्जीनियर को लिखा था।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार ने इसकी जांच के लिये यहां से ऑफिसर्स को भेजा या नहीं ? नहीं, तो क्यों नहीं भेजा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अपने ऑफिसर्स को जांच के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं थी। वहां के उप-मंत्री साहब ने स्वयं ने अधपकी ईंटें और खराब सीमेंट लगाते

Page No.6

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हुए पकड़ी हैं। फिर जांच की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रधपकी ईंटें मौके पर उप-मंत्री ने पकड़ी हैं ग्रौर वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि जांच की गई है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का काम है कि जब उसके अपने प्रोजेक्ट के बारे में सूचना मिलती है तो ग्रपने ग्राफिसर्स को भेज कर जांच करानी चाहिये कि कितनी दूर तक कच्ची ईंटें लगाई हैं ग्रौर कितनी जगह में रद्दी सीमेंट काम में ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रपने चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रभी प्रयोग में लाई ही जा रही थीं, कोई बिगाड़ नहीं हुग्रा है। जो लोग कुसूरवार हैं उनको सजा दी जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस बात की ग्रोर सदन में पहले कई बार सरकार का ध्यान खींचा था कि वहां मेटीरियल ठीक नहीं लगाया जा रहा है; उस समय कहा कि नहीं ठीक लग रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस समय पहले ही जांच क्यों नहीं करवाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं थी; मेटीरियल का, काम का बराबर ध्यान रखते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में शिकायत की थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई शिकायत ग्रागे पूर्व नहीं हुई।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भीमसेन !

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, नापासर

३३०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, नापासर, जिला बीकानेर में स्टाफ क्वार्टर्स एवं ग्रन्य निर्माण कार्यों के लिये ग्रब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(२) क्या सही है कि उपरोक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना हेतु दी गई १० हजार रुपयों की दान-राशि भी ग्रभी तक खर्च नहीं की गई है ?

(३) सन् १९६१–६२ के बजट में उपरोक्त चिकित्सा केन्द्र की दवाइयां, ग्रौजारों तथा निर्माण-कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि रखी गई थी ? उक्त राशि में से कुल कितनी राशि उस वर्ष में खर्च की गई ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(२) धनराशि के खर्च करने की कार्यवाही विकास ग्रधिकारी द्वारा की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रिंसिपल, मेडिकल एन्ड हैल्थ ग्रॉफिसर, बीकानेर द्वारा विकास ग्रधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर को लिखा जा चुका है एवं उन्हें नक्शा भी भेजा जा चुका है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(३) सन् ६१-६२ के बजट में उपरोक्त चिकित्सा केन्द्र को दवाइयों, औजारों के लिये कुल १३,५००) रु० की धनराशि रखी गई थी;

दवाइयां ३५००) रुपये
औजार १०,०००) रुपये

उक्त राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च की जा चुकी है ।

कुमारी उमा माथुर : जनता द्वारा १० हजार की धनराशि अब जमा कराई गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी डेट अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या १० हजार की राशि सरकार को खर्च करनी है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत समिति से खर्च की जायेगी ।

श्री भीमसेन : स्टाफ के लिये क्वार्टर्स नहीं बने हैं तो क्या गवर्नमेंट महसूस नहीं करती कि स्टाफ को क्वार्टर्स के अभाव में बड़ी असुविधा है और स्टाफ वहां ठहरता नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार की आर्थिक अवस्था अभी ऐसी नहीं है कि इसको अभी पूरा किया जा सके ।

एक माननीय सदस्य : १० हजार से तो वह व्यवस्था जितनी हो सके कीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि नापासर की प्राइमरी हैल्थ सेंटर की कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो फैक्ट्स हैं वे आपको मालूम हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मालूम क्या है ! वहां की प्राइमरी हैल्थ सेंटर की पुरानी बिल्डिंग को नये रूप से बना दिया और आप कहती हैं कि फैक्ट्स हैं, आप जानते हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया कि विचाराधीन है, आर्थिक अवस्था ठीक होते ही इस पर विचार किया जायगा ।

श्री भीमसेन : प्राइमरी हैल्थ सेंटर के लिये सारा पैसा भारत सरकार देती है, राजस्थान सरकार नहीं लगाती; फिर आर्थिक संकट का plea कैसे ला रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह !

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । प्राइमरी हैल्थ सेंटर में सारा पैसा भारत सरकार का लगता है; फिर आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होने का प्ली कैसे लिया जा रहा है ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये ।

(मौन)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उप-मंत्री और मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं, कोई जबाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको समझना चाहिये कि आपका काम जल्दी बन जायगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : जवाब तो दे दिया है, पर माननीय सदस्य की समझ में नहीं आया है।

श्री भीमसेन : राजस्थान सरकार का आर्थिक संकट का प्ली कहां तक ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर तो देना चाहिये।

(मौन)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह !

रेल्वे क्रोसिंग पर फाटक लगाने के सम्बन्ध में

३३१. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या यातायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) दिनांक ११-६-६२ को सांभर में जो बस व ट्रेन में टक्कर हुई वह किसकी गलती से हुई ?

(२) क्या उस क्रोसिंग पर फाटक लगाने के लिये राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) निश्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि किसकी गलती से हुई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(२) हां, इस क्रोसिंग पर फाटक लगाने के लिये राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री अमरसिंह : घायलों और मृतकों की संख्या का मालूम हुआ क्या कि कितनों की मृत्यु हुई व कितनों के चोटें आई ?

श्री भीमसिंह : सुना नहीं, फिर से फरमाइये।

श्री अध्यक्ष : घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

एक माननीय सदस्य : मृतकों की भी।

श्री भीमसिंह : घायलों का प्रश्न ही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : किसी के चोट नहीं आई, कोई मरा नहीं ट्रेन और मोटर के एक्सीडेन्ट से, तो एक्सीडेंट से क्या मतलब हुआ ?

श्री भीमसिंह : पृथक प्रश्न पूछें, इसमें नहीं पूछा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सोचते हैं कि बस और ट्रेन के टक्कर हो और कोई घायल नहीं हो, क्या ऐसी मान्यता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह !

नल योजना, बनेड़ा

३३२. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बनेड़ा ने तीसरी पंच वर्षीय योजना का जो प्रारूप सरकार को भेजा है उसमें बनेड़ा व रायला में पानी की नल-योजना को शामिल किया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार बनेड़ा में नल-योजना चालू करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

Page No.9

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना का प्रारूप जो पंचायत समिति बनेड़ा ने बना कर सरकार को प्रस्तुत किया है वह आपके पास नहीं पहुंचा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : कितनी जनसंख्या पर नल लगाते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जहां आवश्यकता हो और राज्य के आर्थिक-साधनों में गुंजायश हो तो लगाया जा सकता है।

श्री जोधसिंह : आवश्यकता तो हर गांव में होती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार की आर्थिक स्थिति, गांव की नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बनेड़ा पंचायत समिति द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना का प्रारूप भेजा गया है, इसका उत्तर दिया गया है कि सरकार के पास नहीं पहुंचा, यह गलत उत्तर है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार के पास पहुंचा होगा, पर इस विभाग के पास नहीं पहुंचा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: आपके विभाग के पास पहुंचा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मन्त्री महोदय ने 'आवश्यकता के अनुसार', यह अपने जवाब में कहा; तो आवश्यकता तो हर गांव को होगी, जहां ५ घर होंगे वहाँ भी होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बजट होता है तो वह कौनसा आधार है जिसके अनुसार स्वीकृति दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : हर योजना के निश्चित नियम होते हैं। उसके लिए बहस नहीं की जा सकती।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह योजना जहां म्युनिसिपेलिटी लोन लेती है वहां बनायी जाती है और छोटे २ गांवों में इस योजना का यदि पांच परसेन्ट जमा करा दिया जाता है और सरकार के पास आर्थिक साधन हों तो उस योजना को लिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पंचायत समिति ने योजना दी, सरकार ने मांगी और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय यह कहें कि पहुंची नहीं है, यह तो एक ऐसा जवाब है कि सारी योजना नीचे से गई और सरकार कहती है कि पहुंची नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : भेजी या नहीं भेजी, इसका भी कोई मालूम हो।

श्री मुरलीधर व्यास : ये कहते हैं कि भेजी गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या बनेड़ा पंचायत समिति ने पांच प्रतिशत जमा भी कराया ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में मांगा था तो वहां से लिखा गया था कि यहां पांच परसेन्ट देने के लिए तैयार है, बाकी का सरकार दे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जमा कराया क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले जमा कराने का कहीं सवाल नहीं उठता है।

एक माननीय सदस्य : क्या इस प्रकार की जन-संख्या वाले गांवों में योजना लागू की गई है ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिह।

सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत लगा स्टाफ

३३३. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट राजस्थान में कब से लागू है ? इसके लिये कितना स्टाफ लगा हुआ है तथा इस पर अब तक कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(२) क्या यह स्टाफ इस कार्य के लिये विशेष योग्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो यह नियुक्ति किस आधार पर हुई है ?

(३) अब तक इस एक्ट के अन्तर्गत कितने मुकदमे बने और इनका क्या परिणाम रहा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, राजस्थान में दिनांक १-५-१९५८ से लागू है। इसके लिए इन्स्पेक्टर १, सब-इन्स्पेक्टर २, हैड कॉन्स्टेबल ४ एवं कॉन्स्टेबल ८ स्वीकृत किये गये। इस स्टाफ पर सितम्बर ६२ तक लगभग ७३,०००) रुपये का खर्चा हुआ है।

(२) जी नहीं, न ही इस कानून में ऐसे स्टाफ के लिये कोई विशेष योग्यता होने का प्रावधान है। पुलिस विभाग में से ही योग्य अधिकारियों को इन पोस्टों पर नियुक्त कर दिया गया है।

(३) इस कानून के अन्तर्गत कुल ८४ मुकदमे बने, जिनमें से ११ में खत्मी दी गई। ६ में तफतीश हो रही है और ६७ मुकदमे अदालत में पेश कर दिये गये हैं जिनमें से १९ मुकदमों में सजा हो चुकी है। ३१ मुकदमों में अपराधी रिहा या बरी हो चुके हैं और १७ मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: यह कानून कब लागू हुआ ?

श्री भीमसिंह : ९-९-६२ से।

श्री भैरोंसिह : यह सही नहीं है। यह बहुत पहले ही लागू हो गया था।

श्री अध्यक्ष : ५८ में हो गया था।

श्री भीमसिंह : ९-९-५८।

श्री भैरोंसिह : तो केवल १८ हजार अब तक खर्च हुए ?

श्री भीमसिंह : सालाना।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा है कि कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : ७३ हजार ६२ तक खर्च हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस खर्चे से १ मुकदमा ठीक हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एवरेज थोड़ा निकाला जाता है।

श्री भैरोंसिंह : एफिशियेन्सी निकाली जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस पर पूछना है साहब अभी तो।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसके मातहत किस किस को अधिकार दिया गया ?

(विराम)

और भी चालान करने का स्टाफ है, अधिकारी हैं और डीवाई० एस० पी० वगैरह को अधिकार दिया गया है ? किन किन को अधिकार दिया गया ?

श्री भीमसिंह : डीवाई० एस० पी० और सी० आई० को।

श्री भैरोंसिंह : कितने केसेज की फाइनल रिपोर्ट दी है और कितने मामले झूठे पाये गये हैं ?

श्री भीमसिंह : अभी मैंने आपको भाग (३) में उत्तर दिया था कि ८४ में से ११ में खतमी की गई..........

श्री भैरोंसिंह : ८४ मुकदमे रजिस्टर किये हैं या केवल एप्लीकेशन्स आयी हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इसको सारे राजस्थान में लागू किया है या केवल जयपुर में ही ?

श्री भैरोंसिंह : ८४ केस बताये हैं। मैं समझता हूं कि केवल एप्लीकेशन्स ही आयी हैं।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : Since 9-9-1958, 84 cases were registered under this Act......

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रामकिशन (वैर) : सुनाई नहीं दे रहा है अंग्रेजी में।

श्री मथुरादास माथुर : Since 9-9-58, 84 cases were registered under this Act; out of which two cases were closed as unoccurred, 9 were closed for want of sufficient evidence, and 6 cases are under investigation. The remaining 64 cases were challanced, of which 19 ended in conviction and 29 in acquital or discharged and 16 cases are still pending trial.

श्री रामकिशन (वैर) : जब यह प्रश्न हिन्दी में पूछा गया है तो हिन्दी में ही उत्तर देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी वाले प्रश्न का भी हिन्दी में जवाब दे सकते हैं।

Page No.12

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किन किन डी-वाई. एस. पी. को अधिकार सौंपे गये हैं, उनमें से कितनों के बारे में उल्टी शिकायतें हुई हैं कि उन्होंने इस इम्मोरल ट्रैफिक को रोकने के बजाय खुद ने इम्मोरल ट्राफिक किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री भैरोंसिह : तीन डीवाई. एस. पीज. को सस्पेन्ड किया है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : यह थ्रूआउट राजस्थान लागू किया है या केवल शहरों में ही ?

श्री मथुरादास माथुर : ९-९-५८ के आदेश के अन्तर्गत इसको अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में लागू किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरी जगह इसको लागू न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार समझती है कि इम्मोरल ट्राफिक शहरों में ही होता है।

श्री मथुरादास माथुर : वहां ऐसी कोई सीरियस प्रोब्लम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया कि कोई विशेष योग्यता के पुलिस ऑफिसर्स का ख्याल नहीं रखा गया है; तो क्या किसी विशेष अयोग्यता का ख्याल रखा गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : Integrity and character is the only qualification for postings in this Department

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिनको ऐसा अधिकार दिया गया है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है ? अखबारों में ऐसी चीजें आती हैं कि फलां ने ऐसा किया, वैसा किया।

श्री मथुरादास माथुर : अपोइन्टमेन्ट करते हैं और ऐसे अधिकारियों को ही जिनका पर्सनल रेकॉर्ड ठीक हो, पर्सनल फाइल ठीक हो उन्हीं को यह दिया जाता है। यदि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो देने की कृपा करें। मैं सूचना नहीं दे रहा हूं, किन्तु ले रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिन मुल्जिमों के खिलाफ जानबूझ कर झूठे मुकदमे बनाये गये हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

मोहकम सागर तालाब की पाल

३३४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील में मोहकम सागर तालाब की पाल को ऊँचा करने की सरकार ने योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जायगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब पहले सदन में दिया जा चुका है।

Page No.13

श्री अध्यक्ष : और दे दिया जाय ।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां ।

(२) तखमीने की जांच की जा रही है । योजना ठीक पाई जाने पर धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही कार्य हाथ में लिया जावेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आखिर यह कब तक होगा, अन्दाज भी बताया जा सकता है ।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, हमारे थर्ड फाइव इयर प्लान में जितना पैसा है माननीय सदस्या चाहती हैं कि इसी साल खर्च हो जाय ।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : यह योजना सरकार ने कब बनायी ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिसके बारे में प्रश्न किया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : तखमीना कब से बना लिया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : १५ सितम्बर १९६२ को अभियन्ता के कार्यालय में भेजा गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसौन्द) : कब तक तखमीने बनते रहेंगे इसकी कोई मयाद भी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जब तक आप हम जीयेंगे तखमीने बनते ही रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास ।

कागज़ के कोटे का वितरण

३३५ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर में कागज का कोटा किस किस को किस किस आधार पर दिया जाता है ?

(२) क्या यह कोटा पत्रों को भी दिया जाता है ? यदि हां, तो गत ५ वर्षों में किस किस पत्र को किस आधार पर कितना कितना कोटा दिया गया ?

(३) क्या जिन २ को कोटा दिया गया उस कोटे के उपयोग की सरकार ने कभी जांच की ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) कागज का कोटा देना केन्द्रीय विषय है अतः वांछित सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जवासिया व समेलिया बांध

३३६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया**(बनेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या बनेड़ा तहसील में बड़ी लाम्बिया व छोटी लाम्बिया के बीच बहाले पर जवासिया बांध का सर्वे हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी नाले पर समेलिया बांध का भी सर्वे हुआ है ?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(३) क्या सरकार ने इन दोनों जगहों के आस-पास की जनता से पूछा है कि किस जगह बांध बनने से ज्यादा फायदा हो सकता है ?

(४) क्या यह सही है कि समेलिया बांध बनने से कुछ गांवों को उठना पड़ेगा ? अगर यह सही है तो कितने गांवों को ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(५) क्या सरकार के पास समेलिया बांध न बने, इसके लिये पंचायतों, पंचायत समिति बनेड़ा व जनता की तरफ से कोई दरख्वास्तें आई हैं ?

(६) क्या यह सही है कि जितने गांव व काबिल काश्त जमीन व खेती के कुएं समेलिया बांध की वजह से बरबाद होंगे उससे कम जमीन में उस बांध से पिलायी होगी ?

(७) क्या सरकार इस बात के लिये एक कमेटी द्वारा जांच कराने को तैयार है कि जवासिया बांध व समेलिया बांध दोनों में से कौनसा ज्यादा उपयोगी होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(१) जी हां।

(४) जी हां। ग्राम पंचायत भुसी, तहसील बनेड़ा, से इस बांध को न बनाने की एक दरख्वास्त आयी है।

(५) सर्वेक्षण समाप्त होने पर ही यह बतलाया जा सकता है कि कितने गांव उठाने पड़ेंगे।

(६) योजना का सर्वे सम्पूर्ण होने पर ही यह बताया जा सकता है कि क्या नुकसान होगा।

(७) दोनों योजनाओं के पूर्ण सर्वेक्षण के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें सर्वे का काम किसी का नहीं हुआ है क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : सर्वे का काम हो चुका है, इनवेस्टीगेशन किया जा रहा है। उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ३३७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३८

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

भूतपूर्व नरेशों पर पानी व बिजली का खर्चा

३३९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली की जो सहूलियत राज्य सरकार ने दे रखी है उस पर राज्य का कितना वार्षिक खर्च आता है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) इस वर्ष में किस २ पर कितना २ खर्च किया गया है ?

(३) बिजली की बकाया रकम किस भूतपूर्व नरेश में कितनी २ है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): यह प्रश्न कल ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट से ट्रान्सफर होकर आया है। कल इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

जिप्सम कं० व मजदूर यूनियन के बीच झगड़ों के संबन्ध में

३४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिप्सम मजदूर यूनियन तथा जिप्सम कं० के बीच कुछ वर्षों पहले किन किन बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए जिनके कारण मजदूरों को हड़ताल करनी पड़ी तथा उन प्रश्नों पर क्या फैसला हुआ ?

(२) जिप्सम कं० जामसर के लिये विभाग से जो स्टेंडिंग ऑर्डर्स स्वीकृत हुए हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : इस प्रश्न का संबन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री भीमसेन : राज्य सरकार के कन्सोलिडेशन ऑफिसर रहते हैं उनको तो मालूम होना चाहिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का संबन्ध भारत सरकार से है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस प्रकार की कम्पनी में राज्य सरकार के शेयर्स हैं। बीकानेर में जिप्सम कम्पनी में आप एम्प्लोयर की हैसियत से हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो हो सकता है, लेकिन जिस प्रश्न की जानकारी की गई है वह विषय केन्द्रीय सरकार का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मालिक हैं, आपके ५० प्रतिशत शेयर्स हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका संबन्ध भारत सरकार से है।

श्री भीमसेन : आप मालिक की हैसियत से ही जवाब दीजिये ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जवाब देने से काम नहीं चल सकता, जो भी स्थिति हो वह सदन के सामने रखी जानी चाहिये। कम से कम सदन को अवगत कराया जाय पोलिसी के बारे में।

श्री अध्यक्ष : यह सरकार के क्षेत्र में नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जब यह छपा ही गलत है तो इसकी सूचना दे देनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस कम्पनी में सरकार एम्प्लोयर है और उसके चालीस प्रतिशत शेयर्स हैं; उस हैसियत से भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिये। यह जो विवाद है उसके बारे में सदन को जानकारी देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय को हिदायत दें।

Page No.16

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह सवाल लेबर डिपार्टमेन्ट से न पूछ कर माइनिंग और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से पूछना चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला : यह क्वेश्चन इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया जाय ।

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न के भाग दो का उत्तर नहीं मिला ?

श्री भीखाभाई : स्टेंडिंग ऑर्डर्स का जहां तक प्रश्न है इसके लिये कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी सरकार है । वह कर सकती है, लेकिन जो श्रम-विवाद के मामले हैं वे भारत सरकार से संबन्धित हैं । इन्डस्ट्रियल डिस्पयूट्स एक्ट के अन्तर्गत जितने भी विवाद उपस्थित होते हैं उसको भारत सरकार का श्रम विभाग ही तय करता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब कम्पनी में आपके शेयर्स हैं, फिर भी आपको जानकारी उपलब्ध नहीं; क्या एग्रीमेन्ट हुआ, किन बातों को लेकर स्ट्राइक हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहनलाल सारस्वत, रतनगढ़ ।

रेल्वे लाइन पर पुल निर्माण—रतनगढ़

३४१. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि रतनगढ़ स्टेशन के दूसरी ओर बसने वाली बस्ती से रतनगढ़ के मुख्य भाग में पहुंचने के लिये स्टेशन के पास की रेलवे लाइनों को पार करके आना पड़ता है और प्रायः प्राण-घातक घटनाएं हो जाती हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार पैदल आने-जाने वालों की सुविधा हेतु कोई पुल बनवाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : यह स्वायत्त शासन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर इसका उत्तर देंगे ।

अंग्रेजी फिल्म, तालेड़ा पंचायत समिति

३४२. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तालेड़ा पंचायत समिति में एक अंग्रेजी फिल्म तैयार हुई है ?

(२) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

(३) इस अंग्रेजी फिल्म का उद्देश्य क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह प्रश्न डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह आदत बहुत खराब है ।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं उसको हम जिस मंत्री महोदय के नाम से पूछा जाता है, उसको भेज देते हैं। यदि वे समझें कि किसी दूसरे मंत्री से संबन्धित है तो उन्हें जल्दी से इसका जवाब दे देना चाहिये या उनको ट्रान्सफर कर देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : पहले जब सैशन हुवा था उस वक्त भी यह सवाल आया था। हमने यह सवाल १ मई, १९६२ को डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया था। दुबारा जब हमारे विभाग से पूछा गया तो इमीजियेटली लिख दिया गया। आपकी इजाजत हो तो जवाब दे दूं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जिस विभाग से संबन्धित प्रश्न है उसी विभाग के मंत्री ही जवाब दे सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्रियों के आपसी संघर्ष में हमें नुक्सान क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई संघर्ष की बात नहीं, जिस मिनिस्टर से कंन्सर्न्ड है वे ही इसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

भारत सरकार के सी. डब्ल्यू. पी. सी. की विद्युत् शक्ति सम्बन्धी योजना

३४३. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर): Will the Power Minister be pleased to state :—

(1) Whether any prospective plan for power, prepared by the Central Water & Power Commission of the Government of India for the years, 1966-81 has been received by the Government of Rajasthan ?

(2) If so, what is the provision for Rajasthan in terms of installed capacity at the end of successive plans ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (1) No.

(2) The question does not arise.

गंगाशहर को जल-प्रदाय योजना

३४४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या नगरपालिका, गंगाशहर, बीकानेर ने अपनी जल-प्रदाय योजना को क्रियान्वित करने हेतु वहां के व्यक्तिगत कुओं को एक्वायर करने का प्रस्ताव भेजा है ? अगर हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या उपरोक्त कार्य में विलम्ब तथा अन्य कठिनाइयों के कारण नगरपालिका क्षेत्र, गंगाशहर को बीकानेर शहर की उक्त प्रदाय योजना में शामिल किया जा सकता है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, इन कुओं का टैस्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(२) जी नहीं, यह अभी संभव नहीं है।

Page No.18

श्री भीमसेन : बीकानेर की जो योजना बन रही है गंगाशहर, उसके एडजेसेंट है बीकानेर में उसको शामिल कर दिया जाता है, एक्सपेन्डीचर बच सकता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बीकानेर में ही इतना पानी नहीं कि बीकानेर को पूरी तरह से सप्लाई किया जा सके।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पानी तो गंगाशहर में है उसको बीकानेर के साथ जोड़ने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो नई योजना हो गई।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर म्युनिसिपैलिटी और गंगाशहर की म्युनिसिपैलिटी को मिलाने का सरकार ने इरादा किया है उसके बारे में निर्णय करना अब सरकार का काम है। जब बीकानेर म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत आ जाती है तो वह स्वाभाविक व्यवस्था हो जाती है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी अभी तो दोनों अलग म्युनिसिपैलिटियां हैं, दोनों मिल जायंगी तो उस पर विचार किया जायगा।

जयपुर रेन्ज के जंगलों में नुकसान

३४५. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मई व जून, सन् १९६२ में जयपुर रेन्ज के जंगलों की जांच करवाने पर नुकसान पाया गया है ?

(२) यदि हां, तो हर जंगल से कितने कितने पेड़ कटे हुए पाये गये और सरकार का हर जंगल में कितने रुपयों का नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जिन जंगलों में नुकसान पाया गया उसकी सूची निम्न प्रकार है :–

नाम जंगल	तारीख जांच	कटे हुए पेड़ों की संख्या	अनुमानित हानि
नाहरगढ़ गेटोर	६–४–६२ व ६–४–६२	२४०४ पेड़	२६२.८७
बंद	१४–४–६२	३५५ पेड़	३३.००
सूरजपोल	१०–४–६२	३९९ पेड़	३१.८७
लक्ष्मणडूंगरी	११–४–६२	१५३ पेड़	१४.२५
झालाना	२–५–६२	२२२७ पेड़	२१५.२५

श्री नाथूलाल करौल : क्या यह सही है कि नुक्सान होने की वजह से किसी को सस्पेन्ड किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो बीड़ गार्ड हैं उनको सस्पेन्ड किया गया क्योंकि उनका काम है नुक्सान न होने देने का।

श्री नाथूलाल करौल : उनके क्या क्या नाम हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाहरगढ़ में मदनसिंह और रामजीलाल, झालाना में चिमनसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जंगल के अन्दर हर पेड़ पर नम्बर लगाया हुआ है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नम्बर ऑफ ट्रीज को देखा गया है और होने वाले नुकसान को देखा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): हानि का अन्दाज किस आधार पर लगाया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरख्तों को कब्जे में कर लिया उसको देखकर और अंदाज लगाकर हानि का अनुमान लगाया गया।

स्टेट रोडवेज की बसों से गायब सामान

३४६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) स्टेट रोडवेज चालू होने से लेकर अब तक कितने कितने टूल बॉक्स, कट आउट्स, सेल्फ, होर्न्स, डायनुमा, स्टेपिनी, बैटरी, टायर, ट्यूब आदि सामान कब कब से गायब हैं ? यह सामान कितनी कितनी कीमत का है ?

(२) इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है तथा क्या इनकी कीमत वसूल करने की कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, स्टेट एन्टरप्राइजेज (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के चालू होने से अभी तक गाड़ियों के जिन जिन पार्टों की चोरियां हुई उनके नाम तथा कीमत के आंकड़े की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) बहुत से खोये हुए सामानों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है और कुछ के विषय में विभागीय कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण सदन की मेज पर रखी सूची में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सूची में वह सामान भी शामिल है जो बैडफोर्ड चैसिस रिसीव किये गये थे उनमें कम पाया गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, पूरी विस्तृत जानकारी की लिस्ट आपके सामने पेश की गई है, उससे आप देखकर अन्दाज ही नहीं पूरा पता लगा सकते हैं कि कौनसा सामान चोरी गया है, कौनसा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या अध्यक्ष महोदय, इससे मैं यह मानूं कि चूंकि बैडफोर्ड के अन्दर से रिसीव करते समय जो सामान कम पाया गया उसकी सूची और नाम इस लिस्ट में नहीं पाये जा रहे हैं, तो इसलिये वह लिस्ट और दूसरी है, यह नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो जो सामान कम है उसकी सम्पूर्ण सूची बता दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारी जानकारी में कोई सामान कम नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ देंगे तो उसकी जानकारी की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो स्पेसिफिक ही पूछा है। यह सामान की लिस्ट तो वह है जो गाड़ियां चली नहीं और उनका सामान गुम पाया गया। पर मैं जो कह रहा हूं उन ३० बैडफोर्ड चैसिस के लिये कह रहा हूं जो खरीदे गये थे और जब उनकी डिलीवरी ली गई तब उसमें काफी सामान कम पाया गया, उस पर कम्पनी को लिखा गया, जिस पर कम्पनी ने यह चार्ज लगाया है कि उसने तो सामान पूरा दिया था, यहां आपके डिपार्टमेन्ट में कम हुआ है। वह कम पाया गया सामान जो है, उसकी सूची इसमें है या नहीं ? वह तो इतना सामान है कि इस सूची से कहीं बहुत ज्यादा लम्बी तो उसी की सूची है।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): अच्छा यह होता कि आप सीधा इसी के लिये क्वेश्चन कर लेते तो उसका जवाब आपको मिल जाता।

श्री भैरोंसिंह : वही तो क्वेश्चन किया है मैंने।

श्री अध्यक्ष : तब आप यह भी पूछ लेते जो अब आप पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुश्किल यह है कि इस विभाग को यह भी पूरा मालूम नहीं कि उसके यहां से क्या क्या सामान जाता रहता है। अब मुझे यह पता थोड़े ही था कि इन बैडफोर्ड चैसिस के सामान की सूची वे अलग रखेंगे। यह, तो चैसिस उनके यहां आये और उनकी प्रापर्टी हो गई तो उसमें जो सामान कम हुआ उसकी सूची उनको खुद को ही दे देनी चाहिये थी इसके साथ।

श्री अध्यक्ष : रिसीव हुए या नहीं, यह तो दूसरा प्रश्न हुआ।

श्री भैरोंसिंह : यहां से कहते हैं कि रिसीव नहीं हुए तो यह कहें साफ, जब कि कम्पनी वाले साफ कहते हैं कि ये ये पार्ट्स हमने दिये हैं, सामान हमने कोई कम नहीं दिया। वहां पहुंचने के बाद कम हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह तो दूसरा प्रश्न है, जांच करके उत्तर देंगे।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : जो इसके लिए जिम्मेदार पाये जावेंगे क्या सरकार उन दोषियों को उचित दण्ड देगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनमें से कुछ केसेज़ पुलिस में दे रक्खे हैं, कुछ में विभागीय जांच चल रही है। जैसे ही सारी जानकारी प्राप्त हो जावेगी और जो दोषी साबित होंगे उनको सजा दी जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो सामान चोरी गया है इसकी कीमत कितनी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : २४६६.६७

साबी नदी पर बांध

३४७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने साबी नदी पर बांध बनाने के लिए एक योजना को स्वीकार किया है ?

Page No.21

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल थी ?

(३) सरकार ने इस बार उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं और कब तक यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां, इस पर अभी सर्वेक्षण जारी है।

(२) जी हां।

(३) इस योजना के एस्टीमेट बनने के बाद कुछ और जानकारी की आवश्यकता हुई, इस कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य अभी जारी है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या उम्मीद करें कि यह तीसरी योजना में पूरी हो जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : अवश्य उम्मीद रखियेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी शुरुआत कब तक कर दी जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस बन्ध के बनाने में कुछ चीजों की खामियां हैं; जैसे वेस्ट वेयर, फाउन्डेशन में नीचे की जमीन का कमजोर होना। इसलिये इसके पुनः सर्वेक्षण की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन के पास योजना के साथ भेजेंगे और उसकी अनुमति के अनुसार ही काम कर सकेंगे

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : धीरे धीरे काम उठाने से नीचे की नींव ठीक हो जावेगी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जगह नियत कर ली है इसके लिए ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ग्राम वधीन के पास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वधीन तो कोई गांव नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, नैक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मन्त्री महोदय को पता नहीं है गांव का, तो फिर इसको क्यों आधार माना ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने बताया न कि गांव है यह।

श्री विजयसिंह झाला : जिस गांव का नाम आप ले रहे हैं वह गांव ही नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : वधीन गांव है, कैसे नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तहसील में है यह गांव ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : थोड़ी देर में तो आप लेटीट्यूड और लोंगीट्यूड भी पूछ लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

अधिक कीमत के टेन्डर देने वाले से सामान की खरीद

३४८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा सन् १९६१–६२ के लिये आमन्त्रित टेन्डर नोटिस के आइटम नम्बर ११४ पर अंकित टाइप राइटर, कार्बन पेपर्स की खरीद कम कीमत का टेन्डर देने वाले से नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया फर्म्स के टेन्डर्स के तुलनात्मक स्टेटमेन्ट की प्रतिलिपि कारणों सहित सदन की मेज पर रखी जाय ।

(ख) क्या यह सही है कि अनुचित रूप से टेन्डर मन्जूर किये जाने के कारण सरकार को लगभग ५ हजार रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल): (क) जी नहीं । तुलनात्मक स्टेटमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेन्ट में आपने ७.३० की रेट दी है और आपने मन्जूर किया है ८.१० का; तो यह अन्तर क्यों है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ७.३० की रेट है उसमें ५०० कागज के कार्बनों का एक पैकेट है । उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, युटीलाइज करने में बहुत नुकसान होता था; इसलिये १०० कागजों के पैकेट ज्यादा ठीक समझे गये । उनकी रेट ८.१० न० पै० है इसलिये उसी को खरीदा गया ताकि आगे जाकर होने वाले डिस्ट्रिब्यूशन और यूटीलाइजेशन के नुक्सान को बचाया जा सके ।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर नोटिस में जो आपने स्पेसिफिकेशन्स दिये थे, क्या उसमें यह नहीं था कि जिस पैकेट में कम कागज होंगे उसको प्रिफरेन्स दिया जावेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : जब स्पेसिफिकेशन में यह नहीं था तो किस आधार पर आपने यह निर्णय लिया कि जो कागज पैकेट में कम संख्या में होंगे उनकी कीमत ज्यादा होते हुए भी स्वीकार कर लिये जावेंगे ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सवाल यह नहीं है कि जिस पैकेट में ज्यादा होंगे वह नुक्सान देने वाला है, पर बात यह है कि उनके डिस्टिब्यूशन में कार्बन खराब हो जाते हैं छोटी छोटी जगहों में भेजते समय । तो इस लिहाज से जिसमें कागज कम होंगे वे ज्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिये उनकी कीमत ज्यादा होते हुए भी लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : पर जब आपने ऐसी कोई बात स्पेसिफिकेशन में नहीं दी कि आपको छोटे पैकेट चाहिये, आपने पैकेट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया तो फिर उस आधार

(श्री भैरोंसिंह)

पर कोई क्वोट करता है अपनी रेटें व्यापारी तो सरकार के सामने सिवाय कम रेट की चीज को खरीदने के कोई चारा नहीं है, इस हालत में ज्यादा रेट की चीज क्यों मन्जूर की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ये दोनों रेटें और टेन्डर्स एक ही फर्म के थे और इन दोनों पैकेट्स की अपने हिसाब से उसने दो तरह की रेटें दी हैं कि पांच सौ का पैकेट लेंगे तो यह कीमत होगी और सौ का पैकेट लेंगे तो यह कीमत होगी।

श्री भैरोंसिंह : ये दोनों फर्में कौन कौन सी हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक ही फर्म की क्वोटेशन्स हैं, यह कह रही हैं वे।

श्री भैरोंसिंह : एक फर्म ने तो रेट क्वोट की है अलग, और दूसरी ने अलग। एक ने इसी १०० के पैकेट का ८.१० नये पैसे क्वोट किये हैं तो दूसरी ने ७.३०।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह फर्म एक ही है। पैकेट्स की अलग अलग रेटें क्वोट की हुई हैं ये।

श्री अध्यक्ष : आपकी मंशा यह थी कि हायर रेट पर क्यों खरीदा गया, इसके क्या कारण हैं; वे कारण उन्होंने बता दिये।

श्री भैरोंसिंह : स्पेसिफिकेशन के आधार पर मन्जूर नहीं किये गये, मेरा यह कहना है। स्पेसिफिकेशन्स से हटकर उन्होंने यह खरीद की है। जी० एफ० आर० में लिखा है साफ। उसके अगेन्स्ट में जाकर ये पैकेट क्यों खरीदे ?

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिकेशन तो ठीक है, पर पैकेट्स में फर्क था इसलिये जो suitable रहे, उन पैकेट्स को खरीदा। This is a very minor matter.

श्री भैरोंसिंह : माइनर नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह मामला। इसमें हजारों का फर्क है।

श्री अध्यक्ष : टेन्डर का मतलब यह नहीं कि अनिवार्य रूप से नीचे से नीचे की रेट वाली चीज ही खरीदी जाय। अगर जस्टिफाई किया जा सकता है तो हायर रेट की क्वालिटी का माल भी ले सकते हैं। यह सरकार के अधिकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है, मैं मानता हूं; मैं सरकार के अधिकार पर आघात नहीं पहुंचाना चाहता।

श्री अध्यक्ष : कारण बता दिये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है। पर अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने फायदे के लिये व्यवस्थाएं और नियम बनाकर उनके अनुसार चलती है तो नियम बने हैं इसके। मैं नहीं कह रहा हूं। यह उनके रूल्स, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि स्पेसिफिकेशन्स को स्ट्रिक्टली फोलो किया जावे। अगर आप इसमें ढील दे देंगे तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकार की यह मशीनरी कितने रुपयों का घोटाला किस समय कर बैठेगी, कुछ पता नहीं रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, स्पेसिफिकेशन में इसका कोई उल्लेख नहीं था, पर चूंकि एक पार्टी को फेवर करना था इसलिये इस transaction में ४५००) रु० का सरकार को नुक्सान पहुंचाया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बिलकुल गलत आरोप है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं बिलकुल ठीक है यह, अध्यक्ष महोदय। इसकी जांच करवाली जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगर किन्हीं कारणों से नुक्सान होता दीखता है तो उन कारणों का भी कन्सीडरेशन करना सरकार का फर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : कारण कोई नहीं है। अगर आपको १०० कागज के पैकेट ही खरीदने थे तो आपको अपने स्पेसिफिकेशन्स में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था और यह भी स्पष्ट करना चाहिये था कि ५०० के पैकेट की क्या कीमत होगी, और १०० के पैकेटों की क्या कीमत होगी, दोनों की कीमतें स्पेसिफिकेशन के द्वारा सभी टेन्डरर्स से मांगनी चाहिये थी आपको। इसके अभाव में स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, इसके अलावा सभी फर्मों ने ५०० के पैकेटों की ही रेटें क्वोट कीं। अगर आप स्पेसिफिकेशन्स में १०० के पैकटों का जिक्र करते तो और भी फर्में इसकी रेटें भी क्वोट करतीं और तब आपका १०० के पैकेट खरीदना जायज होता। आपने पिछली बार भी जो टेन्डर मन्जूर किये थे, मैं पूछना चाहता हूं कितने कागजों के पैकेट थे? उस वक्त आपको इस तरह की दिक्कत पेश नहीं आई?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस फर्म से १०० के पैकेट बनाने के लिये निवेदन किया गया था ७.३० नये पैसे के भाव पर, पर उसने मन्जूर नहीं किया। इसलिये १०० के पैकेट की ८.१० रेट पर उनको लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह आप दूसरी फर्मों को भी कह सकते थे। उनको क्यों नहीं कहा कि ५०० के पैकेट के भाव में ही १०० के पैकेट का माल देना होगा; फिर सबकी रेटें आने पर कन्सीडर करेंगे। एक फर्म को ही क्यों लिखा, बाकी की फर्मों को क्यों नहीं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दूसरों के क्वोटेशन्स क्वालिटी के आधार पर रिजेक्ट किये थे।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वालिटी का टेस्ट करवाया था आपने?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह पर्चेज कमेटी स्क्रुटिनाइज करती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि यह टेस्ट करवाया था क्या?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जितना जैसा प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है वह सब एडॉप्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार, नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक बात और निवेदन कर दूं। टेस्ट करवाने में पर्चेजिंग कमेटी के सामने एक मिसअन्डरस्टेंडिंग क्रियेट की गयी और कहा गया कि जिस कारबन पेपर का इम्प्रेशन आया उसको अच्छा समझा गया और जिसका इम्प्रेशन कम आया उसको ठीक नहीं समझा गया। जब कि सही बात यह है कि अलग अलग कागजों पर उस कारबन पेपर का अच्छा इम्प्रेशन आयेगा जिसका कि पहले कागज पर कम इम्प्रेशन आया है। तो कमेटी के सामने यह गलत टैस्ट रिपोर्ट समझा कर यह टेण्डर स्वीकार करवाया गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

महिला मण्डल, उदयपुर

३४९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आदिवासी कन्याओं की शिक्षा निमित्त ४०) रु० प्रति कन्या महिला मण्डल उदयपुर को दिया जाता है ? यदि हां, तो कौन से क्षेत्र की आदिवासी कन्यायें वहां पढ़ाई जाती हैं ?

(२) महिला मण्डल, उदयपुर को कितना अनुदान दिया जाता है तथा वह उसके बजट का कितना प्रतिशत है ?

(३) क्या महिला मण्डल, उदयपुर में होम साइन्स टीचर भी हैं ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, आदिवासी कन्याओं की शिक्षा निमित्त ४० रुपये प्रति कन्या महिला मण्डल उदयपुर को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। पढ़ाई के मामले में क्षेत्र निर्धारित नहीं है। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र की आदिवासी कन्यायें नियमानुसार भर्ती की जा सकती हैं।

(२) समाज कल्याण विभाग की ओर से महिला मण्डल, उदयपुर को ७५ आदिवासी कन्याओं को छात्रावास में रखने के लिए ४० रुपया प्रति माह प्रति छात्रा के हिसाब से १० महीने के लिए दिया जाता है। अतः बजट के प्रतिशत का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या महिला मण्डल, उदयपुर में जो होम साइन्स की टीचर हैं वह परमानेन्ट हैं या टेम्पोरेरी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है, इसलिए आप अलग से पूछें, जवाब मिल जायेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह ४० रुपये प्रति छात्रा दिया जाता है, इसमें यह १०वीं वालों को ज्यादा और नीचे कक्षा वाली छात्राओं को कम दिया जाता है; यह क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, प्रति छात्रा दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : इसमें कितनी आदिवासी छात्रायें हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : ८३।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

जयपुर में ई० एस० आई० स्कीम के अन्तर्गत अस्पताल का निर्माण

३५०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एम्प्लॉईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत जयपुर में अस्पताल बनाने के लिए विभाग के पास करीब आठ लाख रुपये जमा हैं ?

Page No.26

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) यदि हां, तो अस्पताल का भवन बनाने के कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

(३) अब इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं । केवल ई. एस.आई. स्कीम के अन्तर्गत जयपुर में डिस्पेन्सरी बिल्डिग एवं स्टाफ क्वार्टर्स बनाने के लिये ५,५४,४८०) रु० मंजूर हुए हैं । ये भवन ई. एस. आई. कॉर्पोरेशन के खर्चे से बनाने हैं ।

(२) डिस्पेन्सरी भवन बनाने में देरी का मुख्य कारण भूमि उपलब्ध नहीं होना है ।

(३) भूमि प्राप्त करने के लिये फिर से इम्प्रूमेन्ट बोर्ड को लिखा गया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं समझी नहीं । आप फिर से बोल दें तो अच्छा हो ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : यह ई. एस. आई. स्कीम के अन्तर्गत कब तक बिल्डिग बनेगी और बनेगी भी या नहीं ? (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : यह भी नहीं समझे ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने जोर से बोला है, फिर भी जो बात नहीं समझे हैं वह फिर से पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : स्वामीजी आप पूछें ।

श्री कुमारानन्द : आपने सुना नहीं । मैं कहता हूं कि जयपुर में ई. एस. आई. स्कीम के मुताबिक जो ८ लाख रुपया गवर्नमेंट ने मन्जूर किया है उसकी बिल्डिग बनेगी या नहीं और कब तक बनेगी और ई. एस. आई. की स्कीम के मुताबिक कोई बिल्डिग है या नहीं या कोई टी० बी० सेनिटोरियम है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : योजना में बिल्डिग जरूर बनेगी, लेकिन वह जमीन उपलब्ध होने पर ही बनेगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : देरी किस वजह से हुई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जमीन नहीं मिलने के कारण ।

श्री अध्यक्ष : और जमीन किस वजह से नहीं मिल रही है ?

(विराम)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

शाहपुरा–नीम का थाना सड़क पर कोलतार

३५१. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या शाहपुरा से नीम का थाना सड़क पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही कोलतार होना था ?

(२) यदि हां, तो अब तक कोलतार न होने का क्या कारण है ?

(३) इस रोड पर कोलतार कब तक हो जायेगा ?

Page No.27

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नही उठता।

(३) १६ मील की लम्बाई में डामर करा दिया गया है। तृतीय योजना में चार मील डामर का कार्य किये जाने की योजना है। बाकी चतुर्थ योजना में पूर्ण करा दिया जावेगा।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : यह बहुत पुरानी सड़क है।

एक माननीय सदस्य : सदन तो नया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक दो बड़े इम्पोर्टेन्ट प्रश्न थे। एक प्रश्न नीम का थाना सिन्डिकेट के बारे में था और वह क्वेश्चन कई दफा टलता जा रहा है। यदि इस क्वेश्चन का रिप्लाई हो जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न के लिये कह रहे हैं आप ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ३५७ है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिये मंत्री महोदय का पत्र आया है कि वे स्वयं २६ तारीख को इसका उत्तर देना चाहेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक फर्म की ही बात है और केवल सी से सूचना लेने की बात है, कोई दस जगह तो जाना नही है। कई बार बहाना लगा दिया जाता है। बीमारी के बाद यह हो जाता है, आज वैसे ही टल जाये। मैं समझता हूं कि दो दो यहां डिप्टी बैठे हुए हैं और इसका जवाब दे सकते हैं; इसको टालने का बहाना है। मैं समझता हूं कि सब सूचना उनके पास है। इस कारण इस प्रश्न को आज ही ले लिया जाये तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ हमेशा यह होता है कि जवाब नहीं दिया जाता; कभी कोई बहाना, कभी कोई; इस पर आप क्या व्यवस्था देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कह देता हूं कि इसके जवाब नहीं देने के पीछे राजनैतिक कारण हैं।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : I may be permitted to submit that I can satisfy the Hon. member, Sir, but because the Hon. Speaker has dropped the question,...

श्री अध्यक्ष : इसका तो एक ही तरीका है कि माननीय सदस्य पूरक प्रश्न कम पूछें ताकि सारे प्रश्न लिये जा सकें। उसके लिए मैं कई दफा निवेदन भी कर चुका हूं लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक ही प्रश्न पर दस दस प्रश्न अलग अलग माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक कुछ प्रश्न बाकी रह ही जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिसके प्रश्न हों वही पूरक प्रश्न पूछें और बाकी के न पूछें, ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह हमेशा सम्भव नहीं हो सकता।

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

भारत चीन सीमा विवाद पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार

जैसा माननीय सदस्यों को कल सूचित किया गया था कि कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव भेजे थे हमारे देश की सीमा पर जो स्थिति पैदा हुई है उस संबंध में विचार करने के लिए और आज भी इसी तरह के कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं। इसी बात के लिए कल मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस संबंध में हमारे सदन के जो नेता हैं उनसे व अन्य माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् कुछ निश्चित किया जाकर कि इस संबंध में इस विषय पर चर्चा करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस विषय में अभी एक वक्तव्य देंगे और उसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य बहुत ही संक्षेप में, मैं निवेदन करूंगा कि वे भी अपने विचार व्यक्त करें। कोई बड़ी बहस हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है; लेकिन एक बहुत ही गम्भीर स्थिति हमारे देश के सामने आई है। इसलिए बहस न करते हुए भी यह हमारे लिए उचित है कि कुछ ऐसे विचार-विमर्श या ऐसी भावना जो हमारे सदन के मुख्य अंग हैं—जो विभिन्न पार्टीज़ या ग्रुप हैं उनके द्वारा व्यक्त की जायें जो कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कल या उसके पहले एक अपील की है हमारे राष्ट्र के लिए उस संबंध में हमारे सदन के कुछ विचार उन तक पहुंच सकें। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया कुछ कहें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, आज सारे देश का ध्यान, यों तो पिछले कुछ वर्षों से चीन के द्वारा भारत की भूमि पर आक्रामक कार्यवाहियां की जा रही थीं उससे लोगों में चिन्ता थी लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी यह आशा भी होती थी कि शायद यह प्रश्न आपसी बातचीत के द्वारा हल हो सकेगा। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं हमारी सीमा पर लद्दाख के इलाके में और उत्तर-पूर्वी सीमा पर घटित हुई हैं वे काफी गम्भीर घटनाएं हैं और उन घटनाओं की वजह से सारे देश का वातावरण आज एक क्षुब्ध और रोषपूर्ण वातावरण बन गया है। भारतवर्ष में यह शायद पहला मौका है इतिहास की जानकारी के अन्दर कि जब किसी विदेशी के द्वारा उसकी भूमि पर आक्रमण किया जा रहा है; उसके लिए सारे भारत में नाराज़गी है, उनमें इसका मुकाबिला करने के लिए चारों तरफ एक उत्साह है। आज चाहे केरल का रहने वाला है, चाहे आसाम का रहने वाला है, चाहे गुजरात का रहने वाला है, काश्मीर का है या और कहीं का है, सारा भारत ही आक्रमण को अपने पर समझता है, इसकी वजह से हमारे देश में स्वभाविक तौर से एक रोष की भावना पैदा हुई है।

जिस स्वतन्त्रता को काफी संघर्ष के बाद हमने उपलब्ध किया, देश का प्रत्येक निवासी और मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य यह चाहेगा कि चाहे कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े लेकिन हमारी आजादी की रक्षा हम पूर्ण रूप से करेंगे। उस आजादी की रक्षा के लिए, हमारी एक-एक इंच भूमि के लिए चाहे जितना त्याग हमको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करना पड़े उस त्याग के लिए आज भारत के सामने एक अवसर, एक चुनौती आकर के खड़ी हुई है। इस चुनौती के अवसर पर हमने हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जो कुछ देश के नाम आह्वान किया है उसको गौर के साथ सुना, और मैं यह समझता हूं कि हम में से प्रत्येक सदस्य इस बात को जाहिर करना चाहेगा कि हम पर चीन के द्वारा जिस बेरहमी के साथ में आक्रमण किया जा रहा है उसका मुकाबला करने के अन्दर भारत सरकार को पूरी तरह से मदद करेंगे, सहयोग करेगा प्रत्येक व्यक्ति और उनके हाथ को मजबूत करेगा। हम यह चाहते हैं कि भारतवर्ष के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति, जो भी हमारा नौजवान लड़ रहा है उसका साहस बढ़ायें और उसको जो कुछ हो सकता है सहायता दें। उसको करने में हम पीछे नहीं रहेंगे।

भारतवर्ष ने हमेशा शान्ति चाही। हमने चीन को U.N.O. का मेम्बर बनाने के लिए कई राष्ट्रों की नाराजगी मोल लेकर इस आवाज को बुलन्द किया। हमने पंचशील की बात चीन के साथ की, बांडुंग कॉन्फ्रेंस की और सारी बातें हुई, लेकिन उन सब चीजों के बाद आज उसका बदला भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर कदम बढ़ाकर दिया गया है, उसको कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जो भी कसौटी हमारे सामने आई है, ऐसे अवसर पर केवल भाषण देने से ही प्रश्न हल नहीं हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है उससे देश में किसी प्रकार की एक तरह से कोई उत्तेजना नहीं फैले, एक तरह आपसी मन-मुटाव नहीं फैले, निराशा नहीं फैले, इसके लिए सारे देश में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम आपसी मतभेदों को भूलाकर, एक दूसरे दल की विचारधाराओं के संघर्ष को सेकण्ड प्रायोरिटी देकर देश की सुरक्षा को हम बड़ी आवश्यकता समझें। इस भावना को देश के अन्दर जागृत करें, और इस भावना को जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस सदन की जो भावना है वह भी वहां तक पहुंचाएं जिससे देश के अन्दर इस भावना को बल मिल सके। आज इस बात की आवश्यकता है कि अगर देश में नौजवानों की आवश्यकता पड़े इस बात के लिए कि अपने प्राणों की आहुति दें, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के नौजवान इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो धन में हमारे राजस्थान के रहने वाले भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, वह करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो हमारे सैनिक वहां पर गये हुए हैं उनकी सहायता के लिए मैंने बहुत से माननीय सदस्यों से भी चर्चा की है और मुझे खुशी हो रही है यह बात बतलाते हुए कि उन्होंने सबने इस बात से सहमति प्रकट की है। इस सदन के अन्दर जो सदस्य हैं वे इस बात का निर्णय करते हैं कि हमें जो कुछ वेतन मिलता है उसका ५ पर्सेन्ट काटकर जो भी सैनिक वहां पर हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी सहायता के लिए हम अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूट करेंगे।

इसके साथ जो सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, वहां पर जो आहत हों उनको अगर खून की आवश्यकता पड़े उसके लिए जहां पर जरूरी हो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आकर उसके लिए भी सहायता करेंगे।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अन्य तरीकों से धन एकत्रित करने के लिए हम लोग सब अपने अपने तरीकों से प्रयत्न करेंगे और जो भी राष्ट्रीय आह्वान हो, राष्ट्र की चुनौती हो उसको मिलजुल कर साहस के साथ झेल लें। हमें राष्ट्र को यह सिखाना होगा क्योंकि अभी तक हमारी सुरक्षा दूसरे करते हैं, यह पहला अवसर है कि भारतवर्ष खुद की रक्षा खुद करेगा, तो ऐसे अवसर पर हमें डन्कर्क के अन्दर जैसे इंगलेण्ड नहीं घबराया, स्टालिनग्राड के पतन के अन्दर रशिया नहीं घबराया, बर्मा और फिलीपाइन्स के अन्दर वहां के लोग नहीं घबराये तो चन्द चौकियां जाने पर या और कुछ होने पर हम घबरायें नहीं, निराश नहीं हों क्योंकि अन्तिम विजय हमारी ही होगी और देश की स्वतन्त्रता और एकता कायम रहेगी उसके लिए नैतिक वातावरण बनाने के अन्दर यह राष्ट्र हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। यह सदन भी जो ज्यादा से ज्यादा योग हो सकता है वह योग करता रहेगा। इसलिए मैं चीन के द्वारा जो यह आक्रामक कार्यवाही की गई है उसकी निन्दा करता हुआ इस बात के लिए अपनी तरफ से यह पेश करना चाहता हूं कि राजस्थान के निवासी चाहे धन के जरिये हो, चाहे जन के जरिये हो, चाहे खून के जरिये हो; जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर विपक्ष के नेता): अध्यक्ष महोदय, हमारे समस्त उत्तरीय बोर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर संकट के बादल छाये हुए हैं। एक सबल राष्ट्र द्वारा हमारी पवित्र जननी जन्मभूमि का हजारों मील का भूभाग हड़प हो चुका है। इस स्थिति का मुकाबला भारत की सेना के नौजवान बड़ी बहादुरी के साथ कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हार्दिक सहानुभूति है।

आज कोई लम्बा-चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है। देश के लिये आज ऐक्यता की परम आवश्यकता है। हमारे देश की ऐक्यता के द्वारा मुझे विश्वास है कि हम हमारे संकट की स्थिति को दूर कर सकेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक कि मेरी पार्टी का सवाल है हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा भारतीय सरकार के साथ तन, मन और धन से (करतल ध्वनि) हम बराबर रहेंगे चाहे देश की कुछ ही स्थिति क्यों न हो। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार जन-सहयोग के द्वारा जो संकट हमारे पर आया है, उसका निवारण, उसका हल, जल्दी ही कर पायेगी और जो स्थिति हमारी उत्तरी सीमा पर है उस पर पूर्णतया, मुझे विश्वास है, काबू पा सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर जन संघ): अध्यक्ष महोदय, नेफा और लद्दाख के क्षेत्र में साम्यवादी चीन ने जो आक्रमण किया है उस आक्रमण से हमारे देश में एक संकट की सी स्थिति बनी है। देश पर व्याप्त संकट का मुकाबला करने के लिये हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने कल रेडियो द्वारा प्रसारित करके सारे राष्ट्र का आह्वान किया है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस प्रकार के संकट का मुकाबला अलग अलग राजनैतिक स्थिति में नहीं किया जा सकता। उसके लिये आवश्यक है कि हम अपने सारे राजनैतिक भेद-भाव भुलाकर राष्ट्र के ऊपर जिस प्रकार का संकट आया है उस संकट से हर प्रकार से

Page No.31

(श्री भैरोंसिह)

संघर्ष लेने के लिये एकत्रित होकर आक्रमण-कारी शक्ति को इस बात की चुनौती दे दें कि उनकी इच्छा भारत पर आक्रमण करने की है, भारत को हजम कर जाने की है; लेकिन भारत की जनता भी इस प्रकार की है कि जब तक प्रत्येक भारतीय के शरीर में प्राण है उस समय तक वह अपनी आजादी को हाथ से नहीं जाने देंगे ।

कोई यह समझ कर चले कि हमारे पास हथियार नहीं हैं, मैन पावर नहीं है, अभी के आधुनिक शस्त्र नहीं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस सब के बावजूद भारतवर्ष का इस प्रकार का नेशनल कैरेक्टर है कि उस नेशनल कैरेक्टर के सामने ये चीजें गौण रहती हैं और इनके रहते हुए भी हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । मैं, मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कहीं उनका समर्थन करता हूं और मेरे दल की ओर से उन्हें, भारत सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी, जिस किसी प्रकार से सहयोग की आवश्यकता हो, वह चाहे शारीरिक हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी उस प्रकार की सहायता देने के लिये मैं और मेरा दल सदा तैयार रहेंगे । (करतल-ध्वनि)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर प्रजा समाजवादी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने चीन द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ है उस पर अपने विचार जो प्रस्तुत किये है मैं उन विचारों का अपनी ओर से समर्थन करता हुआ दो शब्द कहना चाहता हूं । हमारे देश पर चीन ने जो आक्रमण किया है मैं समझता हूं कि मुल्क की आजादी के बाद देश के हर बच्चे बच्चे के लिये एक चुनौती है । यह पहला मौका है जब कि आजादी के बाद हमारे देश पर एक विदेशी सत्ता ने आक्रमण किया है और इस आक्रमण के जवाब में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इन लफ्जों में कहा कि उसका मुकाबला करने के लिये, जो कि हमारे भू-भाग में प्रवेश कर चुका है उसको जब तक पीछे नहीं खदेड़ देंगे तब तक किसी प्रकार से अपने कदम को पीछे नहीं हटायेंगे और इस आह्वान के साथ साथ देश के प्रधान मंत्री ने देश के सारे नागरिकों को आह्वान करते हुए यह कहा है, इस समय में सारे देश को अपने विश्वास में लाने के लिये यह पहली दफा रेडियो पर बोल रहा हूं । और उन्होंने इस बात की भी मांग की है कि इस मौके पर सारे पक्ष, सारे दल, दलगत विचारों से अलग होकर इस मामले में हमारी सहायता करेंगे । जहां तक उनके विचारों का सवाल है, हमारी पार्टी ने इससे पहले भी इस बात का ऐलान किया है कि इस मामले में हमारी पार्टी और हर नागरिक देश के प्रधान मंत्री के साथ, उनकी आवाज के साथ हैं और आज भी जैसी भी परिस्थिति है हम जानते हैं कि हमारे मुल्क का वह ताज हिमालय, जो वर्फ की चट्टानों पर खड़ा हुआ है, आज उस ताज को दोनों तरफ से नेफा और लद्दाख, दोनों तरफ से दोनों हाथों से दुश्मन इस ताज को उठाना चाहता है और यह ताज, यह मुल्क की आजादी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के बाद मिली है और इस कुर्बानी के ऊपर समस्त लोगों ने, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, हर आदमी ने कुर्बानी की है । और जो हमारे मुल्क के नेता, प्रधान

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंत्री श्री जवाहरलालजी थे, महात्मा गांधी थे और इन दोनों के विचारों के आधार पर हमारे देश ने हमेशा से शान्तिमय तरीके से हर चीज को निपटाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी जब कभी देश पर आक्रमण का सवाल होगा उस समय सिवाय हमारी मुल्क की रक्षा करने के और कोई चारा नहीं रहा; इस कारण हमको इस आक्रमण का मुकाबला करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि उनकी सीमा में जाकर आक्रमण करें, लेकिन यह चाहते हैं कि कोई भी देश हमारी सीमा में प्रवेश करता है तो चाहे हम कितने ही शान्तिवादी हों, शान्ति को मान्य करने वाले हों लेकिन इस हालत को स्वीकार नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों के साथ में ऐसा महसूस करता हूं कि यद्यपि इस सवाल का सम्बन्ध सीधा केन्द्र से है क्योंकि देश के साथ संबंध है और देश के सारे प्रान्तों के साथ संबंध है, लेकिन हम प्रान्त के लोग भी इस मामले में देश के साथ अवश्य हैं और अपनी सहानुभूति बताने के लिये केन्द्रीय आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के लिये विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि जैसा कि मैं महसूस करता हूं हमारे उत्तर में हमला हुआ है; लेकिन इससे पहले भी एक बात ऐसी आई थी कि दूसरे हिस्से जो हमारी सीमा के पास हैं वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से चौकियां कायम की जावें, कुछ ताकत इकट्ठी की जावे ताकि सुरक्षा हो सके।

आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे इस तरफ हो, चाहे उस तरफ हो, सीमा को हर तरह से मजबूत रखना चाहिये। साथ ही साथ ऐसे मौके पर हम हर कदम उठा सकते हैं, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा; तन, मन और धन से सहायता दे सकते हैं उनको जो लोग लड़ते हैं देश के लिये। कौन कहता है कि हम लड़ नहीं सकते, जब मौका आवे तो हम खून भी बहा सकते हैं। जब खून बहाने का आह्वान होता है तो उन सैनिकों के लिये जो मुल्क के लिये खून बहा रहे हैं उनके लिये खून अवश्य दे सकते हैं। खून देने का प्रस्ताव बड़े महत्व का है। ऐसे मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान का हर आदमी अपना खून देने के लिये तैयार होगा और विधान सभा का हर सदस्य जब कभी खून देने का सवाल होगा तो अपना खून देकर सैनिकों की रक्षा करेगा। हम सब लोग मदद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा कहा गया, जिस तरीके से हो, आज ऐसी परिस्थिति है कि जितना अर्थ-दान दे सकें देना चाहिये। यही नहीं, मैं समझता हूं उसके लिये सर्वस्व भी देना पड़े तो उसके लिये राजस्थान के हर नागरिक को तैयार रहना चाहिये, मुल्क की रक्षा करने के लिये। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज नेहरूजी के साथ है, उनके हर कदम के साथ हमारा कदम है, उन्होंने जो कदम उठाया है उसकी हम सराहना करते हैं और साथ ही साथ उनके आह्वान के लिये सच्चे नागरिक के नाते तैयार रहने का वचन देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय अध्यक्षजी······

Page No.33

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर साम्य०): अध्यक्ष महोदय, हमारी उत्तरी और उत्तरीय-पूर्वी सीमाओं पर जिस प्रकार के डेवलपमेंट पिछले दिनों में हुए हैं उसमें जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : डेवलपमेंट का मतलब 'आक्रमण' है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे देश के सामने एक बहुत गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी इन सीमाओं के सम्बन्ध में चीन से हमारा विवाद काफी अर्से से चल रहा था, परन्तु वह कुछ भी विवाद हो······

एक माननीय सदस्य : कब से चल रहा था !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें कि स्वयं चीन ने भी स्वीकार किया था और विशेष तौर पर हमारी उत्तरी-पूर्वी सीमायें है, वहां मेकमोहन रेखा है, उस पर हमारा बहुत पुराने अर्से से कब्जा चला आता रहा है, चाहे चीन ने उसे स्वीकार न किया हो लेकिन इस बात को उसने बार-बार कहा है कि वह इसको क्रोस नहीं करेगा उसने समझौते की बात भी जब भी कभी कही, उसकी बेसिस रही है । अगर कोई भी झगड़ा बाकी था उनकी ओर से तो वह भी लद्दाख के बारे में था। और अब पिछले सप्ताह मेकमोहन रेखा को क्रोस करके चीन की सेनाओं ने हमारे इस देश के हिस्से में प्रवेश किया है, उसने हमारे देश के हर नागरिक के दिमाग में एक बहुत भारी गुस्से की लहर पैदा की है। यह गुस्सा पैदा होना एक बहुत स्वाभाविक बात थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सामने, जसा और भी माननीय सदस्यों ने कहा है, अपने देश की सुरक्षा करने की, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने की पहली बार जिम्मेदारी आई है। इसके पहले दूसरी विदेशी सत्ता यहां पर कब्जा किये हुए थी इसलिए इस प्रकार की जिम्मेदारियां हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वहन करने का अवसर नहीं मिला। अब आज इन परिस्थितियों में, अध्यक्ष महोहय, मैं समझता हूं कि हर हिन्दुस्तानी, हर देश वासी, चाहे वह किसी भी विचारधारा का क्यों नहीं हो, कि यह पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा करने के लिए वह हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाय (करतल ध्वनि) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से, आपकी मार्फत, इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने देश की रक्षा के लिए जिस कुर्बानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे तन की हो, चाहे मन की और चाहे धन की हो, या इससे और ज्यादा किसी कुर्बानी की आवश्यकता हो, उसमें हम किसी प्रकार पीछे न रहेंगे।

जिन सिद्धान्तों को भी सीख कर, उनसे आकर्षित होकर हमने इस राज-नीति में प्रवेश किया है, वे सिद्धान्त भी हमें यही बताते हैं, उन सिद्धान्तों में हमारी अपनी आजादी, अपनी जन्म-भूमि की आजादी की रक्षा की ही नहीं, दूसरे की आजादी की रक्षा की भी आवाज उठाई है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर कल हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने जो तमाम राष्ट्र के सामने अपनी अपील प्रसारित की,

Page No.34

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं अपने दल की ओर से उनका समर्थन करते हुए, उनका साथ देते हुए यह निवेदन करूंगा कि आज ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि हमारे सामने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, उस जिम्मेदारी को बहुत ही संयम, बहुत ही मजबूती और बहुत ही दृढ़ता के साथ, अपने उसूलों को कायम रखते हुए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा—इतने भारी प्रवोकेशन में हमारी जो परम्परायें रही हैं, भारत की शांति के साथ चलने की परम्परा रही हैं और इसमें, अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारा इस सरकार से कुछ भी मतभेद क्यों न हो, इस बात को हमने लगातार पहले भी कहा है और आज भी हम कहते हैं कि भारत सरकार की इन मसलों को हल करने की नीति एक शांतिपूर्ण नीति रही है, दुनिया में हमारी विदेश नीति सब समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की रही है—हमारा अन्य बातों में मतभेद होते हुए भी, अध्यक्ष महोदय, हमने इस नीति का हमेशा समर्थन किया है। और कल माननीय प्रधान मंत्री ने अपील प्रसारित की, जिसमें उन्होंने कहा है -इस भारी प्रवोकेशन के मौके पर भी वे कीमती बातें, वे वेल्यूज, जो कि बुनियादी सिद्धान्त हैं· हम किसी देश पर जबरदस्ती आक्रमण नहीं करना चाहते, किसी देश को हम गुलाम नहीं बनाना चाहते, हम किन्हीं सैनिक संधियों के बीच में नहीं पड़ना चाहते, हम अपनी तटस्थता की नीति को बरकरार रखना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने झगड़ों को हल करने की नीति को बरकरार रखना चाहते हैं—इस बुनियादी नीति को अपने साथ रखते हुए आज जो हमारे सामने परिस्थिति पैदा हुई है, उसका एक होकर, कन्धे से कन्धा मिला कर मुकाबला करेंगे। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भावना व्यक्त की गई है, मैं उनका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर, समाजवादी): अध्यक्ष महोदय, आज जिस स्थिति में हमें विचार करना पड़ रहा है और सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन भावनाओं से मेरी पूरी सहमति है; लेकिन यह जो आज की परिस्थिति है वह केवल आकस्मिक रूप से आज के दिन पैदा नहीं हुई हैं। लेकिन उसकी ओर हमारे मतभेदों की चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूं, न जरूरी समझता हूं; लेकिन इतना जरूर है कि युद्ध होते रहते हैं, सरकारें परास्त होती रहती हैं और देश गुलाम होते रहते हैं; लेकिन यदि इतिहास का सही इन्टरप्रिटेशन नहीं किया गया तो हमारे राष्ट्र की जीवनी-शक्ति नष्ट हो सकती है। जो लोग आज कहते हैं कि हम खून बहायेंगे, वे ही पांच साल से इसे हमला नहीं मानते थे, उनकी खून बहाने की और समस्या के हल की बात कोई अधिक गम्भीर नहीं है। वैसे खून बहाया जायगा, खून बहाना चाहिये, यह देश के हर नागरिक और हर देशभक्त का कर्तव्य है—लेकिन आज इस बात के कहने, जब कि देश पर संकट आ गया है, का कोई महत्व नहीं रह गया है।

दूसरे माननीय मुख्य मंत्री ने जो सुझाव दिया कि सैनिकों और मुल्क की सहायता के लिए हमें बलिदान करना चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन कोई मुल्क सैनिक

(श्री रामकिशन)

बल से नहीं जीतता है लेकिन जनता का बढ़ता हुआ मनोबल, बढ़ता हुआ उत्पादन और कन्ज़्यूमिग शक्ति–ये चीजें ऐसी होती हैं जिनसे देश जीतता है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हम आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे मंत्री महोदय फेशनेबल और शान शौकत की जिन्दगी बिताते हैं, उसको आप कम कीजिये। जैसे संकट-काल में ब्रिटेन में चीनी तक खाना बन्द कर दिया था·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) चीनियों को खाना है, चीनी बन्द कैसे कर देंगे ?

श्री रामकिशन : कहने का मतलब इतना ही है कि इन बातों को रखने में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नेतृत्व दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और मेरा और मेरी पार्टी का हमेशा यही ख्याल रहा है। लेकिन आज यह याद दिलाया जा रहा है कि हम देश-भक्त हैं। देश-भक्त होने की याद तो वे ही पार्टियां दिलायें जो देशभक्त नहीं थी। हम देशभक्त थे, हैं और देश भक्त रहेंगे। लेकिन यही काफी नहीं है, हम जिस तरीके की डिफेन्स पॉलीसी अपनाना चाहते हैं, उसके लिए हम जनमत तैयार करें। जो यह कहते हैं कि हम प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करेंगे उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल जुबान से कहने से और पैसे से प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत नहीं हो सकते।

इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमें और दूसरी चोट का दुःख नहीं होगा, इसके लिए समय के अन्दर ही साधन जुटाये जायं। मैं माननीय सदस्यों को कोई ज्ञान देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज के कुछ दिन पहले जब लेबनॉन पर हमला हुआ था, जब मिश्र पर हमला हुआ था, तब कुछ शक्तियों ने कहा कि यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बम्बार्डमेंट कर दिया जायगा, हाइड्रोजन बम्ब गिरा दिया जायगा। आप देख रहे हैं कि पांच साल से इस किस्म से सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन हमारे मित्र मौन हैं और दुश्मन हंस रहे हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सिवाय दो-तीन राष्ट्रों के और किसी की सहानुभूति भी नहीं ले सके हैं। अगर इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया और आने वाली संतति को इतिहास गलत रूप से बतला दिया जायगा तो उससे जो कष्ट होगा वह इस युद्ध के कष्ट से ज्यादा होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हमारे वेतन में से पांच परसेन्ट की कटौती की जाय, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि जब तक युद्ध बन्द न हो जाय और जब तक हमारा क्षेत्र चीनियों से खाली न हो जाय, मैं निजी तौर पर, मैं अपने दल के लिए नहीं कहता, अपने वेतन में से दस परसेन्ट की कटौती कराऊंगा और इसके लिए जिस सहयोग की जरूरत होगी, वह हमेशा देता रहूंगा। लेकिन हमें इन सारी बातों को समझ लेना चाहिए ताकि मुल्क का मनोबल बढ़ सके, क्योंकि अगर मनोबल कम पड़ जायगा तो जनता की शक्ति कम पड़ जायगी। इसके साथ ही आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन से अपनी सीमा की रक्षा नहीं की जा सकती है, बल्कि जिस तरह पोलेण्ड के लोगों ने साधारण आर्म्स से जर्मन की इतनी बड़ी शक्ति को परास्त कर दिया था उसी तरह की

(श्री रामकिशन)

स्थिति हमें भी अपने यहां पैदा करनी पड़ेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोशियलिस्ट पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे उसका कहीं अस्तित्व रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी देश की जनता के साथ सोशियलिस्ट्स हमेशा रहे हैं और रहते रहेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने ५ प्रतिशत की कटौती का कहा है वह जब तक एग्रेशन है तब तक के लिये है ।

श्री रामकिशन: मैंने भी एग्रेशन के समय तक के लिये ही कट का कहा है ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर निर्दलीय): अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पीपल्स चाइना के संबन्ध में बताई है और हमारे सामने रखी हैं उसके साथ साथ सख्त विरोध पेश किया है, मैं और मेरे साथी भी उनका समर्थन करते हैं । जिस तरह से पाकिस्तान व रावलपिंडी, हिन्दुस्तान के उच्च आदर्श और व्यवहार, हमारे प्रान्त की प्रगति और योजनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका उसी तरह से पीपल्स चाइना भी हमारी योजनाओं को, पीपल्स चाइना जो कोम्युनिस्ट कहलाते हैं, हमारी बढ़ती हुई प्रगति और विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाये । आज कोई सबसे बड़ा देश हमारी उदारता का, हमारे नॉन वायलेन्स की पॉलिसी का फायदा उठाता है तो पीपल्स चाइना ने उठाया है । मैं यह कहूंगा कि चाइना की हालत जिस समय बहुत खराब थी वेस्टर्न कन्ट्रीज उसको कोई मान्यता नहीं देते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे । उस समय हमने चाइना को इज्जत से बिठाया और उसकी सोवरेन्टी को माना । बान्डुंग, कोरिया, और जापान में हिन्दुस्तान साइड ग्रुप में आया । इतनी उदारता दिखाते हुए भी पीपल्स चाइना ने उदारता का नाजायज फायदा उठाया है । ऐसी हालत में कौन कितनी कुर्बानी करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा । इन्सान का वक्त है, मैं कहूंगा कि इसमें कौन आगे जावेगा, और कौन पीछे रहेगा, यह कहना कठिन है । कोई भी पीछे रहना नहीं चाहेगा । मेरे पास उन बहादुर सिपाहियों के लिये कहने के लिये शब्द नहीं जो बोर्डर पर खड़े हैं और अपनी जान दे रहे हैं । उनके हिरोइज्म, ब्रेवरी, सेक्रिफाइस, un-flinching faith और लोयल्टी की तारीफ मैं नहीं कर सकता, उसकी तारीफ करने के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं है । इसलिये जो ५ प्रतिशत की कटौती की बात मुख्य मंत्रीजी ने कही, हम यह कहते हैं कि २५ प्रतिशत कटौती भी करें और वह भी दें तो उसको भी मैं कम समझता हूं । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई वक्त आवे, प्रधान मंत्री सेक्रिफाइस के लिये कॉल करें, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे । हम राजस्थान में रहते हैं, गंगानगर के इलाके में, जो अपनी बहादुरी के लिये मशहूर है । सेवाओं के लिये जिस समय मुख्य-मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री कॉल करेंगे उस समय हम तैयार रहेंगे । इतना ही नहीं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सेवा, ईमानदारी और कुर्बानी की बात हमारे इतिहास के साथ जुड़ी है । पीपल्स चाइना का यह इन्कर्शन नहीं है बल्कि यह

(श्री केदारनाथ)

हमारे देश पर full fledged मिलिटरी अटेक है, उसकी हम निन्दा करते हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारे मुख्य-मंत्रीजी ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने, हिन्दुस्तान में जो परिस्थिति इस वक्त उपस्थित हुई है उस पर काफी रोशनी डाली है । मुझे कुछ ज्यादा वक्त सदन का नहीं लेना है लेकिन इस बात को देख कर कि हर सदस्य ने यह प्रण लिया है कि जिस तरह से हो सके सब सेवाएँ देकर हिन्दुस्तान पर चीनी आक्रमण का मुकाबला किया जावे । इस बात को देख कर दिल में बड़ी उमंग पैदा होती है । जहां तक मेरा प्रश्न है, वैसे मुझे यहां खड़ा होकर भाषण नहीं देना चाहिये था क्योंकि हमारे जो पार्टी के नेता ने आपके सामने जो विचार थे प्रकट किये हैं, लेकिन मैं यह अवसर समझता हूं कि मैं यह घोषणा करूं कि मैं अपनी प्रिवी पर्स का १५ प्रतिशत वोलेन्टरी कट करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि यह एमाउन्ट प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से युटिलाइज़ करना चाहें कर सकें जब तक एमर्जेन्सी है । इसलिये जब तक इस प्रकार की एमर्जेन्सी है तब तक के लिये मैं अपनी प्रिवी पर्स का १५ परसेन्ट बराबर वोलेन्टरीली सरेन्डर करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कहीं और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव रखे; सुझाव तो नहीं, विचार रखे, उससे सहमति प्रकट की है । यह तो निश्चित है कि हमारे देश के सामने एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो गई है । आजादी मिलने के बाद ऐसी स्थिति, ऐसी संकटकालीन स्थिति हमारे देश के सामने पहले कभी नहीं आई और इसमें हमारे देशवासी और विशेष तौर से हमारे इस प्रदेश के लोग हैं वे एक होकर अपने जो कोई भी थोड़े बहुत विचार-धारा में, सोचने के तरीकों में फर्क है, इन सब को भूल कर मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि एक होकर संकटकालीन स्थिति से मुकाबला करेंगे ।

अभी विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये कि स्थिति किस प्रकार से बनी । हमारी विभिन्न दलों की पार्टीज़ के बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन आज स्थिति ऐसी है जब भेद-भाव मिटाकर स्थिति का मुकाबला करना है । यह हमारे कार्य करने का तरीका है, प्रजातन्त्र का तरीका है कि हम विभिन्न पार्टीज़ के लोग विचार प्रकट करते हैं और कभी कभी उनमें कटुता आती है लेकिन इन विभिन्न विचार-धाराओं से चीन की सरकार यह देखती है कि एकता हमारे देश में नहीं है तो मैं समझता हूं कि बड़ी भारी भूल कर रही है । हमारा प्रजातन्त्र का तरीका है उससे बल मिलता है किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को । माननीय सदस्य जो अपने अपने इलाकों से चुन कर आये हैं, अपने अपने इलाकों में उनका असर है, मैं आशा करता हूं कि जिन इलाकों में आप जावेंगे आप वहां पर वातावरण बनाने में मदद देंगे, क्योंकि आज की लड़ाइयें केवल फौज पर निर्भर नहीं करती हैं लेकिन किस तरह से हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है, किस तरह से नागरिक की हालत होती है, इस पर निर्भर है कि हम

(श्री अध्यक्ष)

किस हद तक हमले का मुकाबला कर सकते हैं ।

इसलिये जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं उससे हमारे प्रधान मंत्रीजी को अवगत करावेंगे और राष्ट्रपति को सूचना देंगे । हमारे प्रधान मंत्री जिस तरह नेतृत्व देंगे राजस्थान के सब लोग, तन, मन और धन से उसका समर्थन करेंगे और साथ रहेंगे । कुछ सुझाव हैं कटौती के संबन्ध में; मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा अभियान होना चाहिये चीफ मिनिस्टर फन्ड के नाम से । उससे हमने जो कटौती की है और भी जनता का सहयोग लेकर हमारी फौज जो जंग कर रही है, लड़ाई लड़ रही है उनको हर प्रकार से सहूलियतें दे सकें और उसके लिये राजस्थान का बहुत बड़ा योग होगा । विशेषतौर से जब हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा बोर्डर है इसके साथ साथ फौज में बहुत से हमारे लोग हैं । हमारे अन्य राज्यों से भी ज्यादा बोर्डर लगता है । इसलिये हम जनता को प्रेरित करें कि वे इस स्थिति में एकता, बल और धैर्य का परिचय दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आशा व्यक्त करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उस पर पालन करेंगे और भी कोई स्थिति होगी उस पर हम चाहे सदन चल रहा हो या नहीं, बैठकर विचार कर सकते हैं । यह चीज निरंतर रहे । मगर जैसी स्थिति आवे इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारे देश को शक्तिशाली बनाना है ।

अब मैं समझता हूं कि ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना है, ठोस कदम उठाने का समय आया है । मैं समझता हूं, हमारा प्रदेश इस दिशा में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा और कर्तव्य को निभाने में हमारे राजस्थानी आगे आवेंगे ।

(१२.४६ म० प०)

अब सदन की कार्यवाही के दूसरे आइटम्स हैं उनको लिया जाता है ।

मोटर टैक्सेशन विहिकल्स अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन अधिनियम, १९५१ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (१) (९) एच० बी० जी० आर । ६२, दिनांक १९ सितम्बर, १९६२ जिसके द्वारा टैक्निकल को-ऑपरेशन मिशन ऑफ यू० एस० ए० (Technical Co-operation Mission of U. S. A.) की गाड़ी संख्या आर० जे० एल० ९८२२ को कर से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी, संसाधन और पूर्ववर्तितायें

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं :

"A note on Third Five Year Plan-Resources and Priorities.

(तृतीय पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी, संसाधन और पूर्ववर्तितायें) "

श्री अध्यक्ष : राजस्थान प्रिएम्प्शन बिल, १९६२ ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का वक्तव्य

श्री रामकिशन (वैर): माननीय अध्यक्ष, कल आपने व्यवस्था दी थी कि पी.डब्लू. डी. वर्कर्स पर मन्त्री जी बयान देंगे तो पहले वे बयान दे दें ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, पी० डब्लू० डी० व गार्डन वर्कर्स यूनियन द्वारा ता० १०-१०-६२ को कुछ मांगें चीफ इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. के समक्ष रखीं और २०-१०-६२ को १२ बजे से सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दिया । इन मांगों पर यूनियन के जनरल सेक्रेट्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से ता० १८-१०-६२ को बातचीत की । परन्तु इसके बाद भी यूनियन ने ता० २२-१०-६२ से सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस ता० २०-१०-६२ को भेजा । इस नोटिस में उदयपुर के मजदूरों के ट्रान्स्फर आदि के बारे में जिक्र किया गया । इससे पूर्व के नोटिस में इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई । श्रम विभाग को भी इन मांगों व हड़ताल के दोनों नोटिसों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे इन मांगों पर समझौता कार्यवाही भी प्रारंभ नहीं की जा सकी । इस प्रकार हड़ताल करना अनुचित था ।

जहां तक उदयपुर पी० डब्लू० डी० मजदूरों की मांगों का सम्बन्ध है, वे छपे हुए बुलेटिन नं० ४ के द्वारा जो २०-६-६२ को प्राप्त हुआ था, उठाई गई थीं । इन पर पी० डब्लू० डी० के वेलफेयर ऑफिसर को ता० २७-६-६२ को उदयपुर भेजा गया और इन्होंने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर व यूनियन के अधिकारियों से उन पर बातचीत कर संतोषजनक निर्णय लिये । इन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा चुका है । मुख्य मांग कुछ लोगों के ट्रांस्फर के बारे में थी । इस पर विभाग की ओर से यह बता दिया गया था कि ये ट्रांस्फर इसलिए किये गये थे कि अनुभवी कर्मचारियों की अन्य स्थानों पर जरूरी कामों को देखने के लिये आवश्यकता थी । काम कम होने की वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां नया काम शुरू हुआ है ट्रान्स्फर किये गये हैं इसमें किसी प्रकार का विक्टिमाइजेशन का उद्देश्य नहीं था ।

सरकार ने समय समय पर यूनियनों से जो समझौते किए हैं उनका पालन करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

सरकार ने समय समय पर मजदूरों की उचित मांगों पर हमेशा ध्यान दिया है ।

श्री रामकिशन : अभी आपने फरमाया कि जो ट्रान्स्फर्स किये गये, वे विक्टिमाइजेशन के उद्देश्य से नहीं किए गए, व्यवस्था और ज्ञान के हिसाब से किए गए; तो क्या सारा ज्ञान और सारी व्यवस्था उदयपुर के फेडरेशन की कार्य-कारिणी के सदस्यों पर ही लागू होती थी, उनमें से एक भी ऐसा नहीं रहा जिसका ट्रान्स्फर नहीं किया गया हो । तो यह तथ्य छिपाने की बात है क्या ? फेडरेशन की कार्य-कारिणी के सभी सदस्यों के ट्रान्स्फर्स कर दिये गये ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वहां से आज ही मेरे पास एक तार आया है, उसमें इस यूनियन के बारे में लिखा गया है:

"Pressing us and threatening us without any base. Kindly not take action till President is out... .."

तो मैं कहता हूं कि यूनियन के अन्दर ही यह हाल है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : किसका तार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दो तार आये हैं । एक भीम से आया है, दूसरा देवगढ़ से आया है।

श्री रामकिशन : यह तो चीफ इन्जीनियर साहब ने पैसे देकर तार डलवाया है। जितने भी कार्यकर्ता फेडरेशन के हैं उनके ट्रान्सफर्स तीन तीन सौ मील दूर कर दिये गये हैं, जब कि सरकार का नियम है कि किसी कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी का उसके जिले से बाहर ट्रान्सफर न किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कि अर्ज किया जो टेम्परेरी हैं उनका ट्रान्स्फर किया है, जो परमानेन्ट हैं, सेमी परमानेन्ट हैं उनका ट्रान्स्फर नहीं किया है। जहां काम हुआ वहीं उनको भेज दिया गया है। उन्हें नौकरी से अलग नहीं किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : एक आदमी का तार आया या किसी के नाम से आया ?

श्री हरिश्चन्द्र : धनसिंह के नाम से आया है।

श्री विजयसिंह झाला : एक आदमी के तार पर इतने इम्पोर्टेन्ट ट्रान्स्फर के मसले पर विचार स्थगित कर दिया गया···

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो आपकी यूनियन का झगड़ा है।

श्री रामकिशन : झगड़ा नहीं है, चीफ इन्जीनियर लोगों को खरीद कर रखता है।

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार किसी को खरीदती नहीं।

श्री रामकिशन : मैं आपको नहीं कहता।

श्री जोधसिंह (गिरवां) : उदयपुर का इन्जीनियर यूनियन को तोड़ना चाहता है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वे वहां की बड़ी और मजबूत यूनियन को तोड़ना चाहते हैं। दो-चार जगह मीटिंगें भी कर चुके हैं और उस यूनियन को जान-बूझकर तोड़ना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का जो होशियार मिस्त्री है उसका ३६० मील दूरी पर ट्रान्स्फर कर दिया गया है। उसे कहा गया कि जाओ वहां पानी नापो। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े कर्मचारी को पानी नापने के लिये कैसे भेजा है, और अच्छे अच्छे वर्कर्स का ट्रान्स्फर कर दिया गया है। उनकी यूनियन के लोग यहां आये हैं, उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी, मुख्य मंत्रीजी के सामने रखी। आपने यह कह कर टाला कि मैं उप-मंत्री से पूछूंगा। यह जनतन्त्रवाद में शोभा नहीं देता कि उनकी वाजिब मांगों को इस तरह से टाला।

साथ ही यहां हड़ताल की गई तो उदयपुर में भी हड़ताल की गई थी। उसके बाद उन्होंने अखबारों में यह पाया कि अगर उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी तो वे २० तारीख तक जयपुर पहुंचेंगे।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान प्रिएम्पशन बिल, १९६२।

श्री रामकिशन : उस सम्बन्ध में एक जानकारी और लेना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

आपने कहा कि समझौता हो गया है और पालन कर लिया गया है। फैडरेशन से हुआ है, सलाह-मशविरा ली गई।

श्री हरिश्चन्द्र : उन्होंने जो बातें चीफ इन्जीनियर के सामने रखी हैं; अभी माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने ऐसा नक्शा खींचा कि मानो सारे कर्मचारियों का ही ट्रान्स्फर कर दिया हो। तीन का ट्रान्स्फर हुआ है। केवल तीन का। वहां पर वर्क नहीं था। जहां वर्क था उनको वहां पर भेजा। यदि माननीय सदस्य चाहें कि कोई ट्रान्स्फर ही न हो, this is purely an administrative matter in which I don't think anybody can do anything.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पॉलिसी के खिलाफ हमें कहना है। जैसा कि उन लोगों को बाहर इतनी दूर फैंका जा रहा है। आप चीफ इन्जीनियर का ट्रान्स्फर क्यों नहीं करते? रूल के खिलाफ आपने उनको वहां पर रख रखा है। उनका तो आप ट्रान्स्फर करते नहीं, वहीं के जो रहने वाले हैं। दूसरों का आप करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : पम्प ड्राइवर है। जहां उसका ताल्लुक होता है उसको वहां भेजा जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : चीफ इन्जीनियर का भी ट्रान्स्फर करिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : माथुर साहब की पहले भी शिकायतें काफी हुई हैं। फाइल पर नोट लगा हुआ है कि उनको उदयपुर में न रखा जाय। जिनके खिलाफ गड़बड़ घोटाले के चार्जेज़ थे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की रिपोर्ट है कि उनको वहां न रखा जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : It has nothing to do with this.

श्री विजयसिंह झाला : मजदूरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वे वहीं के रहने वाले हैं। घोटाले किये हैं। पार्टीबाजी फैलाते हैं। उनका वहां से ट्रान्स्फर किया जाय।

श्री रामकिशन : लिख कर भी दिया है। पूरी सूची दी है १,८००) रुपयों की, इन्जीनियर ने रख लिये। आपको दूसरे मंत्रियों की तरह तो व्यवहार नहीं करना चाहिये। गरीब लोगों को क्यों सताया जाता है? एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर माथुर, चीफ इन्जीनियर माथुर, माथुर, माथुर इकट्ठे हो जायें।

राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान प्रिएम्शन बिल, १९६२।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें और म्युनिसिपैलिटी का संशोधन बिल ले लें।

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य उचित समझें।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रिएम्प्शन बिल, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१.०० म.प.)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (सैकिन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक को चार मास के लिए आगामी सत्र तक जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पीछे मेरी भावना की राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों में नगरपालिकाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था उससे पूर्ति हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान लोकतन्त्रीय व्यवस्था में स्वायत्त-शासन संस्थाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में हमने प्रजातन्त्रीय प्रणाली को अपनाया है और उस प्रणाली को अपनाने के साथ साथ हमने हमारे देश में इस बात की कोशिश की है कि हमारी यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था देश के प्रशासन को नीचे से नीचे की इकाई तक पहुंच सके और उस दृष्टि से हमने राज्य के गावों में पंचायतों का गठन किया और उसी दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं का गठन किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त कितना ही अच्छा क्यों न हो, आदर्श कितने ही अच्छे क्यों न हों, किन्तु उन आदर्शों और सिद्धान्तों के अनुरूप यदि व्यवहार नहीं होता है तो मेरी यह निश्चित मान्यता है, अध्यक्ष महोदय, कि वे आदर्श और सिद्धान्त केवल कागज की टोकरियों में रह जाते हैं। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के अन्दर इन नगरपालिकाओं का गठन किया है। सन् १९५९ में राजस्थान सरकार ने इसी विधान सभा में एक कानून पास कराया है और राजस्थान में जिस प्रकार के राज्यों में इस सम्बन्धी जितने कानून थे उनको निरस्त करके सम्पूर्ण नगरपालिकाओं के संचालन की दृष्टि से एक कानून इस विधान सभा ने पास किया है। १९५९ में कानून पास किया, १९५९ में उसको लागू किया और जब वह कानून इसी विधान सभा में पास हुआ था, अनेक माननीय सदस्यों ने, जिनमें से आज भी बहुत से माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, उन्होंने उस वक्त कई बातों की मांग की थी कि राज्य में विशेषरूप से नगरपालिकाओं के चुनाव में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज को हटा दिया गया है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं और कई का चुनाव नहीं हुआ है। यह आवाज उठाई गई थी कि चुनाव राज्य सरकार के द्वारा कराने के बनिस्बत चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराये जाने चाहिये। उसके पीछे यह भावना थी कि चुनाव स्थगित करने में किस प्रकार राजस्थान सरकार हस्तक्षेप करती है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि नगरपालिकाओं के चुनाव, समितियों के चुनाव, जब सत्तारूढ़ पार्टी को चुनावों में जीतने की आशा न हो तो उन सब स्थानों पर किस प्रकार से चुनाव स्थगित कराये जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर को तो इसका कटु अनुभव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी भावना से एक मांग की थी कि एक अवधि निश्चित होनी चाहिये। १९५९ में जब अधिनियम प्रस्तुत किया था उस वक्त भी इस पर बड़ा भारी जोर दिया था। राज्य सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि नगरपालिकाओं के चुनाव समय पर करायेंगे, प्रशासक की नियुक्ति नहीं होगी। उस समय के मंत्री जिन्होंने ये आश्वासन दिये थे वे आज मंत्रि-मंडल में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मंत्री हैं वे यह कह सकते हैं कि आश्वासन उन्होंने दिये हैं मैं उसके लिए पाबन्द नहीं हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री): पाबन्द हूं, भाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार एक सक्सेसिव सरकार है और सदन में जो आश्वासन राज्य सरकार ने दिये थे उनके अनुरूप व्यवहार करने के लिए पाबन्द है। पिछली बार बजट सेशन में यह प्रश्न आया था। माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होगी, चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जावेंगे जितना ढंग और तरीका है वह पूरा करके नगरपालिका का चुनाव करा दिया जावेगा। नगरपालिकाओं के चुनावों को लेकर उसके पश्चात् कई बार मांग की, प्रतिनिधि मंडल मिले, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिये, फिर समझ में नहीं आता कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं ? सीट्स का पता नहीं है। ओब्जेक्शन इनवाट नहीं होते, फैसले नहीं होते, अन्तिम निर्णय नहीं होते, जहां वार्ड बन गये हैं उनका फाइनलाइजेशन होने के बाद, लिस्टों के फाइनलाइजेशन होने के बाद चुनावों को टालने में दुबारा कार्यवाही की जा रही है, इसके लिए मंत्री महोदय की जानकारी होगी; इसलिये दुबारा वार्ड बनाने की कार्यवाही की जा रही है और वार्ड बनाने के आधार पर चुनाव नहीं कराये गये या जाते; ऐसे एक नहीं, अध्यक्ष महोदय, ५० परसेन्ट नगरपालिकाएं हैं जिनका चुनाव कानून के तहत हो जाना चाहिये था, पर नहीं कराया गया। इनमें या तो प्रशासक कार्य कर रहा है या प्रशासन कर रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में सदन का अधिक वक्त नहीं लेना चाहता, माननीय मन्त्री महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्य इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं।

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान की नगरपालिकाओं में आधे से ज्यादा ऐसी हैं जिनमें प्रशासक नियुक्त कर रक्खे हैं इस सरकार ने। लोकल सेल्फ विभाग का, उसके सेक्रेटेरियट का काम रह गया, केवल नोटिफिकेशन निकालना और उनको लिख देते हैं कि अमुक अमुक का समय समाप्त हो गया है उनका चुनाव द्वारा रिकॉन्स्टीट्यूशन इतने कम समय में सम्भव नहीं है, लिहाजा आदेश दिया जाता है कि उनकी अवधि अमुक तिथि तक बढ़ा दी जाती है या उसको भंग करके उसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यह लोकतन्त्र के लिये एक घातक परम्परा है। माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि जहां नगरपालिका में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, वहां नगरपालिका भंग कर दी जायेगी। पर आज उसी भंग नगरपालिका के चेयरमैन को, जो आपकी मरजी का है, मेरा मतलब विभाग के मन्त्रीजी से नहीं, पर इलाके के मन्त्री महोदय से है, उनकी मरजी के चेयरमैन थे, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। उनका कार्य-काल बढ़ाया जाता है, अन-ऑफीशियल मेम्बर को, जो कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं, उनके मरजी-दान हैं, उनको दावतें दिलाते हैं, उनका स्वागत करवाते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, स्वागत का आयोजन कराते हैं ऐसे व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त करके चुनाव नहीं कराते। यह उनकी व्यवस्था है। जो नॉन ऑफिशियल व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं उनका उदाहरण मैं नहीं दूंगा, मन्त्री महोदय स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

यह जो विधेयक लाया गया है उसमें बड़ी चतुराई के साथ क्लॉज २ में यह व्यवस्था चाही है कि मूल एक्ट के सैक्शन ३० में यह सब-सैक्शन और जोड़ दिया जो :

" When prior to the Constitution of the first board under this Act, a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation or removal of a member nominated under the law repealed by Section 2, such vacancy shall be filled in accordance with the rules made under this Act, by co-option of—

(a) a person belonging to scheduled caste or tribe, if the vacancy caused is of a person belonging to such caste or tribe; and

(b) a person belonging to female sex, if the vacancy is that of a person belonging to such sex."

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सरकार को कानून में करवाने की क्यों आवश्यकता हुई? यह उन नगरपालिकाओं के बारे में है जिनके चुनाव यह कानून लागू होने के बाद आज तक पहली बार भी नहीं करा सकी हैं यह सरकार। मैं जानना चाहूंगा ऐसी कितनी नगरपालिकाएं हैं। इनके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो ५९ से पहले बनी थीं और जिनका समय समाप्त हो गया और इस कारण उनके चुनाव हो जाने चाहिये थे, पर चूंकि वे पहले कानून के तहत बनी हुई थीं और इस कारण उनमें रिजर्वेशन था, अब रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव नहीं हो सकते थे और इस कारण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शिडूल्ल कास्ट के या फीमेल सेक्स के मेम्बरों के मरने से या इस्तीफा देने से जो जगह खाली होती है तो उनकी पूर्ति इस कानून के तहत नहीं होती, इसलिए सरकार इससे यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है कि उन सारी नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जो ५९ से पहले बनी हुई हैं और ५९ के कानून के तहत जिनका निर्माण हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं है, तो उस वेकेन्सी या वेकेन्सीज़ की पूर्ति सरकार इस क्लॉज़ से करना चाहती है।

मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर आपने उन नगरपालिकाओं का गठन क्यों नहीं किया, क्या दिक्कत थी सरकार को? सितम्बर, ५९ से कानून फोर्स में आया, तीन साल उनके खत्म हो गये। उनके चुनाव हो जाने चाहिए थे। अगर वे चुनाव हो जाते तो इसकी जरूरत नहीं होती। वे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि जिनमें ऐसी वेकेन्सीज़ हुई हैं उनकी पूर्ति करना इसके तहत आवश्यक है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। आज राजस्थान की नगरपालिकाओं में काम करने वालों, सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं की जो एक संस्था है उसके प्रतिनिधि मन्त्री महोदय से मिले थे। अखबारों में भी समाचार छपे हैं इसके। उन्होंने मांग की है कि नगरपालिकाओं के चुनाव जल्दी से कराये जावें। इस संशोधन पर इसलिये गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि इसमें एक व्यवस्था बड़ी चतुराई से, कानून के अन्त में सरकार ने एक धारा से जोड़ दी है धीरे से और लिखा है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह साफ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही हैं केवल जो इसे समझ सके हैं। बाकी के तो सब चले गये हैं। समझदार हैं वे ही यहां बैठे हैं, बाकी सब चले गये हैं।

यह साफ नहीं है। क्लॉज़ ६ इस प्रकार है :—

"For part (ii) of clause (a) of the proviso to clause (3) of section 104 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(ii) on buildings or lands or, both, of which annual letting value is less than one hundred and eighty rupees.""

अध्यक्ष महोदय, पढ़ने में तो यह इतना अच्छा लगता है कि शायद राजस्थान सरकार ने १८० की जो व्यवस्था की है उससे एग्ज़ेम्पशन मिल गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधेयक हमने पास किया था उसमें यह व्यवस्था की थी कि हाउस टैक्स का इम्पोज़ीशन कम्पलसरी किया जावेगा, सारी नगरपालिकाओं को यह गृहकर लगाना होगा। इसमें कुछ छूट भी दी थी। बड़ा भारी विरोध करने के बाद मजबूर किया था हमने सरकार को कि वह थोड़ी छूट रक्खे। और मैं समझता हूं कि जो छूट की सीमा थी वह लगभग १२०) थी। इस सीमा को अब बढ़ाकर १८०) किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ था उस समय मुझे सदन की सदस्यता को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

था और इसलिये याद है कि कम्पल्सरी टैक्स का विरोध इस सदन में हुआ था। आज इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। माननीय सदस्य तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि किन किन नगरपालिकाओं ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किये हैं। कोटा की नगरपरिषद् ने प्रस्ताव पास किया कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, इसके स्थान पर हम खर्चे में कटौती करना पसन्द करेंगे; आमदनी के और जरिये ढूंढ सकते हैं, गृह-कर लगाना आवश्यक नहीं समझते। पर सरकार कहती है कि लगाना होगा। कोटा ने प्रस्ताव पास किया। तब मुझे ऐसा लगा कि वहां चूंकि नगर-पालिका जनसंघ की है इसलिये इस प्रस्ताव के आधार पर उसको भंग कर देगी यह सरकार। मैंने वहां के मन्त्री को लिखा कि आपने प्रस्ताव तो पास करके भेजा है, पर इसके द्वारा आपने अपनी गर्दन पर छुरी लटकाली है। हो सकता है राज्य सरकार कर्त्तव्य के पालन करने में असमर्थता का दोष लगाकर जनसंघ की इस नगरपालिका को सस्पेन्ड कर दे, सुपरसीड कर दे। अध्यक्ष महोदय, पर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद ही समाचार मिला कि उदयपुर ने भी इस तरह का प्रस्ताव पास कर दिया कि हम हाउस टैक्स नहीं लगायेंगे। इसके चैयरमैन कांग्रेस के हैं। मैंने सोचा कि अगर कोटा की भंग होगी तो उदयपुर की भी भंग होगी और उदयपुर की भंग नहीं होगी क्योंकि वहाँ कांग्रेस का चैयरमैन है और वहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो कोटा की भी नहीं होगी। एक इसके कारण से बाकी की नगरपालिकायें तिर रही हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान में नगरपालिकाओं का सवाल है, फाइनेन्स को ऑगमेंट करने का सवाल है, आमदनी के जरिये बढ़ाने का सवाल है; इस हाउस टैक्स को लेकर हरेक नगरपालिका ने विरोध किया है और प्रस्ताव पास करके भेजे हैं कि हम नहीं लगाना चाहते। जब ये अपनी आर्थिक स्थिति दूसरी तरह से सुधार सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये नगरपालिकाएं जो सत्तारूढ़ दल की हैं तो ज्यादा अनुदान भी वे मांगते है तो मिलता है। समस्या तो उनकी हैं जो विरोधी दल की हैं। अगर उनको अनुदान भी मिलता है तो कितने दिनों के बाद मिलता है।

इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। आज नगरों में १५) रु० माहवार का मकान किसी के पास है या जिन्होंने अपने रहने के लिये एक एक छोटे कमरे के मकान बनाये हैं और जिनको पचास रुपया माहवार मिलता है उससे आज सरकार कहती है कि चूंकि उसका मासिक किराया १५) रु० से ज्यादा है इससिये हाउस टैक्स उसको भी देना होगा। आज वह मकान १५) रु० का है इसको असैस करने में सरकार बड़ी तत्पर है। सदन में अगर मांग की जावे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये, सात रुपये पानी के बिल से छुटकारा दिलाने के लिये, तो राजस्थान सरकार कहती है ऐसा करने में सरकार मजबूर है। पर दूसरी तरफ सरकार से मांग की जाती है रहने के लिये मकान देने की। आवास की समस्या बड़ी भयंकर है शहर में रहने वालों की, सरकार उनको मकान नहीं दे सकती, ठीक किराया नहीं दे सकती और इसके बाद में अगर बड़ी मुसीबत से वह अपने रहने के लिये एक कमरे का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मकान बनाता है तब उनको उनकी मुसीबत याद नहीं आती, तब नहीं कहती कि नहीं उनसे टैक्स नहीं लिया जाय। जिस प्रकार की स्थिति आज है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बिल आने वाला है तब इन समस्याओं के बारे में विस्तार से मैं अपने विचार सदन के सामने रक्खूंगा।

आज तो नगरपालिका की सीमा में रहकर, झोंपड़ियां बनाकर, कच्चे मकान बनाकर और वन रूम टीनामेन्ट बनाकर लोग रहते हैं। जो विडोज हैं, अपंग हैं, गरीब हैं, आमदनी का जरिया नहीं है, निर्वाह के साधन जिनके पास नहीं हैं, ऐसे अनेकों लोग रहते हैं जिनके जीवन-निर्वाह के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती; पर एक काम कर सकती हैं; तुम इस कोठरी में रहते हो, यह बढ़िया है तुम्हें इसका टैक्स देना होगा। मैं निवेदन करूँगा कि यह १८०) रु० की सीमा बहुत कम है। जहां कीमतें आज बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेकारी फैल रही है, आज कई स्थानों पर पुराने मकानों का एस्टीमेट इस तरह से किया जाता है कि १५) से वह अधिक हो जाता है। शहर का विकास हो रहा है, यह सही है। कीमतें मकानों की बढ़ रही हैं, यह भी सही है। पर कई मोहल्ले आज भी ऐसे हैं जिनमें कीमतें नहीं बढ़ीं। 'सी' स्कीम में बढ़ जाती है, पर बहुत सी जगहों में नहीं बढ़ी। पर एस्टीमेट वाले, असैस करने वाले जाते हैं तो सब जगह एकसा करते हैं। आपने जो हाउस टैक्स लगाने की व्यवस्था की है, किराये वालों में की है, मालिक वालों में की है। आप कहते हैं जो खाली पड़ा है उस पर भी हाउस टैक्स लगावेंगे; किराये पर नहीं दिया गया है तो उसको भी नोर्मल तरीके से असैस करके हाउस टैक्स आप लगावेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हाउस टैक्स से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो इतना जरूर करें कि उन गरीब तबकों को राहत दें। १८०) के स्थान पर ३००) का प्रस्ताव मैंने रक्खा है। पर निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्लैब सिस्टम लागू कर दीजिये। आपने नोटिफिकेशन भी एक इस बारे में निकाला है। उसमें आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जिसके आधार पर आपने बिल्डिगों और लैंड पर स्लैब सिस्टम पर हाउस टैक्स लागू किया है। जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बनाये हैं उन पर साढ़े सात परसेन्ट लगाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप नीचे के तबके के लिये एग्जेम्पशन की लिमिट है उसे अधिक कर दें। जहां तक छोटे लोगों को राहत देने का सवाल है, एक एक मकान है जिनके पास फूटी टूटी झोपड़ी बनाकर……

(श्री बरकतुलाखां बोलने को खड़े हुए)

रहते हैं, कच्चे टूटे फूटे मकान बनाकर रहते हैं उन पर आप हाउस टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री): कच्ची झोंपड़ियों पर टैक्स नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने कच्चे टूटे-फूटे मकान कहा है। मैं समझ जाता हूं, आप क्या कहने वाले हैं। मुझे मालूम है, झोंपड़ियों पर कर नहीं है। तोपखाना देश के हजारों गरीबों की बस्तियों में जहां टूटे फूटे छोटे से मिट्टी के बने मकान हैं उनको नोटिस आज दिया है कांग्रेस की इस नगर-

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पालिका ने। मैं निवेदन करूंगा कि इसका दुरुपयोग भी होता है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने झोंपड़ियों को एग्ज़ेम्प्ट किया है तो क्या राजस्थान के मन्त्री महोदय की यह मंशा है कि झोपड़ियां देश में ज्यादा हो जावें ? क्या आप यह चाहते हैं कि झोंपड़ी वाले यहां ज्यादा हो जावें ? क्या आप यह चाहते हैं कि लोग छोटे छोटे मकान ही बनाकर रह जावें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : झोंपड़ी वाले सदन में ज्यादा आ जावें, यह चाहते हैं वे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको बहुत देर में सूझी। पांच सालों में दो ही हुए हैं यहां झोंपड़ी वाले। मुझे बहुत सहानुभूति है उनसे जब कि झोंपड़ी में आग लग जाती है दीपक से। दीपक तो ऐसे ही जलता है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि अल्पवैतनिक, शिड्यूल्ड कास्ट आदि लोगों को एग्ज़ेम्प्शन का लाभ मिल सके, इसके लिये राजस्थान सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि ३००) या इससे भी उदारता लाकर आप बढ़ा सकें तो बढ़ावें। तो कम से कम तीन सौ और उससे ज्यादा जितना हो सके उतना देकर छोटे लोगों को राहत देंगे। इसके साथ बड़े आमदनी वालों पर जो आपने स्लेब १,२०० से शुरू किया है उस पर अगर आप ठीक समझें तो ऊपर के लेवल पर और ज्यादा इन्क्रीमेन्ट कर सकते हैं जिनके मकानों की कीमतें हजारों में हैं और जिनकी मासिक किराये की आमदनी दो दो हजार, चार चार और दस दस हजार तक है। कांग्रेस की सरकार समाजवाद का नारा लगाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष व्यवहार में जब सवाल खड़ा होता है, जहां यह विषमता मिटाने का सवाल होता है वहां राजस्थान सरकार के सारे ही कारनामे ऐसे हो जाते हैं कि जो गरीबों को मारने वाले और अमीरों को संरक्षण देने वाले होते हैं। शायद उनकी यह मजबूरी है कि जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पोद्दार पार्क हैं, बिड़ला हाउस और बांगड़ भवन हैं जिन्होंने बड़े बड़े महल बना रक्खे हैं, जिनकी किराये की असेसमेन्ट पांच हजार से दस-दस हजार महीने की हो सकती है उन पर अगर २० परसेन्ट हाउस टैक्स लगा दिया तो वे नाराज हो जावेंगे और नाराज हो जावेंगे तो वे चुनाव में इस सरकार के लोगों को चन्दा नहीं देंगे। यह डर है उनको। पर मैं उससे निवेदन करूंगा कि उनको डरना नहीं चाहिये। मन्त्री महोदय को इसकी चिन्ता होनी नहीं चाहिये चाहे वे चुनाव में जीतें या न जीतें, उनको क्या परवाह है, आगे पीछे कोई उनके हैं नहीं। अकेलों का कितना सा खर्चा है।

श्री बरकतुल्लाखां : डर कहां है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो इस-लिये कहा है कि आप अनमैरीड हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : वह तो गोद ले सकता हूं किसी को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने समझा शायद मुझे शादी का निमन्त्रण दे रहे हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिये कि इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिमिट पर और जो नगरपालिकाओं की भावना है उसकी कद्र करनी चाहिये। आपने कमेटी का निर्माण किया है, वह अपनी रिकमन्डेशन देने वाली है फाइनेन्स के ऑगमेन्टेशन के बारे में और राजस्थान की नगरपालिकाओं के प्रशासन की दृष्टि से तो इस रिपोर्ट के आधर पर ही ऐसा संशोधन का विधेयक लाना चाहिये। अगर ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होगा। पीस मील लेजिस्लेशन करना अच्छा नहीं होता। इससे परम्परा अच्छी नहीं पड़ती, इसलिये निवेदन करूंगा कि वह जो कमेटी आपने स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में नियुक्त की है उसकी रिपोर्ट तीन महीनों में दे दी जावेगी तो आगामी बजट अधिवेशन में पूरे कन्सोलिडेटेड फॉर्म में सारी खामियों के सम्बन्ध में एक संशोधन विधेयक लावें तो अच्छा रहेगा। इस भावना से मैंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं कि इस बीच इसको जनमत जानते हेतु प्रसारित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (सैकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को सदन में विचारार्थ पेश किया गया, इस सम्बंध में मेरा जो प्रस्ताव था कि इसको जनमत जानने के लिए जनता के बीच काफी मात्रा में इसका प्रचार किया जाये, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जनमत जानने के लिए भेजने का कारण यह है कि जहां इसमें अच्छी बातें रखी गयी है वहां कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जिनसे डाउट होता है। उदाहरणार्थ राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा ३० में जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है यह इस बात का सूचक है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भविष्य में स्थगित कर दिये जायें, जो कि भविष्य में होने जा रहे हैं; क्योंकि जहां को-ऑप्शन का सवाल है म्युनिसिपैलिटी एक्ट, १९५९ के आधार पर को-ऑप्शन का सवाल नहीं आता है, only ladies are co-opted; शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का चुनाव होता है, डबल सीटेड वार्ड बना दिये गये हैं और उनके आधार पर चुनाव हुए हैं और जो पुरानी म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हुए है वहां पर सीटें खाली होती हैं तो वहां इसको करने की क्या जरूरत है, जब कि हम यह सुन रहे हैं कि जनवरी में सारे राजस्थान में सब म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हो जायेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह डाउट क्रियेट होने वाला क्लॉज़ है कि को-ऑप्टेड मेम्बर्स को रखा जाये। जो जनमत जानने के लिए, खास तौर से, इसको काफी मात्रा में जनता के बीच में प्रसार करने का प्रस्ताव है उसका मुख्य ध्येय यह है कि इसमें हाउस टैक्स लगाने का प्रोवीज़न भी इसी अमेन्डिंग बिल में है। आज सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हाउस टैक्स लगाने के बाद में यह टैक्स किसको चुकाना पड़ेगा। यह डाइरेक्ट टैक्स है या इन्डाइरेक्ट है। सबसे मूल बात सोचने की यह है कि आज इनकम टैक्स या सैल्स टैक्स जो भी लगाया गया है वह इन्डाइरेक्ट त्रे में कन्ज्यूमर्स के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह से आज हमारे राजस्थान प्रान्त में अधिकांश लोग किराये के मकानों में रहते हैं। हो सकता है, जयपुर जैसे बड़े सिटी में पैसे वाले ज्यादा हों और

(श्री अब्दुलजब्बार)

यहां पर ज्यादातर मकान मालिक खुद अपने मकानों में रहते हों; लेकिन राजस्थान में ऐसी संख्या शहरों की और गांवों की ज्यादा है जहां कि किराये के मकानों में लोग रहते है और खास तौर से राज्य के कर्मचारी जिनका कि इधर उधर ट्रान्सफर होता है। वे मकान किराये का लेकर ही रहते हैं। यह एक मानी हुई चीज है कि जैसे ही हाउस टैक्स का मसला पास होगा वैसे ही किरायों में वृद्धि होगी। एक तरफ तो रेन्ट कन्ट्रोल एकट बड़ी बड़ी सिटीज़ में लागू है, टाउन म्युनिसिपैलिटीज में नहीं है और जैसा कि प्रोवीज़न है कि १८०) रुपये के रेन्ट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, लेकिन साथ ही इसमें है कि cities and towns, both are included. ऐसी अवस्था में सब साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि रेण्ट कन्ट्रोल एक्ट जहां बड़े बड़े सिटीज़ में लागू है तो इन्डाइरेक्ट वे में कियायेदारों से ही यह टैक्स वसूल किया जायेगा किराया बढ़ाकर क्योंकि वह इस बात के लिए शैल्टर नहीं पा सकते हैं कि अपने किराये को उसी आधार पर रखें या निश्चित दर किराये की मुकर्रर की जा सके। कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है और अगर कोर्ट में जाने का अधिकार होता तो हो सकता है कि गवर्नमेन्ट कुछ सोचती कि रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के मुताबिक असेसमेंट करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

अब एक थड़ी लगाकर जौहरी बाजार या त्रिपोलिया बाजार में बैठे–५ बाई ५ की, तो उसके ४०–५० रुपया देने को कोई भी तैयार हो सकता है। इससे यह मानना पड़ेगा कि साधारण प्लॉट की कीमत भी यानी किराये की दर भी काफी मात्रा में आ सकती है। यह असेसमेंट तो सिटी का है और इसी तरह से छोटे छोटे म्युनिसिपल एरियाज़ हैं, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी या अन्य ऐसी जगह हैं जहां छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। कपासिन को ले लें। ऐसी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में १८० रुपये का एडजस्टमेंट किया गया या इससे भी बियोन्ड किया गया तो कैसे मुमकिन हो सकता है? इसी डाइमेन्शन का यदि जयपुर में कोई प्लॉट स्थित है तो उसके किराये की वैल्यू ज्यादा हो सकती हैं बनिस्बत कपासिन के। तो ऐसी अवस्था में छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ को इसके साथ में इन्वल्यूड किया गया है कि इनके ऊपर भी उसी दर से टैक्स लगाया जाये, यह खुले रूप से मैं कह सकता हूं कि गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। जब कि सरकार एक तरफ यह कहती है कि हम गरीबों को राहत पहुंचाना चाहते हैं; इसी तरह से यह कानून गरीबों पर कुठाराघात करने वाला आ रहा है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि कम से कम हम अपनी आवाज द्वारा उनका संरक्षण करें। अगर आवाज द्वारा हम नहीं कर सकते तो इसको जनमत जानने के लिए ऐसे बिल को प्रसारित करें ताकि जनता खुलकर अपने विचार रख सके।

मैं समझता हूं कि इस टैक्स को नहीं लगाया जाय। निम्बाहेड़ा प्रोपर में कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी है, जिसने रिज़ोल्यूशन पास करके भेज दिया है कि हम हाउस टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि इस

(श्री अब्दुलजब्बार)

प्रकार का टैक्स लगा दिया जाये । इसका हर जगह विरोध होगा, यह मैं मानकर चलता हूं क्योंकि एक ने ही नहीं बल्कि सब ने विरोध स्वरूप पत्र व तार द्वारा रेज्योल्यूशन सरकार के पास भेजे हैं और दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ भी इसके विरोध में हैं । यह टैक्स लगाने के पहले आपको यह भी सोचना होगा कि जनता के ऊपर कितना टैक्स लग चुका है । इसी बात पर विचार करके फिर इस पर विचार करना चाहिए । ऐसी अवस्था में खुली धारणा है कि हाउस टैक्स लगाने के विरोधी हैं । मेरी मान्यता है कि इसमें जनता के विचार जानना अति आवश्यक है और इस पर जनता के विचार जानने लिए ४ महीने के लिए सर्कुलेट करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या आती है, तब जाकर इस पर विचारविमर्श किया जाये। साथ ही साथ इस अमेन्डिग बिल में एक प्रोवीजन ऐसा है कि चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को किसी किस्म का आदेश दिया जाये, वह चार्ज हैंड-ओवर कर दे और अगर वह उस आदेश को मानने से रिफ्यूज़ करता है तो उसके लिए उसका कन्विक्शन हो सकता है यानी ट्रायल के ऊपर उसको लाया जा सकता है । लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि मौजूदा स्थिति में केसेज़ चलाये गये; गबन के केस में म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन के खिलाफ, उनको फिर से कोर्ट से विद्ड्रॉ किया जाता है। ऐसी भी सूचना मिली है और उदाहरण के रूप में मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि झालावाड़ में ऐसी समस्या उत्पन्न है, सीकर में भी ऐसी समस्या उत्पन्न है । जब कि इस तरह से कानून की अवहेलना करने के खिलाफ केसेज़ चल रहे हैं तो ऐसे कानून लाने की आवश्यकता क्या है ? ऐसी स्थिति में इस बिल के ऊपर जानता के विचार जानना अति आवश्यक है और यह मेरा प्रस्ताव है कि जनमत जानने के लिए इस बिल को सर्कुलेट किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (सैकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ है इसको सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का मैंने प्रस्ताव रखा है । नगरपालिका कानून में लगातार कई दफा ऐसे संशोधन आये हैं कि इन संशोधनों का बराबर सदन ने विरोध किया है । इसके पहले भी जबकि गत विधान सभा का हमारा अन्तिम अधिवेशन था उस समय भी कुछ ऐसे ही संशोधन आये थे जो कि जन-भावनाओं के बिलकुल विपरीत थे और इसका एक बड़ा भारी विरोध होने के बावजूद भी उसी सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर मान्य किया । अभी भी यह जो संशोधन इसमें लाया गया है इसमें जैसा कि सबसे पहला संशोधन है वह यह है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनमें से अगर कोई त्याग-पत्र दे देता है या उसका स्थान रिक्त हो जाता है या अकस्मात् उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान को सहवरण किस प्रकार से किया जाये । मैं उसके सम्बन्ध में ऐसा समझता हूं कि सबसे पहले जो हमारे यहां व्यवस्था थी उसमें व्यवस्था में हमने यह माना है कि यह जो सहवरण की प्रथा है

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह हर हालत में समाप्त होनी चाहिए और किसी प्रकार से सहवरण नहीं करना चाहिए। जो उस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे उसमें रहने वाले थोड़े ही लोग हों, यह होना चाहिये कि उनमें से हरएक को अधिकार मिल जाय कि वह चुन कर आ सके। को-ओप्शन की प्रथा को भविष्य के लिए कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में यदि आप को-ऑप्शन की प्रथा को जारी रखते हैं तो आप माने या न माने कुछ न कुछ लोगों को आप उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। इस मामले में मैं मानता हूं कि गंभीरता से सोचना चाहिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में समान अधिकार देने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष को या समूह को वंचित रखते हैं और दूसरों को मौका दे देते हैं तो यह डेमोक्रेसी के विपरीत है। अगर इसको लाना ही हो तो इस तरह लाना चाहिए कि सहवरण की आवश्यकता न हो। महिला कोई चुनाव में खड़ी न हो तो सहवरण में ले लें। शिड्यूल्ड कास्ट में से लेना है, कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, वह तो एक अलग स्थिति है। लेकिन जो लोकतन्त्र के विपरीत स्थिति है उसको यदि जारी रखें, तो इस पर मैं समझता हूं गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजते तो गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सकता था।

दूसरा इसमें म्युनिसिपल एक्ट का ६६ सेक्शन है उसमें नये परिवर्तन करते हैं। सभापति का त्याग-पत्र, सभापति न रहे अथवा हटा दिया जाय, रिक्त हो जाय स्थान, मोअत्तिल कर दिया जाय या निर्वाचन शून्य कर दिया जाय। कार्य-भार सौंपने की स्थितियां रखी हैं। जैसा इसमें रखा है वैसा न रहे। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं कि न रहते हुए भी प्रेसिडेन्ट मौजूद है, प्रेसिडेन्ट मौजूद है फिर भी बिना उसकी इजाजत के गैर-कानूनी तरीके मीटिंग बुला कर ऐसे फैसले हो जाते हैं कि उसमें बड़ा भारी आगे चल कर आपस में विवाद और द्वन्द रहता है और बड़ा भारी असर पड़ता है; सरकार उसकी अनुपस्थिति में मोअत्तिल कर देती है या और कुछ कार्य करती है जिस कारण इस प्रकार के प्रावधानों का बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। बड़ी सादड़ी में एक केस हुआ, उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा। नगरपालिका का चुनाव हुआ चैयर मैन है उनके काम करने के बाद भी एक दिन वाइस चैयरमैन ने बिना चैयरमैन की इजाजत लिए, बिना पूछे ही मीटिंग बुलाकर फैसले कर लिए और ऑफिस पर अधिकार जमा लिया और ऐसी घोषणा भी करदी कि वे अध्यक्ष नहीं है और वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी सब ने मिल कर कब्जा कर लिया। इस प्रकार रख देते हैं तो वैसी हालत होती है कि दूसरे लोग इस प्रकार हावी हो सकते हैं। खेद है इस बात का कि आज लोकतन्त्र है, जनता का चैयरमैन चुना हुआ, वहां के कुछ अधिकारियों और लोगों ने मिलकर यह किया; डाईरेक्टर और मंत्री महोदय को न जाने कितने तार दिये कि मैं चुना हुआ चैयरमैन हूं, आपके सेक्रेटरी और कुछ आदमियों ने मिलकर यह किया है और उसके खिलाफ इतना होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगस्त महीने में यह हुआ। उन लोगों ने ऑफिस पर कब्जा

(श्री मुरलीधर व्यास)

कर लिया, म्युनिसिपेलिटी की डाक पर भी उन लोगों ने कब्जा किया; कहने लगे कि हम ही संचालन करने वाले हैं। उन्होंने मंत्री महोदय को बराबर लिखा किन्तु कुछ नहीं हुआ। आखिरकार यह हुआ कि उस ऑफिस पर ताला लगा दिया गया। कलेक्टर साहब को भी दरख्वास्तें दी गई कि मेरे कार्य पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा यह किया गया है, आपके अधिकारी भी उसमें शामिल हैं और लोकतन्त्र की जो एक इकाई है नगरपालिका, उस पर इस प्रकार से नाजायज् कब्जा किया गया है। उनको सारी स्थिति से परिचित कराया और यहां तक हुआ कि जिस व्यक्ति ने सहायता पुलिस की मांगी इस मामले में उसको कोई पुलिस ने सहायता नहीं दी और नाजायज कब्जा होने दिया। किसी पार्टी का नगरपालिका में चेयरमैन हो सकता है। उस नगरपालिका में प्रजासमाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। बार बार लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट को लिख रहा है कि मेरे काम में सेक्रेट्री और कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया है, नाजायज तरीके से ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। तार और चिट्ठियां भेज कर लिखा उन लोगों ने; म्युनिसिपेलिटी की डाक तक अपने कब्जे में करली है और चेयरमैन को नहीं दी, उसके ऊपर मंत्री महोदय ने उस सेक्रेट्री का ट्रान्सफर किया। ऑर्डर्स मिलने के बाद वह वहां से रवाना हुआ। यहां आकर किसी मिनिस्टर महोदय या डिप्टी मिनिस्टर से मिलकर, जिन मंत्री ने यह आदेश दिया था कि सेक्रेट्री जो काम में दखल देता है उसका ट्रांस्फर कर दिया जाय, उन्होंने दूसरा आदेश दे दिया कि उसको वहीं वापिस भेज दिया जाय। वह वहां चला गया। फिर गड़बड़ियां पैदा कर दीं और यहां तक कर दीं कि नगरपालिका के दफ्तर में पुलिस को ले आया। ताला उन्होंने तोड़ा पुलिस उस वक्त मौजूद थी, रेकार्ड सारा निकाल लिया और कह दिया कि काम चलने वाला है। अविश्वास का प्रस्ताव आये बगैर काम नहीं हो सकता था। एक महीने पहले प्रस्ताव रखा गया था और उसमें हार गये, उसके बावजूद कलेक्टर महोदय को लिखा, मंत्री महोदय को लिखा, न जाने कितने तार दिये, पत्र दिये। उसका हिसाब लगाएं तो १५ तार होंगे और १५ पत्र होंगे; कि इस प्रकार से मेरे काम में दखलअंदाजी हो रहा है, नाजायज् कब्जा किया जा रहा है, रेकॉर्ड हटाया जा रहा है, कलेक्टर ने सुनवाई नहीं की। एफ. आई. आर. दर्ज करवाते हैं तो वहां कोई सुनता नहीं; आप हस्तक्षेप करिये, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज क्या होता है कि नगरपालिका क्योंकि प्रजा समाजवादी पार्टी की है इसलिये उस पर ताला लगा हुआ है, काम ठप्प पड़ा है। मैं आशा करता हूं, मंत्रीजी जवाब देंगे कि यही बात है या नहीं। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया इस बिल के संबंध में ही बोलें। सारी शिकायतें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हैं उनका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। यह छोटासा, विशिष्ट काम के लिये संशोधन लाया गया है उसी पर अपना भाषण सीमित करें और उल्दी समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति नहीं रहे तो वे कार्यभार ले सकते हैं, इसलिये बता रहा था।

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना रहे बहुत कुछ हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिये मैंने मंत्री महोदय का ध्यान खींचा है।

तीसरा अमेन्डमेन्ट हाउस टैक्स के संबंध में है। हाउस टैक्स के संबध में बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में हाउस टैक्स के बारे में विवाद है। हाउस टैक्स की नीति……

श्री अध्यक्ष : आप हाउस टैक्स की नीति पर नहीं बोलें। जो संशोधन आया है, कम हो, ज्यादा हो आप पूरी बहस कर लेंगे, सवाल यह नहीं है सदन के सामने।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने पहले १२०) रखा था जिसका किराया १२०) आता है उसको बढ़ा कर १८०) कर दिया है। ठीक बात है, उन्होंने इस चीज को बढ़ाया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि मकान किराया उसका आता हो या नहीं, वेल्युएशन निकाल दिया जाय, मकान किराया आता नहीं हो, मकान खाली पड़ा हो तो भी क्या टैक्स लिया जायगा ? हर जगह अलग अलग परिस्थिति है। हमारे यहां ऐसे मकान हैं जिनका किराया आता नहीं है, कीमत बहुत ज्यादा है और खाली पड़ा है, आप कहेंगे वेल्युएशन इतनी निकाल ली है उसके हिसाब से इतना किराया होता है। वह मकान पुरानी पीढ़ियों के आधार पर बना होने के कारण उनके पास है, लेकिन उनकी कोई आमदनी का जरिया हो न हो लेकिन उसके लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था है। या तो वेल्युएशन आती हो, किराया वसूल होता हो, वसूल होने के साथ में मतलब है तो मैं समझता हूं बहुत ठीक है। लेकिन जब किराया आता ही नहीं है और आप कहते हैं कि हम वेल्युएशन निकाल लेंगे, चाहे खंडहर ही पड़ा हो, तो जिनकी कोई आमदनी नहीं है, जिसके पास कोई धंधा नहीं है, पूर्वजों ने मकान बनाया है, उनसे टैक्स लेते हैं तो बड़ा भारी भार उन पर होगा।

यह सफाई का टैक्स है, सेनिटेशन का टैक्स है। आपका यह संशोधन होना चाहिये कि हम लेंगे क्योंकि सेनिटेशन का काम, सफाई का काम म्युनिसिपैलिटी करती है, इसलिये यह जायज है। लेकिन आप काम तो करें नहीं, हमारे यहां यह प्रथा है कि हाउस टक्स हर आदमी को देना पड़ेगा लेकिन भीतर की सफाई और बाहर की सफाई हम हरिजन कर्मचारियों से कराते हैं जिनके लिए १) रु० महीना या २) रु० महीना बंधा हुआ है, हर मकान वाले को देना पड़ता है। एक तरफ से हम अपना पैसा देकर सफाई कराते हैं, सालाना किसी को १२) रु०, किसी को २४) रु० देने पड़ते हैं फिर भी आप कहें कि सेनिटेशन के नाम पर वसूल करेंगे। दूसरे प्रान्तों में, महाराष्ट्र आदि में इसलिये वसूल किया जाता है कि वे काम करते हैं। हमारे यहां परिस्थिति बदली हुई है। काम हम खुद करवाते हैं और टैक्स म्युनिसिपैलिटी ले या सरकार अपने पास रखे। या तो यह संशोधन कर दिया जाय कि यह टैक्स उन लोगों को देना पड़ेगा जिनके लिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

सफाई की जिम्मेदारी सरकार लेगी। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले और फिर भी टैक्स लगाये, यह कहां तक वाजिब है। ठीक बात है आप कहें कि हमने लगा दिया, लेकिन न्याय की दृष्टि से इसे कोई उचित नहीं कहेगा। आपको न्याय के तरीके से लगाना चाहिये; जो अलग अलग समस्याएं और परिस्थितियां हैं उनके आधार पर सोचना चाहिये; यदि ऐसा नहीं सोचा गया तो मैं समझता हूं अलग अलग व्यवस्था के कारण सर्वत्र असंतोष है और यदि आपने उसकी अवेहलना की तो ठीक बात है आप लगावें लेकिन दुरूपयोग होगा और जनता में असंतोष होने से हर आदमी उसका विरोध करेगा और ऐसे टैक्स को सहन नहीं करेगा। इसलिए मंत्री महोदय को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि टैक्स के लिये किस प्रकार की नीति सरकार की रहेगी। कोई नियम नहीं हैं, अलग अलग व्यवस्था है, लगाने का आधार नहीं है, इन सारी बातों के बारे में मंत्रीजी को स्पष्ट करना चाहिये। यदि स्पष्ट नहीं होता है तो मैं मानता हूं कि जनता का सवाल है, जनता में असंतोष हो रहा है। जांच करने का सवाल है कि जिले में क्या अलग अलग व्यवस्था है, ठीक तरह से निर्णय लेना चाहिये। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय ताकि वह सारी परिस्थितियों पर विचार करके निर्णय करे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से बहस चली तो सदन के लिये जो निश्चित टाइम है उसमें समाप्त नहीं हो सकेगा। भाषण संक्षेप में दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्लॉज बाइ क्लॉज पर विचार नहीं हो सकेगा। दो विधेयक हैं। इसलिये लंबी चौड़ी शिकायत म्युनिसिपैलिटीज के खिलाफ आज की जाय तो उचित नहीं है और रूल्स के भी विपरीत है, इसलिये पांच मिनट में जो कहना चाहें तो कह दें।

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, ३ मिनट में मैं खास बात बड़ी सादड़ी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं.....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information. Sir. पहले मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : (श्री शंकरलाल से) आप पहली दफा बोल रहे हैं इसलिये आपको बोलने का मौका दिया जायगा। पहले ये बोल लें।

श्री रामकिशन (वैर) : कांग्रेस वाले बोलते ही कहां हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हमारी तरफ से मंत्रीजी बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट आगामी सत्र में प्रस्तुत करे।

यह इसलिये कि इस संशोधन में जो खास मुद्दा गृह कर का उठाया गया है और उसकी नीति के बारे में छोटे से रूप में संशोधन रखना चाहिये था उस उद्देश्य की पूर्ति

Page No.56

(श्री विजयसिंह झाला)

यह संशोधन नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, अभी जो नीति सारे राजस्थान के कर के बारे में है और जिस प्रकार से सभी नगरपालिकाओं ने प्रस्ताव पास करके भेज दिये हैं उसके बाद में हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि दरअसल में इस कर को नगरपालिकाओं की इच्छा पर छोड़ा जाय या सरकार द्वारा आवश्यकरूप से नगरपालिकाओं पर थोपा जाय, यह बुनियादी प्रश्न है। इसलिये यह आवश्यक है कि पहले दरअसल में नगरपालिका अपने क्षेत्र में नहीं लगाना चाहती है तो यह संशोधन उस रूप में नहीं हो जिस रूप में सदन में आया है। इसका ओप्शन जिस प्रकार बाम्बे प्रान्त में किया गया है, नगरपालिका की इच्छा पर सौंप दिया है, इसी प्रकार से हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जो नगरपालिका लगाना चाहे वह लगावे और बाकी के लिये ओप्शन बनाया जाय।

साथ ही साथ दूसरा इस बारे में मेरा यह भी कहना है कि पहले जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जो किराया आता है उनमें और छोटी नगरपालिकाएं हैं वहां के किराये में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। संभव है कि जिस मकान का जयपुर शहर में ५००) रु० किराया आ सकता है उसी तरह का मकान छोटे गांव में है तो वहां उसका कम किराया आ सकता है, उसके लिये क्या प्रोविजन रखा है, किस प्रकार एसेसमेंट किया जायगा, इसके लिये क्या रूल्स हैं ? क्या गवर्नमेंट बाद में रूल्स बनायेगी या नगरपालिका निश्चित करेगी; यह बड़ा प्रश्न है क्योंकि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां क्लर्क्स को अधिकार दिया है कि वह जाकर एसेसमेंट कर लें। और उसके बाद वह किसी मकान का सौ रुपये का एसेसमेंट करता है तो उसको चेयरमैन पर छोड़ दिया जाता है। तो मेरी समझ में क्लर्क के आधार पर जो मौजूदा परिस्थिति राजस्थान में हो रही है, उसका हमें विरोध करना पड़ेगा। उसका निश्चित रूप से प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि कौन असेसमेंट कर सकता है। इस सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सी शिक्षण संस्थायें हैं–रिलीजियस इन्स्ट्रीट्यूशन और प्रिन्सिपल एक्ट के अनुसार जो मैकेनिकल कारखाने हैं, उनके लिए एग्ज़ेम्प्शनस् हैं तो मेरी समझ में यह भी मैं आवश्यक समझता हूं कि जो शिक्षण संस्थायें हैं या जो रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनके लिए भी एग्ज़ेम्प्शन हों, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो नगरपालिका चुनी हुई है, उसने कोई प्रस्ताव पास किया लेकिन वहां पर जो प्रशासक नियुक्त किया गया वह उस निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। जैसा उदयपुर का उदाहरण है कि जो चुनी हुई नगरपालिका थी, उसने निर्णय लिया कि उदयपुर में कर नहीं लगायें। उसके बाद में प्रशासक नियुक्त किया, उसके द्वारा चुनी हुई नगरपालिका के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है कि वहां कर लगाया जायगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनी हुई नगरपालिका के निर्णय को प्रशासक चुनौती दें, इस बात पर भी हमें सोचना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ इस संशोधन विधेयक के अन्दर Co-option की नीति है,

(श्री विजयसिंह झाला)

उसका भी मैं विरोध करता हूं । शिड्यूल्ड कास्ट्स का व्यक्ति जो चुना हुआ आता है, उसकी जगह खाली हो जाती है तो उसको इलेक्शन के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। क्योंकि Co-option हमारी नीति के विरुद्ध है, हम इलेक्शन को ज्यादा प्रिफरेन्स देते हैं, उसके बाद भी चुने हुए प्रतिनिधि की जगह खाली हो जाती है तो उसको इलेक्शन के द्वारा ही भरा जाना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे वाइस चैयरमैन या प्रेसीडेन्ट की जगह खाली हो जायगी तो उसका वापिस चार्ज किसको दिया जायगा। इसमें लिखा है कि जो प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी होगी उसको दिया जायगा और उसे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी । मैं इस बात का विरोध करता हूं और विरोध इसलिये करता हूं कि बोर्ड में सदस्य मेजोरिटी में मौजूद रहते हैं तो इसे बोर्ड के निर्णय पर क्यों नहीं छोड़ देते हैं। बोर्ड का निर्णय हो, उसी सदस्य को चार्ज दिया जाय ।

इस प्रकार की बहुत सी बातें इस संशोधन विधेयक में हैं, जिस पर प्रवर समिति के सुपुर्द इस विधेयक को करके सोचा जा सकता है । इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज का प्रिन्सीपल एक्ट है उसके अन्दर इसके साथ साथ बहुत से संशोधन आ सकते हैं। अगर आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करते हैं तो उसके जो सुझाव होंगे उन पर भी संशोधन आ सकते हैं और उन पर विचार किया जाता है । आज म्युनिसिपैलिटी के मामलों का निर्णय ए० डी० एम० के हाथ में रख देते हैं, जहां पर तीन साल, पांच साल में फैसला नहीं होता है और आदेश नहीं होते हैं । इस प्रकार की परिस्थिति नाथद्वारा की है, जहां पर अपोजिशन की पार्टी की नगरपालिका आ जाती है, उसका मिनिस्टरी के आधार पर एक ऑफिसर द्वारा फैसला रोक देते हैं । मैं इसका विरोध करता हूं। और इस प्रकार का संशोधन लाया जा सकता है कि इस प्रकार नगरपालिकाओं के निर्णय के विरुद्ध फैसला एक बोर्ड के द्वारा हो ।

(२.०३ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ताकि जल्दी ही उसका सही न्याय मिल सके। उसके बाद नगरपालिका के वार्ड्स नियुक्त करने का सवाल है । उसमें भी संशोधन लाना पड़ेगा कि किसी नगरपालिका के वार्ड्स नियुक्त नहीं हो पाये हैं तो इसका कलेक्टर को अधिकार दिया जाय और जल्दी ही फैसला किया जाय। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ।

ऑडिट नियमों के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि जहां विरोधी पार्टी की नगरपालिकाएं हैं वहां हर छः महीने में ऑडिट होता है, लेकिन जहां सत्ताधारी पार्टी की नगरपालिका है वहां दस साल, पन्द्रह साल में भी ऑडिट नहीं होता है । इस बारे में······

श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) : आप चाहते हैं कि ऑडिट नहीं हो ?

श्री विजयसिंह झाला : मेरा मतलब यह है कि ऑडिट करने की फिक्स्ड नीति हमें निर्धारित करनी पड़ेगी । केवल इसलिए कि कहीं पर जनसंघ की नगरपालिका आ गई या समाजवादी दल की नगरपालिका आ गई, इसलिए हर छः महीने में या पन्द्रह दिन में ऑडिट करवायें, यह सर्वथा गलत कार्यवाही है और इसके बारे में सोचना पड़ेगा । इसलिए मैं प्रस्ताव रखूंगा कि प्रिन्सिपल एक्ट के अन्दर बहुत सी खामियां हैं, जिनके अन्दर संशोधन लाना है और जो संशोधन हमारे सामने आये हैं, उनके अन्दर बहुत खामियां हैं जिनके बारे में सोचना है, और क्योंकि इसमें जनमत का प्रश्न है इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट अगले सत्र में पेश कर दे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने के लिए रखा है । जिन मुद्दों के लिए यह विधेयक लाया गया है, उनमें एक तो मुख्य यह है कि जब कोई म्युनिसिपल बोर्ड चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन या और मेम्बर अपदस्थ हो जाता है किन्हीं कारणों से तो वह यदि चार्ज न दे तो उसके लिए मौजूदा नगरपालिका कानून में कोई व्यवस्था नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए भी जो व्यवस्था मौजूदा विधेयक में की गई है, वह बहुत अनुचित सी मालूम पड़ती है कि कोई मेम्बर चार्ज न दे तो उस पर उसे एक साल की सजा हो सकती है, एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था इस मौजूदा विधेयक में की गई है । चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के प्रति इस प्रकार का Penal clause रखना अनुचित है······

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : पंचायत एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानून से आप प्रेरणा ले सकते हैं, आप प्रेरणा और कहीं से ले सकते हैं ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : फांसी चढ़ाने के लिए रख देना ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की अवश्यकता होते हुए भी कि किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मौजूदा व्यवस्था रखी गई है वह अनुचित है जब कि और दूसरे तरीके हैं जिसमें कि उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार की कार्यवाही करे, चुनाव में चुने जाने से कुछ disqualify कर दिया जाय, उसे अयोग्य कर दिया जाय, या और कोई भी असुविधाजनक स्थिति बना दी जाय, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी एक ऑफिसर, जिसको गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी, वह नोटिस देगा और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी । तो इस प्रकार से वह पर्टीक्युलर ऑफिसर, जिसको गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी, उसके हाथ में एक पॉवर चली जाती है और इसमें यह खतरा उत्पन्न होता है कि सरकार अगर चाहे, किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसने चार्ज न दिया हो, तो उसके आगे ऐसा ऑफिसर नोटिस इश्यू न करे तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती है । इस प्रकार ऑफिसर को बीच में रख कर सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने इन्डाइरेक्ट तरीके से अपने हाथ में इस प्रकार नोटिस देने या इस प्रकार की कार्यवाही करने या न करने की शक्ति ले ली है, जिसके दुरुपयोग की सम्भावना हो सकती है और जिस प्रकार का रेकॉर्ड हमारी मौजूदा सरकार का रहा है, विरोधी दल के बोर्ड के साथ उस रेकॉर्ड को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान, जिसमें किसी ऑफिसर के हाथ में किसी काम को करने या न करने का रहे, यह ठीक नहीं है, इसलिए इसमें भी उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, इस नये विधेयक में जो हाउस टैक्स है, उसकी मौजूदा लिमिट्स में एक संशोधन किया गया है, लिमिट्स को ऊँचा उठाया गया है १२० रुपये से १८० रुपये सालाना किया गया है......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वापिस घटाना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, हाउस टैक्स एक डाइरेक्ट टैक्स है, जिन लोगों की रेंटल वेल्यू अधिक है, वे म्यूनिसिपल बोर्ड को सफाई या और कार्य के लिए टैक्स दें इस रूप में दूसरे जो इन्डाइरेक्ट टैक्स, जिनके ऊपर म्युनिसिपल बोर्ड अब तक निर्भर रहते हैं, उनकी निस्बत यह टैक्स अधिक साइन्टिफिक है, यह उसूल सही हो सकता है। लेकिन जिस रूप से इस टैक्स को इस म्यूनिसिपल एक्ट के जरिये इम्पोज़ किया गया है, इसको कम्पलसरी बनाने के सम्बन्ध में इससे पूर्व जब कि यह बिल पास हुआ इस सदन में, उस समय हमारे प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था परन्तु आज जिस शक्ल में यह है, इसमें जो डाइरेक्ट टैक्स की विशेषताएं होनी चाहिये, यह टैक्स इन विशेषताओं से वंचित है। यह दरअसल टैक्स का बोझ उन लोगों पर पड़े जिनके पास अधिक प्रोपर्टी हो, जो अधिक रेन्ट वसूल करते है, उनके रेन्ट की मात्रा के अनुपात से टैक्स देना पड़ता तो मैं इसको तहेदिल से समर्थन करता। परन्तु जिस रूप में यह मौजूद है और जिस रूप में संशोधन करने की कल्पना की गई है इस विधेयक द्वारा उसमें यह कमी है कि किसी एक व्यक्ति के पास अलग अलग २० मकान भी हों तो पुरे २० मकानों का एसेसमेंट, रेन्टल वेल्यू अलग अलग देखी जावेगी और अगर एक मकान की रेन्टल वेल्यू कम है तो उस कलेक्टिव रेन्टल वेल्यू को नहीं देखा जावेगा और वे दूसरे तमाम मकान उस व्यक्ति के बच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक आदमी जिसके मकान का रेन्ट १८० रु० सालाना आता है और दो दो रुपये माहवार के १० आदमी उसके मकान में रहते हैं तो उस हाउस टैक्स को उन सब पर शिफ्ट करने में किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, समझता हूं कि इस हाउस टैक्स को पुराने म्युनिसिपल एक्ट में जो मौजूद है या जिस प्रकार से सिद्धान्तिक रूप माननीय मंत्री रखना चाहते हैं वह दोनों तरह से और बुनियादी तरीके से डिफेक्टिव है। इसको कम्पलसरी बनावें और लिमिट इतनी नीची रखना और उसका बर्डन रेन्ट लेने वालों पर पड़ने के बजाय किरायेदारों पर शिफ्ट होने की खुली छूट होना यह जो इसकी अच्छाई हो सकती है वे तीनों कमियें इसकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अच्छाई में खराबी कर देती है। इस रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत है इस बात पर विचार करने की कि इसको इस शक्ल में रखा जावे जिसमें तीनों सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिससे म्युनिसिपल बोर्ड को पर्टिकुलर टैक्स लगाने के लिये बाध्य नहीं किया जाए। जिससे कि साधारण आदमी जो मिडिल क्लास पीपल कहलाते हैं, या जिनको लो पेड कर्मचारी कहते हैं, उनको जो किराया देना पड़ता है उसके अलावा टैक्स का बोझ वहन नहीं करना पड़े। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस बात की गारन्टी होनी चाहिये कि वह बर्डन किरायेदार पर शिफ्ट न कर सके और वह लैंडलोर्ड पर ही रहे। इस प्रकार की गारन्टी इस कानून में होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि Rajasthan RentControl & Eviction Act के तहत किसी भी म्युनिसिपैलिटी के टैक्स को बगैर कॉन्ट्रेक्ट के लैंडलोर्ड को वसूल करने का अधिकार है। इसलिये जब तक मौजूदा विधान में उसको वेव नहीं किया जा सकता है। जिसका लैंडलोर्ड को अधिकार है। जब तक कानून में एमेन्डमेंट नहीं किया जावे, आप किरायेदार को उससे मुक्त नहीं कर सकते।

मैं समझता हूं कि दो तीन मुख्य मुद्दे एमेन्डिंग विधेयक के हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं और खामियों से भरे हैं जो ये मौजूदा विधेयक में रखे गये हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे और मैंने अपना रिजोल्यूशन प्रवर समिति में भेजने का रखा है उसमें कहा है कि रिपोर्ट दो दिन में कर दी जावे, ऐसा मेरा सुझाव है। इस मामले को लटकाये रखा जाना या अपूर्ण रखा जावे यह मैं नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि जो सुविधाएं पब्लिक को दी जानी चाहियें, उसके हित में देरी होना उचित नहीं है। मगर वास्तव में जो सुविधाएं आप देना चाहते हैं वे नहीं दी जा सकती हैं। इसलिये यह सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिये। इसलिये यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो बातें औरों ने कही हैं और दलीलें पेश की हैं, मैं उन दलीलों को दोहराना नहीं चाहता और उनके अलावा कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जो एमेन्डमेंट रखा गया है बिल में क्लॉज २ में यह प्रावधान किया है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज़ में नये एक्ट की तहत बोर्ड का निर्माण नहीं हुआ है उसमें को-ऑप्शन का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन के लिये चिन्ता की बात है कि अभी तक कई म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन नहीं हुआ है। सन् ५९ में नया एक्ट बना। उनको तीन साल पूरे हो रहे हैं। उस पुराने एक्ट में म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं उनका भी अभी रिकॉन्स्टीट्यूशन नहीं हुआ है। यदि हम यह भी मानें कि अक्टूबर या सितम्बर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में निर्माण हुआ तो भी साधारणतः उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। इसलिये अब तक रिकॉन्स्टीट्यूशन हो जाना चाहिये था मगर नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि एमेन्डमेंट है उसका मैं सिद्धान्ततः विरोध करता हूं, मगर आपने अभी तक अपने एक्ट के अनुसार कई म्युनिसिपैलिटीज़ का, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, रिकॉन्स्टीट्यूशन नहीं कराया है।

अभी कुछ दिन पहले सदन में माननीय मंत्री ने कहा था कि १०४ म्युनिसिपैलीटी ऐसी हैं जिनका चुनाव दिसम्बर में कराया गया था। परन्तु पिछले सत्र में कहने के बावजूद भी सन् ६२ तक चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। यह मैं इस कारण से कहता हूं कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये हैं।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज २ के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। उसकी वहत में सरकार को काफी अधिकार था इसके अलावा दफा ३०१ म्युनिसिपल एक्ट में आपको काफी पॉवर्स रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज़ में हैं। इसके बावजूद भी आपने यह तरमीम पेश की है।

इसके बावजूद संशोधन पेश किया है, उसका मैं विरोध नहीं करता पर जो अभी तक म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव नहीं करा पाये हैं उसके द्वारा आपके विभाग में जो इन्एफिशियेन्सी है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि तीन तीन साल तक चुनाव नहीं होवें, यह विभाग के लिए शर्म की बात है। आइन्दा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ज्यों ही अवधि पूरी हो, नये बोर्ड को उसका चार्ज ले लेना चाहिये।

एक मूल संशोधन किया गया है, श्री रामानन्दजी ने अभी कहा कि हैंडिंग ओवर ऑफ चार्ज के बारे में प्रावधान रखा है, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि पंचायत एक्ट से इस प्रोविजन को लिया है। मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि हमारे देश में जनतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने चेयरमैन, कितने वाइस चेयरमैन ऐसे थे कि जिन्होंने अपने पद का चार्ज नहीं दिया और कितने म्युनिसिपल बोर्डों में चार्ज को लेकर झगड़े हुए ? ये सारी घटनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारे देश में जनतन्त्र की परम्पराएं बहुत ही कमजोर हैं।

पंचायतों में तो यह दलील देते थे कि पंच, सरपंच नये हैं, उप-सरपंच नये हैं, ट्रेनिंग उन्होंने ली नहीं है इसलिये इस प्रकार की चीजें इसमें रखी हैं, पर म्युनिसिपैलिटीज़ के कानून में इस प्रकार का प्रावधान ला रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी जगह म्युनिसिपैलिटीज़ चालीस - चालीस साल से कार्य कर रही हैं, उनको गांवों की अपेक्षा ज्यादा ट्रेनिंग मिली है, कार्य करने का उनका एक अनुभव है। ऐसी दशा में यह प्रोविजन ला रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि आप यह मानते हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स नहीं बढ़ पाये हैं। मैं नहीं समझता कि नगर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पालिकाओं में इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि पद का चार्ज न देने की हालत में १,०००) रु० का जुर्माना और एक साल की कड़ी सजा का प्रावधान रखें। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स में हर बात में चुने हुए प्रतिनिधियों को, जुर्माना और कैद की सजा दें, यह परम्परा ठीक नहीं रहेगी। दूसरी पाबन्दियां लगा दीजिये, पर चुनावों से जो जीते हैं उन पर इस प्रकार की पाबन्दियां लगाना अच्छा नहीं रहेगा। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये इस प्रकार की सजाओं का प्रावधान रखते हैं तो संभव है कल गवर्नमेंट से चार्ज लेने का प्रश्न आ सकता है, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर कुर्सियां नहीं छोड़ें तो उनके लिये भी १,०००) रु० जुर्माना और एक साल की कड़ी सजा का प्रावधान रखना पड़ेगा।

इसलिये जो प्रावधान रखे हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं है कि चार्ज देने में इस प्रकार की सजा देने के प्रावधान को रखने की आवश्यकता पड़े।

तीसरा प्रावधान हाउस टैक्स का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हाउस टैक्स का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बड़ी आवश्यकता है। जो मकान किराया नहीं कमाते, उनको किसी प्रकार का हाउस टैक्स देने के लायेबल बनाने की अवश्यकता नहीं। जो अपने घरों में रहते हैं उन पर भी हाउस टैक्स लगेगा तो लोगों में मकान बनाने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी। मकान बनाने के लिये मीडियम टर्म लोन देते हैं, लो इन्कम ग्रुप वालों को वह सब प्रेरणा समाप्त हो जायगी। इसलिये मैं इस बात की मांग करता हूं कि १० हजार से कम सीमा के अपने मकान में रहते हैं, जिनकी १८०) रुपया एन्युअल रेंटिंग वेल्यू इन्कम है, उस आमदनी तक तो छूट होनी चाहिये, इसके आगे हाउस टैक्स लगाइये। ३० सितम्बर से नोटिस आपने इश्यू किया है, स्लेब सिस्टम रखा है पर सारे एक्ट में कहीं कोई सीमा विधान सभा से नहीं रखाई है कि किस सीमा तक हाउस टैक्स लगेगा, इस प्रकार के अनबिर्डल्ड पॉवंस सरकार के हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। १० परसेंट, २० परसेंट की सीमा रख सकते हैं पर कोई सीमा नहीं रखना और सरकार के हाथो में इस प्रकार के अनबिर्डल्ड पॉवर्स दे देना अनुचित होगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस टैक्स लगाने के साथ साथ सीमा निर्धारित करें। पहले ५ परसेंट लेते थे फिर ४ परसेंट कर दिया और कहीं साढे सात परसेंट कर दिया तो मैं आवश्यक समझता हूं कि विधान सभा के द्वारा इस प्रकार की सीमा का निर्धारित किया जाना परमावश्यक है। राजस्थान सरकार की जो यह परम्परा बनती जा रही है कि इस प्रकार के अनबिर्डल्ड पॉवंस अपने हाथ में ले लेती है, इसका मैं विरोध करता हूं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन से इस प्रकार की सीमा निर्धारित करवायें।

(अनेक सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बिल सदन के समक्ष पेश है, मैं इन अमेंडमेंट्स का सपोर्ट करता हूं । आज जिन स्थितियों की वजह से सरकार को अमेंडमेंट्स लाने पड़े हैं वे ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से दूसरी जगहों से म्युनिसिपैलिटियों की शिकायतें आती थीं, उन शिकायतों को दूर करने के लिये इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं होता, उस वजह से सरकार को एक्ट करने में दिक्कत आती थी और म्युनिसिपैलिटियों की हालत बद से बदतर होती थी ।

फिर मैंने खुद ने कहा है कि यह एक्ट खुदबखुद कमजोर और ऐसे कपड़े से बना हुआ है जो जर्जर है, इसको कहीं पर टांका लगा कर या सीं कर ठीक नहीं किया जा सकता, जहाँ भी टांका लगायेंगे वह फट जायगा, एक जगह से टांका लगायेंगे तो चार जगह से फटेगा। इस चीज के लिये जिम्मेदार हमारा विरोधी पक्ष है । जब यह एक्ट बन रहा था तो इतनी जल्दी, इस तरह बनाया कि मैंने खुद ने कहा था कि जनसंघ इस एक्ट को किसी काबिल नहीं बनने देना चाहता · · ·

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे बताने की कृपा करें कि वे कोनसे प्रोविजन्स थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे कहूंगा कि आप धीरज रखिये, आपके नेता से बात करिये ।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस एक्ट की पूरी तरह से छानबीन की जाय, इसमें आमूल परिवर्तन करके इसे वर्केबल बनाया जाने के लिये इकट्ठे अमेंडमेंट्स आने चाहिये जिससे की यह सही तरीके से वर्केबल हो सके । यों ये अमेंडमेंट्स जरूरी हैं काम चलाने के लिये ; पर इन अमेंडमेंट्स से तागा खिंचेगा तो तीन-चार जगह छेद हो जायेंगे । यह एक्ट ठीक नहीं है, काबिल नहीं है, दो सौ ढाई सौ अमेंडमेंट्स इसमें हों तो कहीं जाकर यह वर्केबल हो सकता है ।

मैं यह मानता हूं, जिस तरह कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा इस तरह की पैनल्टी क्लॉज रखना बहुत गलत होगा, उनको जो अपने बराबर के हैं, जो आपकी तरह वोटों से चुन कर आते हैं, जो आपकी ही तरह जनता के चुने हुए हैं, आप भी उन्हीं की तरह से आये हुए हैं, आपके सामने उनकी दयनीय दशा किसी हालत में नहीं होनी चाहिये । उनको दीनता की हालत में डालेंगे तो सारा जनतन्त्र दीनता की हालत में चला जायेगा ।

और भी प्रोविजन्स हैं जिनके बारे में मैं पुरजोर अपील करूंगा कि उन प्रोविजन्स को भी आप निकाल दीजिये ।

आज क्या हो रहा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ नीचे के क्लर्क्स हैं, तो जो लोग चुनावों में हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ पुराने ड्यूज निकाल कर उनको उसके लिए नोटिस दे देते हैं । चाहे वह जायज हो या नाजायज हो चुनाव से वंचित करने के लिए यह किया जाता है । नोमिनेशन आगे किसी दिन है ड्यूज निकाल करके नोटिस देकर उस नोमिनेशन को रिजेक्ट करा देते हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों में भइयों में, तो आप इस प्रकार का प्रोविजन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रख देते हैं और उनसे इस प्रकार रुपया वसूल कर सकते हैं तो क्यों नहीं जिन लोगों में सैकड़ों रुपये तकावी के बाकी हैं, बड़े बड़े लोगों के अन्दर सरकार का रुपया बाकी है, जब विधान सभा के चुनाव होते हैं तो उसके लिए इसकी जरूरत नहीं, नगरपालिका के चुनाव होने लगते हैं तो चट से लिस्ट निकाल देते है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं करता, क्यों नहीं एम. एल. एज़. के लिए ऐसा हो और केवल नगरपालिका के लिए ही क्यों हो ? कई एम. एल. एज़. पर सरकार का रुपया बाकी है । उनसे रुपया वसूल करने का प्रोविजन नहीं है, जिनके वोट के अधिकारों पर चुने हुए आज यहां बैठे हैं, उन छुट भइयों के ऊपर इस प्रकार का बंधन लगाते हैं । पहले खुद ईमानदार बनो, असेम्बली के लोग पहले ईमानदार बनें; जिस चीज को आप नहीं कर सकते तो उन पर क्यों लागू करते हैं ? एक क्लर्क ड्यूज़ बना कर दे देता है, सही या गलत, जिस किसी तरह से उसको डिबार करने के लिए कर दिया जाता है, तो उस क्लर्क की मेहर-बानी पर उन लोगोंको छोड़ना चाहते हैं, सारी म्युनिसिपैलिटीज़ की जनता को उनका गुलाम बनाये रखना चाहते हैं । इलेक्टेड लोगों को अधिकार दिया जा सकता है कि जिस किसी चीज़ को गलत समझते हैं तो इन्टेस्ट लेकर उसको दूर करें । आपको अधिकार है, आपका हक है । आप समझते हैं कि इलेक्टेड आदमी को नहीं करना चाहिये ? एक साल, दो साल, तीन साल के लिए किसी को निकाल दीजिये; लेकिन मैं कहूंगा कि किसी को इज्जत नापना इस प्रकार से सरकार के लिए गलत होगा । इसलिए आप इस ड्यूज़ वाले प्रोविजन को इसमें से निकाल दीजिये ।

जहां चुनाव की बात आती है, मैं कहूंगा कि इसको पोलिटिकल डिपार्टमेंट नहीं बनाना है । तो मेरी दर्ख्वास्त है कि इसके लिए एक स्वतन्त्र कमीशन बना दीजिये म्युनिसि-पेलिटी में चुनाव कराने के लिये ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : इसको इलेक्शन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दे दिया गया है । इस बारे में डिसिज़न ले लिया गया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसकी बहुत ही तारीफ करता हूं, आपकी इस घोषणा की । आपने यह एक सुन्दर बात की है । शहरों के लोग म्युनिसिपैलिटीज़ में और हर आदमी आपके इस एक्शन की तारीफ करेगा । आपने यह सही कदम उठाया है । आप अमेन्डमेंट के द्वारा इलेक्शन को अधिकार देंगे । कई लोग कुछ गड़बड़ियां करते हैं । एडमिनिस्ट्रेटर जहां होता है वह चाहता है कि छः महीने चुनाव न हों । कोई वार्ड नहीं बनाता । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सब अधि-कार आप इस संशोधन के द्वारा दे देंगे । हमारी ये स्वायत्त संस्थायें फिर पूरे जोर से चलेंगी । मैं सब अमेन्डमेन्ट्स को सपोर्ट करता हूं और सदन से अर्ज करता हूं कि जरूरी अमेन्डमेन्ट है उसको मंजूर करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस टैक्स के बारे में यो अमेन्डमेन्ट मंत्री महोदय द्वारा रख्यो गयो है

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

व्हीं का सम्बन्ध में कुछ सदस्यां री राय आपके सामें आयी । ई सम्बन्ध में हाउस टैक्स जिको लागू हुवे या न हुवे है ई को निरणय बहुमत करेगा, पर आप लोगां रे सामने या बात राखनी जरूरी है । अब जिको एक्ट है व्हीं ने देखता चाहें यो अमेन्डमेन्ट करो, ई ढंग को अमेन्डमेन्ट एक नहीं सौ अमेन्डमेन्ट रखोगा तो स्वायत्त शासन रो काम पूरण होवा वालो नहीं। जिको अपूरण है कितना ही संशोधन कर्या जाओ पूरण नहीं होवा वालो है । स्वायत्त संस्था रो जिको शहरा रो संचालन हुआ बहुत तप्योंडा और स्याणा लोग व्हीं के माय्ने लाग्योडा है, वा चलवा वाली नहीं और मारा साथी सलाह-मश्विरा देता रह्या । अमेन्डमेन्ट और संशोधन लाया हों एक्ट में संशोधन करो और अमेन्डमेन्ट काम आवा वाला नीं ।

हाउस टैक्स रा विषय में मारो निवेदन करनो यो है कि अबै जिका टैक्स लगता थका हीं म्युनिसिपेलिटी में काम चले है, कई टैक्स लगार राख्या है । कई जगह म्युनिसिपेलिटी री ईसी हालत है कि सबसिडी और विशेष सहायता मिले वाही व्हीं काम में लागे नीं । पहला जिका टैक्स है ठीक काम में आवे नहीं, नया नया टैक्स लगाता जाओ, लोगां री जेब गरम करता जाओ । हाउस टैक्स लगा रह्या हो ईकी जड़ा कमजोर है; असेसमेन्ट मनमान्या ढंग से करेगा । और कोर्टा में जावेगा। पूर्ण ढंग से असेसमेन्ट नहीं होवेगा और लोगो ने बड़ी तकलीफ होवेगा । १) रु० टैक्स असेस करवा वाला बारह आना कमा जावेला । हाउस टैक्स रो अमेन्डमेन्ट रख्यो वीं संशोधन में अपूर्ण है और हमेशा भ्रष्टाचार ने बढ़ावा वालो है । हाउस टैक्स को मसलो ही सोच समझने राखणों चाइजे । चेयरमैन वगैरा चार्ज न देवे, जुर्माना दिया जावे, सजा दिया जावे या प्रजातन्त्र रे बिलकुल विपरीत है । ऐसी बातां कदी आणी नहीं चाइजे । विधान सभा में चुण्योडा आदमी राखो तो चुनाव भी नगरपालिका में कराओ और इलेक्शन डिपार्टमेन्ट ने दीयो व्हीं को स्वागत कर्यो है। मारा से पूर्व वक्ता ज्वालाप्रसादजी ने फरमायो, हजारों रुपया तक लोगों में बाकी है, एम. एल. ए. बन्योड़ा बैठ्या है, परन्तु वां पर विचार नीं होवे । परन्तु १०), २०) का डिमान्ड नोट निकालर नगरपालिका चुनाव रा अधिकार छीन ले । पार्टी को कोई चेयरमैन होवे, गड़बड़ी कर जावे ईको कुछ नहीं । संशोधन करवा जाओ ईका ऊपर ध्यान न देओ, वोट जिका देन भेज्या है व्हीं का साथ अन्याय करो, यो काम चलवा वालो नहीं । यो अमेन्डमेन्ट प्रवर समिति के समक्ष जाणो चाइजे । मा बिठा का रहवा वाला हां, म्युनिसिपेलीटी की कांई स्थिति है जिकी जाणा हां । लोग समझें नहीं । या तो मंत्री महोदय ने आदेश देओ, जठा जठा म्युनिसिपेलिटी चुण्योड़ी होवे ठीक तरह सूं असेस करे । हाउस टैक्स को मुद्दा है प्रोपर्टी किराये पर नहीं लगायोड़ी है और दूसरो तरह की बातां है, दिशावर में लोग रहवे है । १५, २० मकान है । बड़ो सिर दर्द हो जावेला । आपां जिका लोग राजस्थान सरकार रे जिम्मे छोड़कर जवांला तो वे लोग जिणाने इनमें रुचि है वे आणां नहीं । ये चीजां विचार करके ई पर अमल हुणो चाहिजे । इण वास्ते म्हारो ओ निवेदन है कि इण बिल ने प्रवर समिति के सुपुर्द कर देनी चाहिजे ताकि भृष्टाचार ने कम प्रोत्साहन मिले,

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द ।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसके एक क्लॉज से मुझे घृणा है । १८०) रुपये का क्लॉज है, उससे पहले इसमें हमने १२०) रुपया रखा था । जो मकान १२०) रुपया वार्षिक वेल्यू का है उस पर हाउस टैक्स लगेगा । अलवर, नगरपालिका के द्वारा जारी किये गए कुछ पत्र भी मुझे देखने को मिले जिसमें १२०) रुपये की वेल्यू वाले मकान पर भी हाउस टैक्स लगाया गया है । उसके नियमों के अन्तर्गत जो जानकारी दी गई उसमें यह है कि जिस मकान की वेल्यू १२०) रु० वार्षिक की है उस पर टैक्स लगेगा । अब इस संशोधन को देखकर जो पेश हुआ है उसमें १८०) रुपये वार्षिक कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो क्लॉज है, वह महत्वपूर्ण है । नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जो किराये के लिये नहीं, बल्कि अपने रहने के लिये मकान बनाये हैं । उनके पास झोपड़ियां थीं । आग न लग जाय इस डर से इधर-उधर से पैसा लेकर एक दो कमरे पक्के बनवा लिये हैं ताकि उसमें अपना सामान, अपने बाल बच्चों को आग से बचाया जा सके । उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिये कर्जा लेकर के, रूखी सूखी खाकर अपने रहने के लिए एक एक मकान बनाया है जिसमें कपड़े लत्ते सुरक्षित रह सकें, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि १२०) रुपये की जगह १८०) रखा है वह भी कम है । इससे एक महीने के किराये की वेल्यू १५) रुपया आती है । आज की स्थिति में मामूली से मामूली मकान की वेल्यू १५) रुपया मासिक है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): विशेष मेहरबानी है आपके साथ गवर्नमेन्ट की ।

श्री गोकुलचन्द : हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि १५) रुपये का मकान है उस पर भी यह लग जायगा । मेहतर हैं जो सफाई का काम करते हैं, झूठे टुकड़े खाते हैं, लेकिन उन्होंने भी आग की मुसीबत से बचने के लिये एक एक मकान बना लिये हैं । उनके मकान का भी १५) रुपया किराया आ सकता है, ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि १५) रुपया बहुत कम है । कम से कम जिस मकान का किराया २५) रुपया मासिक आ सकता है, उससे तीन सौ रुपया साल का होता है, इतनी आमदनी जिसकी है उससे हाउस टैक्स लिया जाय, उससे कम को हाउस टैक्स से छूट दे दी जाय । इससे गरीब तबका हरिजन वर्ग है उसको छूट मिलेगी । इस पर स्वायत्त शासन मंत्री विचार करके इसको मंजूर करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है । समय कम है इसलिये अब इस बारे में मंत्री महोदय जवाब देंगे और मैं भविष्य के लिये निवेदन करूंगा कि जो भी भाषण हो उसमें प्रस्ताव के प्रस्तावक को १० मिनिट से अधिक समय नहीं दिया जायगा और बाकी माननीय सदस्य अपना भाषण पांच पांच मिनिट में समाप्त करें, ताकि सारा कार्य समाप्त हो सके ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री बरकतुल्ला खां(स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने कई जगह म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हुए यह बात रखी, यह बात अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है। मैं मानता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हों और जल्दी से जल्दी होने चाहिएं। इलेक्शन में जो देरी हुई है उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं। उसकी वजह यह नहीं थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहता हूं या एडमिनिस्ट्रेटर जहां होंगे मेरा स्वागत होगा। यह भी बात नहीं थी। मेरा ज्यादा स्वागत तो इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट होंगे वे ज्यादा करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : इसका मतलब स्वागत के इच्छुक आप भी रहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : स्वागत की बात कही थी, इसलिये मैंने यह कहा था। स्वागत तो पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो भी होगा और नहीं होगा तब भी होगा। यह बात सही है कि कुछ म्युनिसिपैलिटीज के टर्म्स एक्सटेन्ड हो गये हैं। १९६१ की जो सेन्सस रिपोर्ट है उसके सेन्सस फीगर्स हमें ६२ से मिले। उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के फीगर्स अलग करने पड़े, उसमें एक वक्त लगा। मेरे पास दो तरीके थे या तो मैं फौरन इलेक्शन करवा देता, नए सिरे से इलेक्शन करवा देता लेकिन मैंने यह फैसला किया म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नई सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर होने चाहिये। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को अलग करना पड़ा।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a point of information. Will the Hon'ble Minister please say what is the difference between Scheduled Tribe and Scheduled Caste ?

श्री बरकतुल्ला खां : शिड्यूल्ड कास्ट से मतलब लिया जाता है, हरिजनों से। शिड्यूल्ड ट्राइब्ज भांभी, बलई, शहर के आउटस्वर्टस में जो लोग रहते हैं उनसे है; उनके लिये यह तय हुआ कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये अलग फैसला होगा, उनका अलग तरीके से रिप्रजेन्टेशन होगा, इसलिये इनके फीगर्स अलग करवाने पड़े। किसी म्युनिसिपैलिटी का टर्म बढ़ाते हैं, किसी का नहीं बढ़ाते हैं, तो कहा जाता है कि भेदभाव रखा जाता है, इसलिये अब फैसला करके तय किया है कि ५९ म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन एक साथ में किये जायं। इलेक्शन की तैयारी नहीं हुई, यह कहना ठीक नहीं है। इसके बारे में काफी तैयारी की जा चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप यह तो बता दें कि क्या क्या तैयारी की जा चुकी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेन्ट ने क्या क्या एक्शन लिये हैं :

1-8-62—Fixation of Seats.

30-10-62—Primary Publication.

15-12-62—Final Publication of Electoral Rolls.

20-1-1963—Final Publication of Electoral Rolls.

21-1-1963—Issue of Notification of Election.

1-3-63—Polling.

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसके साथ साथ जोर यह दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर नये मुकर्रर किये गये हैं। मैंने लास्ट टाइम इस सदन के अन्दर कहा था कि नॉन-ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर एक भी मुकर्रर नहीं करूंगा। वह नहीं किया गया। तीन आदमी जो काम कर रहे थे उनका टर्म जरूर एक्सटेन्ड किया किन्तु एक भी नॉन-ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर कहीं भी मुकर्रर नहीं किया।

इसी दौरान के अन्दर हाउस टैक्स का भी जिक्र चला। हाउस टैक्स के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर से बोले वे, अभी यहां है नही। लेकिन बोलना था बोल गये। इस तरह से दोस्तों के अन्दर बोलते बोलते तेजी आ ही जाती है। यह टैक्स १९५९ के अन्दर धारा १०४ के मातहत कम्पल्सरी टैक्स माना गया था और गवर्नमेन्ट को इजाजत दी गई थी, नोटिफिकेशन के जरिये, वह टैक्स लगा सकती है। और यह टैक्स १० अक्टूबर, १९६० से लगने वाला था। मेरे से गलती यह हुई कि मैं इसे ६२ से लगा रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उस वक्त चुनाव का खटका था।

श्री बरकतुल्ला खां : सदन में आ जाने के बाद भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते थे।

श्री हरिराम (तिजारा) : मरजी पर ही छोड़ दीजिये म्युनिसिपैलिटीज़ के।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे से तो कुसूर यह हुआ कि मैंने इस टैक्स की डेट ६२ से रखी। मैं यह चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज़ की इनकम बढ़े अपने सोर्सेज से और विरोधी दल के सदस्य चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी एक गवर्नमेन्ट का विभाग बन जाय। वे चाहते हैं कि सरकार रुपया दे, हमेशा म्युनिसिपैलिटी सरकार का मुंह देखती रहे। आज सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि वह हरेक को दे सके। अगर आप चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी सड़कें न बनाये या रोड लाइट्स आदि का इन्तजाम न करे, केवल सफाई का ही काम करती रहे तब तो बात दूसरी है। लेकिन आप म्युनिसिपैलिटी को जिम्मेवारी देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिये टैक्सेज़ के साधन जुटाने होंगे। बिना खुद के साधन जुटाये म्युनिसिपैलिटी आगे नहीं बढ़ सकतीं। १३ म्युनिसिपैलिटीज़ ने हाउस टैक्स के नहीं लागू करने में रिजोल्यूशन पास करके भेजे, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। चाहे बात बुरी लगे, मेरे खिलाफ आप हो जायं उसकी मुझे परवाह नहीं; लेकिन मैं म्युनिसिपैलिटीज़ की इज्जत बढ़ा कर रहूंगा। उनकी हालत ठीक करने का बीड़ा उठाया है, उसको ठीक करके रहूंगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती कि उसके यहां काम न हो; लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी सोचती है कि उसका काम बिना हाउस टैक्स लगाये चल सकता है तो वैसी हालत में सरकार क्यों मजबूर करती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे दोस्त आखिर कौनसा टैक्स जायज समझते हैं। कोई भी म्युनिसिपैलिटी आगे होकर टैक्स लगाना नहीं चाहती; सब आकर कहती हैं लोन दो, एड दो।

श्री हरिराम : बहुत से टैक्स लगाये हैं। सारे टैक्स क्या राज्य सरकार ही लगाती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : आखिर सदन इस बात का फैसला करे कि शहर के अन्दर सफाई के अलावा क्या म्युनिसिपैलिटीज़ से और काम नहीं लेना चाहते; और कोई प्रोग्रेस नहीं चाहिये, तो टैक्स भी नहीं चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि शहरों की तरक्की हो तो आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का साथ देना होगा और उसके द्वारा जो भी टैक्स के प्रोपोज़ल हों उनको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड सरकार के सामने न जायं। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट अपनी जगह पर इज्जत के साथ जमी रहे, अपना हिस्सा जो है वह बराबर लेता रहे, उसको सरकार का मुंह देखने की जरूरत न रहे।

हाउस टैक्स का जहां तक सवाल है शहरों के अन्दर १२० की लिमिट थी उसको हम बढ़ाकर १८० पर ले आये। जो चीज आप गलत समझते हैं उसको गलत समझें हमने इसमें ध्यान रखा कि लो इन्कम ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिये। एक प्रजा समाजवादी माननीय सदस्य ने फरमाया कि बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं, उन खाली हवेलियों पर भी टैक्स लग जायगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जो सोशिलिज्म की बातें करते हैं और कहते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप सीलिंग लागू क्यों नहीं कर देते ?

श्री बरकतुल्ला खां : १८० रुपये की वेल्यू वाले मकान पर जो हाउस टैक्स रखा है उसके हिसाब से १२ रुपया उन पर साल का लगेगा। टैक्स के अन्दर यह दस प्रतिशत के रिपेयर्स को दे करके लगाया गया है। हम चाहते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ को मजबूर करें जिनके पास बड़े बड़े मकान, हवेलियां या बंगले हैं उनको बराबर टैक्स देना पड़ेगा। उन पर टैक्स नहीं लगता है तो शिकायत रहेगी।

बड़ी सादड़ी के बारे में कुछ कहा गया। जिस वक्त बड़ी सादड़ी की बात मेरे सामने आयी जिस वक्त वहां का रिप्रेज़ेन्टेशन आया कलेक्टर से मैंने कहा वे इन्क्वायरी करें। उन्होंने रेवेन्यू इन्स्पेक्टर से जांच करवाकर रिपोर्ट भेजी। मैंने उसको माना नहीं कलेक्टर को फोन किया कि वे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, के बारे में जो झगड़ा चल रहा है कलेक्टर खुद जाय और देखे। दस दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जायगी। उसके बाद ही फैसला होगा। यहीं बैठकर मैं फैसला करने वाला नहीं कि प्रेसीडेन्ट जायज है या वाइस प्रेसीडेन्ट। यदि मैं प्रेसीडेन्ट का पक्ष लेता हूं वाइस प्रेसीडेन्ट कहेगा मेरे से क्या दुश्मनी थी। जो मेटेरियल मेरे सामने अवेलेबल होगा उसकी इन्क्वारी आने के बाद ही मैं फैसला कर सकता हूं। मैं कोई तानाशाह नहीं कि जो चाहे वह हुक्म दे दूं।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट को चार्ज न देने के बारे में सजा न दी जाय। आखिर कौन चाहता है कि उनको सजा दी जाय ? हमारा मतलब यह

(श्री बरकतुल्ला खां)

नहीं कि हम सजा देकर उनको मजबूर करें। एक प्रेसीडेन्ट के खिलाफ वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स का प्रस्ताव आता है, वह प्रस्ताव पास होने के बाद उसको हटा दिया जाता है; उसके बाद वह चार्ज नहीं देता है, कागज अपने साथ ले जाता है, सील ले जाता है। ऐसे ऐसे भी इन्स्टान्सेज् हैं; कुचामन म्युनिसिपैलिटी के जहां चार महीने तक चार्ज नही दिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, आप भी चेयरमैन रह चुके हैं और मैं भी रह चुका हूं। चेयरमैन जो इलेक्टेड आदमी है आखिर उनको किसने चार्ज दिया। न वे किसी से चार्ज लेते हैं और न देते हैं। आपके नौकरों के द्वारा वह काम करता है, वहां चार्ज लेने और देने का सवाल नहीं। अगर वह नेक्स्ट टाइम हार जाता है तो वह उधर कभी नहीं जाता। हम कमेटी में घुसते तक नहीं। म्युनिसिपल कमेटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसके नौकर हैं, उसका सेक्रेटरी है, उनके द्वारा ही कार्य होता है; चार्ज देने की बात कहां उठती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : 'कस्टडी ऑफ रेकॉर्ड' चेयर मैन के पास होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा। इलेक्टेड आदमी को यह देते हैं तो आपकी गलती है कस्टडी ऑफ रेकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां: वे चाहे तो साथ ले जा सकते हैं। किस किस जगह रोका जायगा, आखिर एक प्रेसीडेन्ट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप रसीद लीजिये। चोरी का चालान होगा। अगर बिना रसीद के वह ले जाता है। आपका सेक्रेटरी दस्तखत लेता है। फाइल आपके नाम पर चढाकर दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : ये उदाहरण भी आपके नाम से देते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: ऐसे केसेज भी आये हैं जो रेकॉर्डस ले गये, सील ले गये। जो इस तरह ले जाते हैं तो क्या उनके साथ मुकद्दमेबाजी करे ? हमने जो सजा रखी है हर वक्त यह लगेगी यह बात नहीं, मेक्जीमम पनिशमेन्ट यह दी जायगी।

इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि झोंपड़ियों को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है इसलिये हम झोंपड़ियों में रखना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूं हिन्दुस्तान में झोंपड़ियां बहुत है जिनमें गरीब रहते हैं। गरीबों को एग्जेम्प्ट किया गया है, चूंकि वे झोंपड़ियों में रहते हैं।

उसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूं कि इनकम टैक्स ने मेरे दोस्त की वकालात कम नहीं कर दी। वकालात अपनी जगह का काम है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को कोई नहीं छोड़ता है जिसको अच्छी फैसेलिटीज मिलती हैं वह लेना चाहता है। आज तरक्की के जमाने में कोई नहीं चाहता कि मुझे एक रुपया महीना बच जायेगा तो मैं कच्चे मकान में रह जाऊं। इसलिए मैं असमर्थ हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये या पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाये।

Page No.71

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने ऐसी म्युनिसिपॅलिटीज़ के नाम नहीं गिनाये जिनमें कि चार्जेज़ के झगड़े आये ? कितनी म्युनिसिपॅलिटीज़ में ऐसे झगड़े आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Shri Satish Chandra, Would you like to withdraw ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मोशन है मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ है उस पर ज्यादा सदन की राय ऐसी लगती है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे, इसलिए बाकी माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं मेरे मोशन को वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह खुले रूप से जनता के ऊपर असर डालने वाला है और आज हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है । ऐसी अवस्था में मैंने जो पब्लिक ओपीनियन हेतु भेजने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं प्रेस करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : So you press your motion ?

श्री अब्दुलजब्बार : Yes, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is only the first mover who moves the motion. I have moved the motion and I seek leave of the House to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को आज्ञा दी जाये कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लें ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ramanand Agarwal.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We would like to press it, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : We would like to press it Sir. All these four should be consolidated into one.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री मुरलीधर व्यास, श्री विजयसिंह झाला, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री मानिकचन्द सुराणा ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए रखा है उसको स्वीकार किया जाये ।

(मतदान के पश्चात)

'Noes' have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to press for division ?

कई आवाजें : Yes, Sir.

(विभाजन घंटी)

मैं माननीय सदस्यों को सूचना देता हूं कि घन्टी बजने के बाद पार्लियामेन्टरी परिपाटी के अनुसार दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं फिर से प्रश्न पुट करता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट सर्वश्री मुरलीधर व्यास, विजयसिंह झाला, रामानन्द अग्रवाल एवं श्री मानिकचन्द सुराणा ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लाज़ २, श्री अब्दुल जब्बार।

[संशोधन इस प्रकार है :-

Clause 2.

3. In sub-section (3) sought to be inserted in section 30 of the principal Act-

(i) Delete clause (a).

(ii) In clause (b) replace the word "person" occurring in the second line by word "Member".]

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (सैकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल के क्लॉज २ में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर्स के लिए प्रोवीजन रखा गया है इस संबंध में जो आपत्ति है वह यह है कि जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ बिल, १९५९ में साफ तौर से है कि जो चुनाव हुए हैं उसके अण्डर में कोई भी ऐसा को-ऑप्शन नहीं हुआ है सिवाय लेडीज़ के, बाकी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जितने भी कन्डीडेट्स थे उनकी सीट्स रिज़र्व थीं और वे डबल सीट के वार्ड्स थे और उसी के आधार पर चुनाव हुए थे और अब जब कि ऐसा ऑलरेडी बना हुआ है तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि यह क्लॉज़ इसमें रखा जाये और जब नया प्रोवीज़न इसके लिए बन चुका है तो पुराने की शरण लेकर क्यों चलें ? ऐसा कौनसा कारण है कि जब कि साफ तौर से जाहिर है और जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि नगरपालिका के चुनाव तुरन्त होने जा रहे हैं, फिर क्या कारण है कि इस प्रकार थोड़े समय के लिए, एक-दो महीने के लिए, इस एक्ट में ऐसा प्रोवीज़न रखा जाये कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जगह खाली हो तो उसी आधार पर कॉ-आप्सन के जरिये लिया जाये। यह मेरी नजर में बिलकुल व्यर्थ सी बात है और इसको इस बिल में बिलकुल स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरा अमेन्डमेन्ट बिलकुल सैद्धांतिक है और इस क्लॉज़ को बिलकुल डिलीट करना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेरे पास श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल की अथोरिटी दी हुई है, इसलिए मैं उनकी तरफ से उनके अमेन्डमेन्ट पर बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्लार्ज २ में जो

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना अमेन्डमेंट रख रहे हैं या श्री सतीशचन्द्र का ?

श्री विजयसिंह झाला : श्री सतीशचन्द्रजी का।

श्री उपाध्यक्ष : You have no authority to move that.

श्री विजयसिंह झाला : अभी देकर गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अमेंडमेंट और है इस संबंध में, इसी क्लॉज में।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २ ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

In clause (b) replace the word "person" occuring in the second line by the word "Member".

यहां पर "(b) a person belonging to female sex if the vacancy caused is that of a ...."

यहां तक तो आपत्ति नहीं है " person belonging to such sex." Here the word "person" should be replaced by the word "Member".

अब इसको इस तरह से पढ़ा जाय "(b) a person belonging to female sex, if the vacancy caused is that of a member belonging to such sex."

यह मेरा दूसरा एमेंडमेंट है "Person" शब्द को "Member" से रिप्लेस किया जाय क्योंकि when a person has been elected he becomes a member. He is no more a person. He is called a member. So when a seat is vacant, the person who fills up that vacancy will be called a member.

यह तो "Person "शब्द के बजाय Member शब्द रिप्लेस किया जाय तो यह कानून के अनुसार भी ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

[संशोधन इस प्रकार है :-- For the word " Co-option " substitute the word "election" in line four of sub-section (3) sought to be inserted in section 30 of the principal Act.]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह एमेंडमेंट है कि को-आप्शन शब्द की जगह "इलेक्शन" शब्द रखा जाय। वह इसलिए कि हमारे मंत्री महोदय बराबर यह कहते हैं कि हम प्रजातन्त्र के आधार पर म्युनिसिपल कमेटीज का निर्माण करना चाहते हैं और कोई खामी हो उसको निकालना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों का जो चुनाव होता है उसके बाद यदि वह जगह खाली हो जाय तो उसके बाद उसकी पूर्ति चुनाव के

Page No.74

(श्री विजयसिंह झाला)

द्वारा होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह को-आप्शन के द्वारा क्यों होना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि मेम्बर गये, और एक को-आप्शन होता है, वह ऐसी स्थिति पर होता है; तो उसका भी चुनाव होना चाहिए। इसलिए मैं यह संशोधन रखूंगा कि "कोऑप्शन" शब्द को हटा दिया जाय और "इलेक्शन" शब्द रख दिया जाय, क्योंकि यह प्रजातन्त्र सिद्धान्त के आधार पर सही है, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जिनके होने के बाद म्युनिसिपैलिटीज में सुधार हुआ है और नगरपालिकाओं में बराबर धन का बंटवारा हुआ है, वे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त का पालन करते हुए मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५९ से पहले जो म्युनिसिपल एक्ट था उसके अन्दर यह था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और लेडीज को को-आप्ट किया जायगा। उसके बाद सन् ५९ के अन्दर यह एक्ट पास हुआ। लेकिन होता क्या है कि उस एक्ट के अन्दर कुछ म्युनिसिपैलिटीज कवर हो रही हैं, और इसलिए हो रही हैं कि तीन साल का उनका टर्म होता है और वह टर्म ६ महीने या एक साल भर का उनको आगे एक्स्टेन्शन हो जाता है, तो यह जो एमेंडमेंट है उसका ताल्लुक उन म्युनिसिपैलिटीज से नहीं है जो १९५९ के एक्ट के नीचे गवर्न हो रही हैं। इसका ताल्लुक उन म्युनिसिपैलिटीज से है जो १९५९ से पहले के एक्ट के अन्दर गवर्न हो रही हैं। अब हुआ क्या है कि उसके अन्दर नोमीनेशन तो हो नहीं सकता और इलेक्शन के लिए गुन्जायश नहीं है, इसलिए यह रखा था कि को-आप्शन किया जाय और वह इसलिए किया जाय कि कम से कम कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव केरेक्टर तो वहां पर बने, वर्ना पहले तो यह था कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ १९५९ से पहले के एक्ट से गवर्न हो रही थीं उसमें इनका नोमीनेशन होता था शेड्यूल्ड कास्ट् का भी और लेडीज़ का भी। तो वे म्युनिसिपैलिटीज़ अब जो हैं उनमें बजाय यह कि नोमिनेशन हो उनके अन्दर कोऑप्शन हो जाय, लेकिन वह को-ऑप्शन जो होना चाहिए वह हो रहा है कुछ अर्से के लिए। मैं यह बता दूं कि उन म्युनिसिपैलिटीज़ का जो काम है, यह जो सेक्शन है उसकी मियाद साल भर से ज्यादा नहीं है, सालभर से ज्यादा की मियाद नहीं है इसके बाद यह सेक्शन इनइफेक्टिव हो जायगा, यूज़लेस हो जायगा। यह सिर्फ उन म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए है कि १९५९ का जो एक्ट बना था उसके पहले के एक्ट के अन्दर गवर्न हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

(श्री बरकतुल्ला खां से) Have you accepted both of them ?

श्री बरकतुल्ला खां : He has accepted my arguments.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Vijay Singh Jhala, do you want to press ?

श्री विजयसिंह झाला : I want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री अब्दुलजब्बार : I want to press.

वह क्लियर है उसकी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ पर श्री जब्बार ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Sir, I would like to speak for the deletion of clause 2.

श्री उपाध्यक्ष : I think you should have spoken earlier.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : Clause 2 is being introduced now.

श्री मानिकचन्द सुराणा : संशोधन उन्होंने पेश किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : You want deletion of clause 2 ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : Yes, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय,····

श्री उपाध्यक्ष : Order plase ! Actually, voting has been taken over the amendment. If you wanted the deletion of the clause, you should have said it before the amendment was put to vote. So I would not allow your amendment to be moved now.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन यह है कि संशोधन गिरने के बाद में मूल क्लॉज़ का सवाल रहता है । यदि संशोधन मंत्री महोदय एक्सेप्ट कर लेते तब तो वह क्लॉज़ एमेंडेड फॉर्म में सदन के सामने आता।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की परिपाटी रही है कि आप डिलीशन करना चाहते हैं तो एमेंडमेंट पर वोट हुआ है उससे पहले कह सकते थे ।

श्री माणिकचन्द सुराणा : जिन बातों के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए आपको अधिकार है कि आप व्यवस्था दे सकते हैं । रूल्स में deletion के लिए पहले बोला जाय या बाद में बोला जाय, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए जब संशोधन गिरा है और अब मूल क्लॉज का सवाल है और मूल क्लॉज़ पर चूंकि वोटिंग नहीं हुआ है इसलिए आप इजाजत दें तो बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष : I shall allow you just five minutes.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां तक मूल क्लाज़ का प्रश्न है अभी मंत्री महोदय ने संशोधन पर बहस में यह कहा कि यह उन म्युनिसिपैलिटियों के लिए है जो इस नये एक्ट से भी पहले से काम कर रही थीं और जो पुराने एक्ट के तहत काम कर रही थीं, लेकिन जिनको ६ महीने या एक साल का एक्स्टेन्शन दे दिया गया और जो इस तरह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की म्युनिसिपैलिटीज़ काम रही है उनमें इस तरह से नोमीनेशन हो कि जहां पर फीमेल की वेकेन्सी हुई हो वहां पर फीमेल और जहां शिड्यूल्ड कास्ट की वैकेन्सी हुई हो वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के को-आप्शन का प्रश्न है। आपने जितनी म्युनिसिपलिटीज़ को एक्स्टेन्शन दिया है,यानी तीन साल के बाद कानून में चूंकि अधिकार है इसलिए आप एक्स्टेन्शन दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आपने बड़ा सारा विभाग खोल रखा है, आपके इस डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ का काम था इसके बावजूद भी आप उनको एक्सटेन्शन देते रहे, चुनाव नहीं कराये, इसका मुकम्मिल जवाब नहीं दिया है और उनको एक्सटेन्शन देने के बावजूद भी आज परिस्थिति यह है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ सन् ५८ से काम कर रही हैं उनको एक्सटेन्शन पर एक्सटेन्शन देते जा रहे हैं। एक तरफ आप यह कहते हैं कि चुनाव का काम चुनाव के महकमे को दे दिया है और दिसम्बर तक सबके चुनाव हो जायेंगे और दूसरी तरफ ३ महीनों के लिये आप इस तरह का प्रावधान ला रहे हैं......

श्री बरकतुल्लाखां : मुझे कोई एतराज नहीं है यदि सदन इजाजत दे कि डिप्लीटेड फोर्म में म्युनिसिपैलिटीज़ चलती रहें और शिड्यूल कास्ट के लोगों का और लेडीज़ का को-आप्शन न हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो कानून में प्रावधान है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा ३१ में आपने खुद ने प्रावधान बनाया है कि जिन म्युनिसिपलिटीज़ का ६ महीनों की अवधि में नया चुनाव होने वाला है तो वेकेन्सीज़ फिल अप करने का सवाल नहीं है। आप वादा करते हैं कि ३ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसी सूरत में मैं सेक्शन ३१ की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं जिसमें स्पष्ट कहा है :

"31. Certain casual vacancies when not to be filled. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of the election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within six months of the occurence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections."

इसलिये जब कि आप नये जनरल इलेक्शन्स करवाने जा रहे हैं और यदि आप जनरल इलेक्शन करवाने में ईमानदार हैं तो संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं हैं। और यदि आपकी नीयत यह है कि इलेक्शन अभी नहीं करवा कर ६-८ महीने के बाद इलेक्शन करवाने हैं तो संशोधन करिये, वरना आवश्यकता नहीं है। और जो ट्रान्ज़ीशनल पीरियड के लिये प्रावधान है उसके तहत भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यदि सरकार की मंशा शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाने की है तो इस क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट करना चाहिये। इसके रहने से आपने पुरानी म्युनिसिपेलिटीज़ के एक्सटेन्शन किये हैं उनको रहने देना चाहते हैं इसलिये मैं क्लॉज २ का विरोध करता हूं। इसको डिलीट करना चाहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : किसी म्युनिसिपेलिटी की टर्म साल भर से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती यह तो प्रोवीजन है और जिनकी टर्म साल भर या ६ महीने बढाई जाती है और जिनकी टर्म अब खत्म हो रही है वह टर्म १७-१०-६३ तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें कुछ म्युनिसिपलिटीज की टर्म बढ़ी हैं उसके लिये प्रोवीजन है। और ईमानदारी और बेईमानी का सवाल यह है कि सदन में आप भी बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा इसमें मुझे अभी समझने का सवाल क्या है........

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको समझने का सवाल नहीं है। I am very sorry.

इसको पर्सनल तरीके से नहीं लिया जाय। मेरी मंशा यह नहीं थी कि पर्सनल तरीके से आपके बारे में कहूं। मैंने सरकार की नीति की तरफ इशारा किया था।

एक माननीय सदस्य : सरकार की नीति स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी श्री अब्दुलजब्बार का संशोधन गिर चुका है। उसके बाद श्री विजयसिंह झाला अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की मंशा है कि उनको संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की इजाजत दी गई।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

[संशोधन इस प्रकार है:--

In Sub-Section (2) of Section 69A sought to be inserted—

(1) the word "Person" be replaced by the word "Member" in line three,

(II) again in line four the words "person or persons" be replaced by the words "Member or Members."]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले भी मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है "Person" शब्द पर और इसमें भी मैं बहुत साफ तरीके से, खुले तरीके से रख रहा हूं। यह बात दूसरी है कि नहीं रखा जाय, लेकिन यह टर्म आती है एक्ट के मुताबिक यह खुली चीज है। That where a person is elected by virtue of votes or he has been nominated by the Government, he becomes a member.

यह खुली चीज है और अभी ऐसी सूरत में जब कि इस अमेन्डिग बिल में आया है, इसमें प्रोविजन है कि यदि बोर्ड डिजोल्व किया जाय या चैयरमैन सस्पेन्ड कर दिया जाय या वाइस चैयरमैन सस्पेण्ड कर दिया जाय, कुछ भी स्थिति हो जाय; वैसी सूरत में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रर मुकर्रर करती है

(श्री अब्दुलजब्बार)

तो म्युनिसिपेल्टिज का चार्ज जो लिये हुए है वह पर्सन नहीं हो सकता, "मेम्बर" हो सकता है। इस लिये वह "परसन" चार्ज लेगा यह ठीक नहीं है। यह बात दूसरी है कि लीगल टर्म में मेम्बर होता है। इस सूरत में नीचे जाकर "परसन" आया है यह साफ मंशा है :-

In sub-section (3) :—

"(3) If the person to whom a direction has been issued under sub-section (2) fails to comply with the direction, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with fine not exceeding one thousend Rupees or with both."

अब इस तरह का Member will be convicted, not a person. यह खुली चीज है कि म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर ट्राइल पर रहेगा। वहां पर्सन या व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। व्यक्ति को कोई नहीं मानता, सदस्य को मानते हैं। सदस्य वही हो सकता है जो इलेक्टेड है, या नोमिनेटेड है, उसको मेम्बर कहते हैं। किसी व्यक्ति को चार्ज देने का प्रावधान नहीं है; सदस्य ही चार्ज लेगा।

If any orders are issued by the Government to the Municipality, they will be addressed to the Member or the Chairman, not to a person of the city or town that he should hand over the charge. In such circumstances मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह बिलकुल सही है। इस अमेन्डमेन्ट को, यह बात दूसरी है कि नहीं माने सरकार, लेकिन साफ तौर से लिखा है :

"(2) If any person fails or refuses to hand over charge of office as required under sub-section (1), the prescribed authority ....."

अब यहां अॉथोरिटी के बजाय "परसन" क्यों नहीं कर दिया गया " ... ...may, by order in writing, direct the person so failing or refusing to hand over such charge forthwith to the person or persons entitled thereto under Sub-Section (1)"

अब पर्सन और "पर्सन्स" में यह सवाल आता है कि पर्सन और पर्सन्स को कौनसा चार्ज दिया जाता है। चार्ज लेगा म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर या गवर्नमेन्ट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है वह लेगा। ऐसी सूरत में मेरा संशोधन स्वीकार करने योग्य है और इसे स्वीकार करना चाहिये। "पर्सन" शब्द को हटा कर "मेम्बर" या "मेम्बर्स" इनसर्ट करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

[संशोधन इस प्रकार है:—

"In parts (a) and (b) of subsection (1) of section 69A sought to be inserted, replace the words "State Government" by the words "the Board."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ (डी) पर मेरा संशोधन यह है कि चेयरमैन या वाइस चेयरमेन की जगह खाली हो जाती है वहां पर ऐसे

Page No.79

(श्री विजयसिंह झाला)

सदस्य को चार्ज देने का प्रोविजन है जिसके लिए कि राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट तय करे। मैं समझता हूं वहां पर ऑलरेडी मेजोरिटी सदस्यों की होती है और केवल दो सदस्य अलग होने से नगरपालिका का महत्व नहीं मारा जा सकता। दूसरे सदस्यों को भी अधिकार होना चाहिये। लेकिन क्योंकि चैयरमेन या वाइस चैयरमेन अलग हो जाते हैं इसलिए जो स्टेट गवर्नमेन्ट निश्चित करे उसको चार्ज दिलाया जाय, यह मैं उपयुक्त नहीं समझता। इसलिए मैं संशोधन रखता हूं कि जहां मेजोरिटी होती है तो ऐसे सदस्य को चार्ज दिलाना चाहिए जो मेजोरिटी मिलकर ऐसे सदस्य के लिए तय करे। मेरी समझ में यह बड़ी बात नहीं है। जो बहुमत होता है उसकी इच्छा का सवाल है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह छोटा सा संशोधन स्वीकार करेंगे। क्यों कि प्रजातंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसे संशोधन को स्वीकार करेंगे ताकि २ सदस्यों के निकलने के बाद मेजोरिटी होती है उसकी इच्छा के विपरीत बात नहीं हो। नहीं तो सरकार एक व्यक्ति को खुश करने के लिए नुमायन्दा मुकुर्रर कर देगी और नतीजा यह होगा कि मेजोरिटी की इच्छा से जो कार्य होना चाहिए वह नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि सदस्य मिलकर तय करें कि किसको चार्ज सौंपना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): I move that insub-section (3) of section 69A proposed to be inserted in the principal Act, the word "year" occuring in line three be replaced by the word "month" and in line four the word "hundered" be substituted for the word "thousand".

मेरे इस संशोधन का मक्सद यह है–जो मीनल क्लॉज़ रखा गया है कि जो कोई चार्ज नहीं दे तो उसको एक साल की सजा और एक हजार का जुर्माना उस पर हो सकता है, इस अमेन्डमेन्ट से मैंने उसको माइल्ड कर दिया है और एक साल की सजा के वजाय एक महीने की सजा. और एक हजार के जुर्माने के बजाय सौ रुपया जुर्माना रख दिया है, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए दरअसल एक सिम्बोलिक तौर पर सजा हो जो उनके लिये डिटेरेन्ट काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि जब पहली पहली बार आप इस प्रकार का प्रोवीजन ला रहे हैं तो पहली बार ही इसमें हार्डशिप देना मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आप इतनी ही सजा और जुर्माना रख लेंगे तो इसका मक्सद पूरा हो जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन......

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! One at a time.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा है, इसके पूरे क्लॉज को डिलीट करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं और जो संशोधन है इसका भी मैं पूरा विरोध

(श्री मुरलीधर व्यास)

करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने, अभी कोलायत से आने वाले सदस्य के जवाब में यह कहा था कि हमारी इसके अन्तर्गत ऐसी कोई मन्शा नहीं है और उन्होंने इस सम्बन्ध में और भी कई बातें बतलाई थीं जिसमें यह बतलाया गया था कि जो भी चुने हुए इस प्रकार के सदस्य हैं और उनके साथ चेयरमैन है बोर्ड का या वाइस चेयरमैन है, उसके लिए ऐसे कठोर क्लॉज की आवश्यकता नहीं है और उसके अन्दर माननीय मंत्री ने कहा था कि क्योंकि पंचायत एक्ट में ऐसा क्लॉज रखा है इसलिए वही क्लॉज़ ले लिया है और इस कारण से ले लिया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसी परम्परा है चार्ज देने के सम्बन्ध में कि अगर लोकतांत्रिक इन्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत जहां बाकायदा चुनाव होते हैं, उसके बाद स्वाभाविक है कि वह हट जाता है, हट जाने के बाद भी कोई चार्ज न दे तो वैसे ऐसी परिस्थिति कम से कम पैदा होती है और इस प्रकार की परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं तो उनके लिए आपके पास अनेक साधन हैं जिनके जरिये आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। उस काम के लिए अनुपयुक्त संशोधन होगा क्योंकि इस प्रकार चार्ज न दे तो वह किस कारण से नहीं देता है-आखिर वह भी चुना हुआ नुमाइन्दा है, उसके सामने कोई न कोई परिस्थिति हो जिसके कारण वह चार्ज नहीं देना चाहता हो या किसी तरीके से देना चाहता हो-उन सारी बातों को देखने के बावजूद सरकार स्वयं फैसला कर सकती है। इस धारा को रख लिया जायगा तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा। इसका दुरुपयोग यहां तक होगा कि किसी मामले के अन्तर्गत वह कॉन्स्टीट्यूशन पाइन्ट के आधार पर चार्ज नहीं देता हो और वह किसी विरोधी पक्ष का हो, तो विरोधी पक्ष के व्यक्ति के खिलाफ जबरदम्त मामला बना कर फौरन कार्यवाही कर देंगे और कार्यवाही करके सजा देने के लिए उसे एक साल की सजा देंगे और उसको अलग करने की कोशिश करेंगे।

इस सम्बन्ध में चाहे पंचायत समिति का सरपंच का मामला हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड का हो, या यहां तक ले लें कि मंत्री का सवाल हो, चार्ज देने का सवाल लोकतांत्रिक सेट अप के अनुसार होता है तो जब चुनाव होते हैं, उसके बाद में यह कह दें कि सुखाड़िया साहब, जब तक कि मुख्य मंत्री का चुनाव न हो जाय तब तक काम करते रहते हैं। और जब फैसला हो जाय कि चुनाव हो गया, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ी है और वे चार्ज नहीं देते हैं और फिर गवर्नर का हुक्म हो जाय। तो ऐसी परिस्थिति क्या पैदा होती है ? और अगर होती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक पैदा हो सकती है। और उस मामले में स्वीकार नहीं करते हैं, ऊपर के मामले में स्वीकार नहीं करते हैं, तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत इस प्रकार रखना, मैं समझता हूं बिलकुल गलत है। इस धारा के अन्तर्गत नीचे तो यहां तक प्रयोग किया गया है कि कोई चार्ज नहीं देता है तो बल प्रयोग के द्वारा चार्ज ले सकते हैं। आपने बल प्रयोग रख दिया है और बल प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार के पास ताकत है, उस ताकत के

(श्री मुरलीधर व्यास)

जरिये वह चार्ज ले सकती है तो ऐसी नौबत ही कब आयेगी, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी कि चार्ज न देने के ऊपर उसके ऊपर कार्यवाही करके उसको एक साल की सजा दी जाय या एक हजार रुपये का जुर्माना करें। मैं तो यह समझता हूं कि यह ऐसी परम्परा होगी जिसके लिए लोग कहेंगे कि राजस्थान में इतने झगड़े थे कि लोग चार्ज नहीं देते थे और चार्ज देने के लिए ऐसी धारायें रखनी पड़ी कि एक साल की सजा दी जाय। यह हमारे चरित्र के ऊपर और आम नागरिक के सिविक सेन्स के ऊपर एक प्रकार का प्रहार है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के मंत्री है, वे इस बात का ख्याल रखेंगे और राजस्थान के विधेयक में इस प्रकार की धारा रख कर यहां के लोगों को सिविक सेन्स के बारे में बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए इसे हटाने की कृपा करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष: डिलीट कराना चाहते है?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं डिलीट कराने के पक्ष में हूं और जो संशोधन श्री रामानन्दजी ने रखा है उसका भी मैं विरोध करता हूं। इसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता हैं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इधर बहुत व्यस्त रहे होंगे……

श्री उपाध्यक्ष : You will please be very brief.

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह संशोधन, जो उन्होंने यहां प्रस्तुत किया हैं, उनके दस्तखत से प्रस्तुत हुआ है, उन्होंने इस धारा को गौर से नहीं देखा है वर्ना यह धारा, इसे भद्दी ही कहना चाहिए, इस प्रकार की धारा यहां अमेंडमेंट के रूप में प्रस्तुत नहीं होती। यह धारा वर्तमान में ही बुरी नहीं दिख रही है वरन् आगे आने वाली संतति है उसको भी यह प्रतीत होगा कि १९६२ के समय में इतना अनुशासनहीन समय था जिसमें इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता हुई। तो कार्यालय से जिस प्रकार का विधेयक बन कर आ गया उसको माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने पेश कर दिया दिखता है और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब कि वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर है या अन्य कोई ऑफिसर ऐसे होते हैं जो चार्ज देने में आनाकानी करते हैं और उनके लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। जो चुने हुए हैं, जो जन-प्रतिनिधि है और जिनको हटाने के लिए और व्यवस्था मौजूद हैं, उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा नम्र निवेदन है कि स्वायत्त शासन मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें इसकी कठोरता को कम करने के लिए क्योंकि यह आगे के लिए भी बुरी लगने वाली है।

इसके साथ ही माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका इस आधार पर विरोध करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड के

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

चेयरमैन, वाइस चेअरमैन, सदस्य या बोर्ड के विरुद्ध कोई अभियोग चले चार्ज न देने के सम्बन्ध में और इसके लिए एक माह की सजा और सौ रूपये का जुर्माना रखते हैं तो छोटे छोटे मजिस्ट्रेट है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, वे उसकी ट्राइल कर सकते है, जो अनुचित प्रतीत होता है। तो इस विषय को गम्भीरता से सोचा जाय तो यह उचित होगा कि कम से कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास रखा जाय ट्राइल के लिए और इसलिए यह आवश्यक है कि छः महीने से अधिक अवधि का कारावास का प्रावधान जो इसमें मौजूद है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपका क्या मतलब है, सजा घटा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट पेश किया गया है……

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको डिलीट करवाना चाहते हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार इस बहस…

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं एक मिनिट में अर्ज कर देना चाहता हूं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शहर के लोग डिलीट कराने की बात करते है जब कि उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में विरोध नहीं किया। इन म्यूनिसिपल बोर्ड में ज्यादातर शहर के लोग रहते हैं और वे समझते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रावधान रखा जायगा तो हमारे हकों पर कुठाराघात हो जायगा चाहें वे गलती करें या न करें। तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति सदस्यों की बनती है तो वह ठीक नहीं है। जिस प्रकार का प्रावधान पंचायत समिति एक्ट, १९६० में हैं उसी प्रकार इसमें भी रहना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय मंत्री।

श्री हीरा भाई। माननीय उपाध्यक्ष…

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : यह बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ………

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Hon'ble Minister.

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि मजबूरन यह चीज तय की गई और इसलिए तय की गई कि मुश्किल से एक-दो आदमी ऐसे होते हैं जो इस तरीके से झगड़ा करके चार्ज नहीं देकर म्यूनिसिपल बोर्ड को बदनाम करते हैं और ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर ताला लगा रहा, लेकिन चार चार महीने तक चार्ज नहीं मिला। तो ऐसे केस मुश्किल से एक-दो हैं; लेकिन एक-दो केसेज के पीछे सारी म्यूनिसिपेलिटी बदनाम हो जायगी। इस तकलीफ…

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कौनसी म्यूनिसिपेलिटी हैं जिसमें चार्ज नहीं दिया जा रहा हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। कुचामन में······

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir. यह आवश्यक है कि मंत्री महोदय बताये कि किन किन म्यूनिसिपेलिटीज़ में इस प्रकार के झगड़े आये हैं। तथ्यों से सदन को महरूम रखते हैं और तथ्यों का सदन से छुपाते हैं तो सदन किसी तरह सही निर्णय पर आने में असमर्थ है।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय उपाध्यक्ष, यह एक छोटी सी बात हैं कि जो कोई चार्ज नहीं देगा उनको जैल होगी। इसमें क्या फरक पड़ता है। अगर किसी म्यूनिसिपल कमेटी के चेअरमैन के खिलाफ कार्यवाही हुई हो और वह अपना चार्ज नही देता है तो उसको सजा मिलेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे कौनसे चार्ज उनके पास रहते हैं, जो वे नहीं देते ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो जवाब दे रहे हैं वह इर्रिलेवेन्ट है। किन किन म्युनिसिपेलिटीज के चेअरमैन या वाइस चेयरमैन ने अपना चार्ज नहीं दिया जिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये आपको यह लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। आप यह कह कर कि उनको सजा होगी, उनको सजा होगी तब जब आप यह प्रोविजन रखेंगे, सदन को यह मालुम होना चाहिये कि कौनसी ऐसी म्युनिसिपेलिटीज है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने आपको बताया कि कुचामन की म्युनिसिपेलिटी है। अगर आपको मेरे से ज्यादा जानकारी हो तो आप बता दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमको तो मालूम नहीं है, इसीलिये तो आपसे पूछते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने आपको बता दिया कुचामन।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या झगड़ा हुआ ?

श्री बरकतुल्लाखां : चार महीने हुए उसने चार्ज नहीं दिया। जैसा मेरे एक दोस्त ने बताया कि पंचायतों के लिये हो सकता है प्रावधान कि चार्ज नहीं दे तो उसको सजा हो सकती है····

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिस्टरों को क्यों नहीं?

श्री बरकतुल्लाखां : यदि इस तरह के वाकयात पैदा होंगे। जैसा अग्रवाल साहब ने बताया और उन्होंने एमेंडमेंट पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप पर्सन के के बारें में कुछ बता दें। उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया है।

श्री बरकतुल्ला खां : जब कोई व्यक्ति म्युनिसिपेलिटीज का सदस्य रहता है तब तो वह मेम्बर कहलाता है और जब वह मेम्बर नहीं रहता तो वह परसन हो जाता है। इसी तरह से चेअरमैन जब नहीं रहता तो वह पर्सन हो जाता है।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल जयपुर) : आपने बताया कि अगर वह अपना चार्ज देने में विफल रहे, या विफल हुआ जब किसी कारणवश विफल रहे तो सजा होगी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैंने जो संशोधन रखा था कि जब चार्ज दिया जाय तो शब्द स्टेट गवर्नमेंट के बजाय बोर्ड, जिसे डाईरेक्ट करे उसको दे दिया जाय । इसमें आपको क्या एतराज है मानने में ?

श्री बरकतुल्ला खां : अगर चेअरमैन को चार्ज देना है और बोर्ड का पूरा कोरम नहीं हो तो उस दौरान में किसी और को चार्ज दिया जावे और उसके बाद बोर्ड चेअरमैन और वाइस चैयरमेन जिसको चाहे इलेक्ट करें । कई दफे ऐसा देखा गया है और होता है कि सभी सदस्य इकट्ठे नहीं होते हैं । इस आवश्यकता को सामने रखते हुए चार्ज किसी को दिये जाने की बात रखी है जिसे गवर्नमेंट दिलाना चाहे । आप सोचिये की २४ घन्टों में इलेक्शन नहीं कराये जा सकते ।

श्री विजयसिंह झाला : आप इस बात की दिक्कत महसूस करते हैं कि उसी स्थान के रहने वाले और वहा पर उपस्थित नहीं होंगे तो आप इसके लिये कोई बाद की टाईम लिमिट रख सकते हैं । एक महीना या जितना समय आप चाहें ।

श्री बरकतुल्लाखां : टाईम लिमिट रखने के लिये मैं तैयार हूं, एक महीने की टाईम लिमिट ?

श्री अब्दुल जब्बार : आपने फरमाया कि सदस्य जिस समय चार्ज दे देता है उसके बाद परसन रह जाता है । आपने जो इसमें लिखा है उस पर आप गौर फरमावेंगे तो आपको मालुम होगा : Part-269 (a) :

"If any person fails or refuses to hand over charge of offices as required under sub-section (1), the prescribed authority may, be order in writing, direct the person so failing or refusing to hand over such charge forth with to the person or persons"

मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान फरमावेंगे । एक जगह तो आपने उस व्यक्ति को परसन बताया है जिसको आप चार्ज दिला रहे हैं और दूसरी जगह उस व्यक्ति को परसन कहते हैं जिससे चार्ज दिला रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इस तरफ ध्यान देंगे । एक तरफ तो परसन से चार्ज लिया जाता है और दूसरी ओर परसन को चार्ज दिया जाता है । When he is teking over charge, he becomes a member and when he hands over charge, he becomes a person.

इसमें क्लेरिफिकेशन फरमावें ।

श्री उपाध्यक्ष : You do not accept the amendment of Shri Abdul Jabbar and of Shri Vijay Singh Jhala ?

श्री बरकतुल्ला खां : Subject to the condition that within one month, the election will be held. Of course we will later on correct it.

Page No.85

श्री उपाध्यक्ष : What will be the wording.

आप पर्सन पर रोशनी फरमा दीजिये।

श्री अब्दुल जब्बार : What is that authority or person? When he is taking charge, he is a member and when he is handing over, he is a person.

श्री उपाध्यक्ष : It will be Board within a month,

श्री बरकतुल्लाखां : मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक महीने का समय रख दिया जावे। जब तक यह ड्राफ्ट हो रहा है तब तक दूसरे को ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Should this be deferred?

श्री बरकतुल्ला खां : For 10 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : I Put the clause 4......

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं यह अधिकार क्लॉस तीन मेजिस्ट्रेट को हो, क्या उसके लिये आप तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट करते हैं जिनको फर्स्ट क्लास के पावर्स होते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : Will it not be against I. P. C.?

श्री राधाकृष्ण गोयल : Certainly not.

श्री मानिकचन्द सुराणा : It Should be kept with the Munsiff Magistrate.

श्री बरकतुल्लाखां : When there is no Munsiff Megistrate? There are 3 to 4 places in Rajasthan, where .....

श्री मानिकचन्द सुराणा : It Should be kept with the District Magistrate.

श्री उपाध्यक्ष : I should now have the clause as amended.

क्लॉज ४, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

क्लॉज ५, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ और ५ में चूंकि कोई संशोधन नहीं है इसलिये ये दोनों खण्ड यथावत् विधेयक में अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ एवं ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): संशोधन इस प्रकार है:–

13. Replace part (ii) of clause (a) of the proviso to clause (3) of section 104 of the principal Act sought to be substituted by the following.

"(ii) on building or land or both, of which, annual letting value is less than five hundred rupees in case of a city and two hundred rupees in the case of other municipality, 20% of annual letting value shall be deducted as repairing charges of the building or land or both provided that such Tax shall only be levied by an elected municipality."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ ६ बड़े महत्व की है और जिस तरह संशोधन के रूप में मन्त्री महोदय ने इसको रखा है जनता में इससे बड़ा असंतोष है। हालांकि आप कहते हैं कि इससे हमने १२० की जगह १८० कर दिया है इसलिये जनता को कम कर देना पड़ेगा, पर इसको कम्पलसरी बनाने से बहुत महत्वपूर्ण यह क्लॉज़ हो गया है। पहले प्रिंसिपल एक्ट में शहरों की बड़ी बड़ी नगरपालिकाओं के एरिया में और छोटी छोटी नगरपालिकाओं में distinction था अब वह मेट दिया गया है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि शहरों की बड़ी नगरपालिकाओं के एरिया में मकान हैं उसमें एन्युअल लेटिंग रेंट ५०० हो वहां पर ही यह कर लगाना चाहिये और दूसरी जगह नगरपालिकाओं के एरिया में जिन मकानों की एन्युयल लेटिंग वेल्यू २५० रुपया हो वहां पर यह कर लगाना चाहिये।

१० प्रतिशत रिपेअरिंग चार्जेज काटे जाते हैं वहां उसके स्थान में २० प्रतिशत काटे जाने चाहिये। इसमें कहीं ऐसा एक्सेप्शन नहीं है किसी मकान में नल लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है और बिजली व नल का खर्चा किराये में ही शामिल रखते हैं और उसके बाद किराया फिक्स करते हैं तो बिजली नल के चार्जेज किरायेदार से नहीं काटे जाते, मकान मालिक को ही बिजली और नल का खर्चा देना पड़ता है तो ऐसी हालत में १० प्रतिशत रिपेअरिंग चार्जेज की बजाय २० प्रतिशत रिपेअरिंग चार्जेज काटे जायं।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जयपुर में जिस मकान का ५०० रुपया किराया हो उसका छोटे शहरों में छोटे कस्बों में २०० रुपया भी किराया नहीं आयेगा इस लिये बड़ी नगरपालिकाओं में ५०० और छोटी नगरपालिकाओं में २५० रुपया रखना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये हुए हैं वहां पर यह धारा लागू नहीं होनी चाहिये, जब तक कि वहां पर चुनाव नहीं हो जायें। क्योंकि जब तक सारे नगर के प्रतिनिधि नगरपालिका में नहीं पहुंच जायें और वे खुद असेसमेंट नहीं कर लें तब तक इसे वहां लागू नहीं करना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटर जिन नगरपालिकाओं में है वहां इसे लागू कर दिया गया तो यह होगा कि एक क्लर्क ही असेसमेंट करने जायेगा, १०० रुपया जिस मकान का आता है उसका २०० लिख देगा और जिस मकान का किराया २०० आता

(श्री विजयसिंह झाला)

है. उसका १०० रुपया ही लिख देगा और इस तरह का पक्षपात होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर कार्य कर रहे हैं उन नगरपालिकाओं पर यह धारा लागू नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रिलिजियस इन्स्टीट्यूशन्स हैं, चेरिटी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये। किसी महानुभाव ने एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन के लिये मकान बनाया है, रिलिजियस कार्य के लिये मकान बनाया है। धर्मशाला बनाई है तो उन पर इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : संशोधन इस प्रकार है :-

14. This clause be replaced by the following :—

"6. Amendment of section 104; Rajasthan Act 38 of 1969. For part (ii) of clause (a) of the proviso to clause (3) of section 104, of the principal Act the following shall be substituted, namely :—

"(ii) On buildings or lands or both belonging to the same owner of which annual letting value is less than three hundred rupees;

provided further that no such tax shall be payable by a rentee."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा यह संशोधन है कि जो इस विधेयक में लिमिट १८० रुपया की रखी गई है उसको रेज कर के ३०० रुपया कर दी जाय। दूसरे इसमें यह है कि एक मालिक के जितने भी मकान है, उन तमाम मकानों की रेंटल वेल्यू इकट्ठी निकाल कर असेसमेंट करना चाहिये। मौजूदा विधेयक के तहत इन्डिविज्युअल प्रोपर्टी की वेल्यू अलग अलग देखी जायगी और लैंड लोर्ड्स हैं वे इस प्रावधान में इस टैक्स से बच सकेंगे। इसलिये उनके सभी मकानों की एक साथ रेंटल वेल्यू निकाल कर असेसमेंट किया जाना चाहिये।

तीसरा यह है कि यह प्रोविजो जोड़ना है कि किरायेदारों से यह टैक्स वसूल नहीं होगा, उनको इस टैक्स से मुक्त करने के लिये यह किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह अमेंडमेंट इस विधेयक में मूव कर रहा हूं तो स्पष्ट कर दूं कि बुनियादी रूप से जिस रूप में हाउस टैक्स का प्रोविजन कम्पलसरी टैक्स के रूप में इस कानून में रखा गया है उसके बुनियादी तौर से हम विरोधी हैं, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं करते कि किसी भी स्वायत्त शासन संस्था को सरकार की ओर से बाध्य किया जाय जनता पर लगाने के लिये। पर चूंकि वह डिस्कशन इस स्कोप से बाहर है इसलिये जितना संशोधन हो सकता है उसी रूप में मौजूदा परिस्थिति में आम लोगों के हित में सुधारने का यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

मैं समझता हूं कि सरकार का मकसद इस सारे टैक्स के लगाने का यह है कि म्युनिसिपैलिटि के जितने फंक्शन्स हैं, उनसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मकान के मालिकों को फायदा मिलता है और चूंके वे लोग पेइंग केपेसिटी में हैं, इस लिये उनसे हाउस टैक्स लिया जाय। यह मकसद मेरे संशोधन को स्वीकार करने पर ही पूरा होगा १८० रुपया साल का, १५ रुपया महीना रखा है तो मालिक के लिये बड़ी ही रेडिक्यूलस पोजिशन होती है। १५ रुपया माहवार की रेंटल वेल्यू में टैक्स नहीं लगेगा, किसी मकान में ५ रुपया माहवार के ३ किरायेदार रहते हैं तो ऐसी हालते में आम तौर पर जितनी म्युनिसिपेलिटीज हैं उनमें से शायद ही कोई बच पायेगी क्योंकि किसी भी जगह एक कोठे का किराया कम से कम ५ रुपया होता है। अगर सरकार कोई एग्जम्प्शन लो इन्कम ग्रुप को देना चाहती है तो इस लिमिट को रेज करना चाहिये माननीय मित्र विजयसिंह झाला के संशोधन को सरकार मानने को तैयार हो तो इसमें आपत्ति नहीं है। अगर सरकार उस हद तक जाने को तैयार नहीं है तो ३०० रुपया सालान और २५ रुपया माहवार तक का किराया जो एक एल० डी० सी० को भी अपने परिवार को रखने के लिये खर्च करना ही पड़ता है, तो इस तरह का प्रावधान रख कर उसको तो कम से कम इस टैक्स के बर्डन से मुक्त करें।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस संशोधन को वे स्वीकर करें। इससे एक तो किरायेदारों को राहत मिलेगी और दूसरे जो लो इन्कम ग्रुप वाले हैं उनको फायदा पहुंचेगा तथा जो बड़े बड़े मकानों के मालिक हैं उनके सब मकानों को इक्ट्ठा करके इन्कम को असेस किया जायगा तो उससे जो आमदनी होगी उससे यह छूट की हुई कभी कम्पेन्सेट हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : संशोधन इस प्रकार है

15. Add the following Explanation to part (ii) of clause (a) of the porviso to clause (3) of section 104 of the principal Act sought to be substituted:—

"Explatnaion "Annual Letting value" shall always mean the actual amount of rent received by the owner of the building.

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के और माननीय सदस्य बोले और श्री रामानन्दजी ने सुझाव अभी रखे हैं, मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय उसको क्या कह कर अस्वीकार करेंगे। पर अभी उनके इशारों से साफ है कि उनकी इच्छा स्वीकार करने की नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि १२० से १८० की लिमिट बढ़ाई है, इस हद तक लिमिट बढ़ाने का हम स्वागत करते हैं; पर जैसा कि श्री झाला के संशोधन से स्पष्ट है कि ५०० तक बढ़ाया जाय, श्री रामानन्द ने ३०० का रखा है। मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि एन्युअल लेटिंग वेल्यू जो इस एक्ट के जरिये निकाली जायगी इस सारे एक्ट में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि वह एन्युअल लेटिंग वेल्यू पी० डब्लू० डी० निकालेगी या कौनसी ऑथोरिटी निकालेगी। आज देखते

(श्री माणकचन्द सुराणा)

हैं कि १००) रुपया पाने वाला क्लर्क लाखों रुपयों की कीमत की बिल्डिंग्स की एन्युअल लेटिंग वेल्यू निकालता है। वह जो एन्युअल लेटिंग वेल्यू निकालता है उसमें और जो वास्तव में किराया आता है उसमें रात दिन का अन्तर होता है।

(४. ०० म० प०)

किराया उनका ३०) रु० आता है; परन्तु लेटिंग वेल्यू असेसर निकालता है, वह उसकी वेल्यू ५०), ६०) या १००) रु० निकालता है इसलिये मैंने मेरे संशोधन द्वारा निवेदन किया है कि एक्चुअल रेन्ट जो मकान ओनर को मिलता है उसी ने निकाला जाय। इससे दो फायदे हैं। एक तो यह है कि खुद के मकान में रहता है, किराया नहीं आता है वे इस प्रकार का अमेंडमेंट स्वीकार करने पर बच जाते है। यह संशोधन मन्जूर करना चाहिये कि छोटे से मकान में रहता है उसको हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। १० हजार से कम के मकान में रहने वाले लोग हाउस टैक्स से आजाद हो जायं। छोटे २ किराया मिलने वाले मकान मालिकों को परेशान करना चाहते हैं, असेसर जो वेल्यू निकालता वह गलत निकालता है, जिसका असेसमेन्ट सही नहीं हो सकता है इसलिए जो एक्चुअल रेन्ट मिलता है उसकी एन्युअल लेटिंग वेल्यू निकालें। १० वर्ष पहले मकान बना। १०) रु० कोटड़ी का आता है, हो सकता है कि अब ५०) आ सकता हो। इसलिए आपने जो आधार रखा है वह गलत है। और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनबिल्डिंग पावर्स टैक्सेशन के इम्पोज करना चाहते हैं ४.५, ७॥ परसेन्ट रख दें, और कोई सीमा नहीं रखी गई है। हाउस टैक्स कितने तक है, यह गलत है और कदापि स्वीकार नहीं हो सकता है। सरकार सारे पॉवर्स लेना चाहती है। इसलिए माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ डिपार्टमेन्ट से कन्सल्ट करिये। यह इम्प्रोप्राइटी भी है और इललीगेलिटी भी है। इसमें कहीं भी सीमा निर्धारण नहीं रखा है।

३० तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने १२००) रु० वर्ष भर किराया का ७॥ परसेन्ट हाउस टैक्स रखा है जब कि इस नोटिफिकेशन के जरिये जयपुर, ब्यावर और आबू को मुस्तस्ना किया गया है। जयपुर में ७ परसेन्ट लेते हैं और दूसरी जगह ७॥ परसेन्ट लेना चाहते हैं। इस प्रकार का आप डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहते हैं, कहीं पर ६ परसेन्ट, ७ और ७॥ परसेन्ट कर देते हैं। सीमा रखना चाहते हैं और विधान सभा से चाहते है तो इससे अधिक नहीं रखना चाहिये। एन्युअल लेटिंग वेल्यू का मैंने तरीका सुझाया है वह आपको मंजूर करना चाहिये। आप छोटे २ आदमियों पर अनावश्यक रूप ने बर्डन डालना चाहते हैं इस संशोधन के बाद वे लोग हाउस टैक्स से बचेगें और उन्हीं के कन्धों पर पड़ेगा जो समक्ष हैं और इसको उठाने लायक है। आप इन तीन सिद्धान्तों के आधार पर ३००)-५००) की आप सीमा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मेरी इच्छा को आप स्वीकार करें। छोटे २ लोग जो अपने घरों में रहते हैं और किराया नहीं कमाते हैं उनके लिए मैंने यह रखा है उनकी इच्छा की पूर्ति करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीद) : वे आवें तब तक मैं शुरू करूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जवाब दे देंगे ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : संशोधन इस प्रकार है:-In section 69-A purported to be added by clause 3, at the end the of clause (d) of sub-section (1) the following proviso be added, namely." provided that a member to whom cherge sha been handed over under clause (a) and (B) Shall hold charge for a period, not execeeding one month, or till the taking over Charge by the Chairman or the vice Chairman as the Case may be, whichever may be earlier"

In section 69 A purported to be inserted by Clause 3 in Sub-section (4) the words, "First Class" shall be inserted between the words "magistrte" and the words "Competent to do so"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें हैं । अपने यहां इतना ज्यादा किराया नहीं है । जहां एक एक कोटड़ी का इतना बढ़ा हुआ किराया हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता आदि वहां एग्जेम्पशन लिमिट है । अगर हम ३००) को मानते हैं, तो ऐसे शहर हैं जिनमें हाउस टैक्स नहीं मिलेगा बजाय छोटासा टैक्स हो जावेगा और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा । इसमें एक दिक्कत आती है । मिसाल के तौर पर कहूं कि मेरी मदर का मकान है । उसकी कीमत आज बहुत ज्यादा है, रेन्टल वेल्यू उसकी ज्यादा है । कोई रास्ता नहीं है । वह कह सकती है कि रेन्टल वेल्यू नहीं है इसलिए कैसे टैक्स वसूल कर सकते हैं । मालूम होगा कि २.२।। लाख की कीमत का मकान है और रेन्टल वेल्यू कुछ नहीं है । मान लीजिये उसका जो किराया आता है वही उसकी रेन्टल वेल्यू है । यह कैसे प्रूव हो कि रेन्ट देता है । मैं १००) लेता हूं और २५) की रसीद देता हूं तो कैसे रोक सकते हैं । इसलिए आपके संशोधन के हिसाब से तो यह करप्शन का नया तरीका होगा । इसलिए कोई सिस्टम तो है कि इस मकान का क्या किराया दिया जाता है, इन्फोर्मली पता लगाया जा सकता है, आस-पास से पता लगाया जा सकता है । एक अन्दाज तो रहता है । फिर तो मकान मालिक की मर्जी पर हो जाता है चाहे ५००) किराया आता हो । इसके मातहत कुछ नहीं कर पायेंगे । इसलिए मैं आपके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो शिक्षण संस्थायें हैं उनको तो एग्ज़ेम्प्ट कर दें और रिलिजियस इन्स्टीट्यूशन हैं उनके लिए भी बता दें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : रिलिजियस इन्स्टीट्यूशन्स के लिए क्या क्लेरिफिकेशन है यह बता दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज ऐसा है कि इसमें और भी कई प्रकार की गलतियां हैं। हाउस टैक्स आपने इस तरीके से किया है कि यह सन् १९६१ से लागू होगा और जब यह लागू होगा तो जब तक निर्णय नहीं है तो यह अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा कि ६१ से वसूल करेंगे, कई दिक्कते इसमें हैं। कहीं पर लागू नहीं हुआ है। जब ६१ से लागू होगा और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है और आगे जाकर आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जावेगी। इसलिए इसको डेफर कर दिया जाय। इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचा जाय। आखिर यह लाखों लोगों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला है। थोड़ा सा इसको समझ कर कर लिया जाय तो महत्वपूर्ण होगा नहीं तो आगे जाकर दिक्कतें पैदा करेगा इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको वे डेफर कर दें।

श्री बरकतुल्लाखां : यह टैक्स इसी साल के अक्टूबर से लग रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री महोदय इसके बारे में बोले नहीं है। शिक्षण संस्थाओं को वे एक्जेम्प्ट करना चाहते है या नहीं ? बिजली और नल के पैसे किराये में मान लेते हैं तो उनका तो नहीं कटेगा ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंदिर मस्जिद आदि का प्रश्न आवेगा।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. ऐसा है कि दो पोइन्ट्स अभी रखे गये हैं। एक तो चेरिटेबिल इन्स्टीचुशन्स एक्जेम्प्ट होगी या नहीं। दूसरा पोइन्ट मैंने पूरा सुना नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : कोई मकान मालिक बिजली और नल अपने में रखता है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि नोटिफिकेशन निकाल दिया। अक्टूबर से रेन्ट १८०) के हिसाब से होगा। इसका मतलब पहले से भी होगा ··

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि १ अक्टूबर, १९६२ से यह लागू रहेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : २ अक्टूबर से शुरू करें।

श्री बरकतुल्लाखां : १ ही मान लीजिये।

श्री योगेद्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : २ अक्टूबर को गांधीजी का जन्म दिन है। गांधीजी की आत्मा प्रसन्न हो जावेगी।

श्री बरकतुल्ला खां : चेरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन्स का जहां तक सवाल है, बड़ी बड़ी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, मंदिर गिरजा ये तो एक्जम्प्टेड हैं ··· ···

श्री विजयसिंह झाला : एक्जेम्प्टेड नहीं हैकानून की तहत।

किसी ने एक सलूक बनाया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मन्दिर मस्जिदों के नीचे भी दूकानें हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मन्दिर-मस्जिद या गुरुद्वारा की बिल्डिंग होती है, जो जगह वर्शिपिंग के लिये काम में आती है उसके ऊपर तो टैक्स लगाने का सवाल नहीं, वह तो रेन्ट के ऊपर जा नहीं सकती।

Page No.92

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैंने जो आपत्ति उठाई है जिनके रेन्ट में इलेक्ट्रिक और वाटर सब शामिल है, क्या उनको एक्जेम्प्ट किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसके अन्दर जो रूल्स बनेंगे उसमें वह कवर अप हो जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : आप धार्मिक स्थानों को, शिक्षण संस्थाओं को, इससे एक्जेम्प्ट करना चाहते है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! माननीय मंत्री जवाब नहीं दे रहें है, आप उनको प्रेस नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): गंगानगर में गुरुद्वारा है उसके नीचे दूकाने हैं जिनसे ५०० रु० की माहवारी आमदनी है।

श्री उपाध्यक्ष : I shall put the amendments to vote.

श्री विजयसिंह झाला : मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : इस तरह के सवाल-जवाब कहीं भी पार्लियामेन्ट या असेम्बली में नहीं होते हैं। मैं तो पूरी तरह से को-ऑपरेट करके चल रहा हूं। I am not bound to give a reply and I assert my right.

श्री उपाध्यक्ष : There can be no point of clarification.

(विराम)

अब आप वापिस लेना चाहते हैं क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : आप शिक्षण संस्थाओं को एक्जेम्प्ट कर देते हैं तो क्या एतराज हैं ? स्कूलों के लिये बिल्डिंग बनाते हैं उनसे टैक्स लें, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister is not now.. ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग्ज पर लिया जायगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : No more spashtikaran please.

श्री विजयसिंह झाला : हम सरकार की पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार की नीति शिक्षण संस्थाओं को एजेम्प्ट करने की है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : There can be no point of information. He has already given his reply. It is much against the procedure. Please co-operate.

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री विजयसिंह झाला : आप कुछ तो कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब नहीं देते हैं। बेहतर यही है कि इस पर वोट ले लिया जाय।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गया)

(विराम)

Page No.93

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात)
ना पक्ष जीता

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We want a division.

श्री उपाध्यक्ष : I have already declared.

श्री रामानन्द अग्रवाल : No Sir. No sir. Thai is an inportant issue.

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक दफा फिर इसको वोइस वोट पर रखता हूं । जो संशोधन क्लॉज ६ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(पुन: मतदान के पश्चात)
ना पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "Ayes" have it, sir.

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत): The members present should be Counted, sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर मंत्री महोदय को २ गिना जाय तो इस समय उनकी संख्या १२ है ।

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I shall once more put it to voice vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य कई केन्टीन से आये हैं, उनको पता नहीं कि किस पर वोट लिये जा रहे हैं, अत: उनको सही बात की जानकारी करादी जाय, फिर वोट लिये जायं ।

श्री रामकिशन (बैर) : बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस वाद-विवाद को नहीं सुना, बिना सुने हुवे किस प्रकार अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे पहले उनके सामने मतदान किस बारे में हो रहा है यह बात रखी जाय उसके बाद मतदान लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ६ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)
(संशोधन गिर गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : I press my amendment sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानिकचन्द सुराणा ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ यथावत् विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : One more clause is there. Clause 7 is there.

श्री उपाध्यक्ष : There is no amendment of clause 7. I put it to vote.

श्री रामान्द अग्रवाल (अलवर) : बोलने का तो हमें हक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ सात को इस बिल से निकाल दिये जाने के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

इस क्लॉज़ के द्वारा धारा २९९ में माननीय मन्त्री महोदय संशोधन करना चाहते हैं और उस २७७, २७८ में जो अधिकार राजस्थान सरकार के हैं वे किसी सबोर्डिनेट अधिकारी को दिये जा सकें इसके लिये यह संशोधन पेश किया है। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं, धारा २७७, २७८ में जो कुछ कहा गया है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। धारा २७७, २७८ में यह प्रावधान है कि म्युनिसिपैलिटीज़ अपना बजट बनाकर सरकार के पास भेजती हैं और उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर एक महीने तक सरकार उस बजट पर कोई व्यवस्था न दे तो वह बजट फाइनल समझा जाय।

राजस्थान सरकार द्वारा जो धारा २९९ अंगीकृत की गई है उसके अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी सबोर्डिनेट अधिकारी को यह अपना अधिकार दे दे। पर अब यह चाहती है कि सरकार इस संशोधन से कि वह अपना उस बजट को जांचने परखने और स्वीकार करने का अधिकार अपने किसी सबोर्डिनेट अधिकारी को दे दें। यह अधिकार विशेषतौर से सरकार के लिये ही रखा गया था। अब सरकार चूंकि अपनी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाई और जितनी भी नगरपालिकाओं द्वारा अपने बजट भेजे गये उनको नियत अवधि में एग्जामिन न कर सकी, इसलिये यह संशोधन लाई है। यह राजस्थान सरकार की ओर खास कर लोकल सैल्फ विभाग की इनएफीसियेन्सी की ओर इंगित करता है। इसलिये अब इस संशोधन द्वारा यह कहना कि यह अधिकार किसी कलेक्टर को या सबोर्डिनेट अफसर को या एस. डी. एम. को दे दिया जाय या ज्यादा से ज्यादा किसी डिप्टी सेक्रेटरी को दे देंगे आप ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त की बात है नगरपालिका एक लोकल सैल्फ गवर्नमेंट कहलाती है, उसके निर्णय में रद्दोबदल करने का अधिकार सिर्फ सरकार को होना चाहिये। किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं।

इसलिये अगर आप चाहते हैं कि इस स्वायत्त शासन संस्था पर भी नौकरशाही हावी न हो तो इसको डिलीट करना अत्यावश्यक है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में नौकरशाही के वैसे ही अधिकार बहुत बढ़

(श्री माणिकचन्द सुराना)

गये है। उनको कन्ट्रोल करना और घटाना जरूरी है। पर कम से कम इन स्वायत्त शासन संस्थाओं के सिर पर तो इनको किसी हालत में न बिठाएं और इस महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक मुद्दे पर ये अधिकार सरकार स्वयं अपने हाथ में ही रक्खे।

आप अगर इस अवधि में इस जिम्मेदारी को वहन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो आप अवधि बढ़ा दें। दो महीना, १।। महीना कर दें। पर अवधि कम होने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में यह अधिकार देना गलत परम्परा होगी। और इसलिये मैं इस के पूर्ण रूप से डिलीशन के पक्ष में अपने विचार रखता हूं और इसको डिलीट करने के लिये सदन से मांग करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय............

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any discussion on this now.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस पर विचार रक्खे जाने चाहियें, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विचार रखे जाने चाहिये, शायद वे खुद ही इसे मान लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन पर पूछ सकते हैं। आप माननीय मन्त्री को कहने दीजिये अन्यथा तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसको डिलीट कराने को खड़े हों तो मौका दे दें। वरना हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Then there will be no end to this discussion.

जो बोलें वे पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन से पूछ लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में, फण्डामेन्टल मामले भी इन्वोल्व्ड हैं, मैं ऐसा मानता हूं, कि सवाल यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमारी सरकार ने और इस सदन ने भी गवर्नमेंट माना है और गवर्नमेंट मानने के बाद हमने उन संस्थाओं को यह मान्यता दी है कि वे अपने यहां की जनता से कर उगाते हैं, टैक्स लेते हैं और इसके बाद उस आमदनी के आधार पर वे अपना बजट बनाते है। और इसे यहां की जनता के चुने हुए लोग बनाते हैं। मैंने कई मरतबा सरकार के सामने यह बात लाने की कोशिश की है कि इस प्रकार का एक कोड ऑडिट कोड, इस एक्ट के साथ बनना चाहिये। इसका वायदा भी किया था कि एक महीने में यह बन जावेगा। तो यह बना दिया जाय और उसके अनुसार वे अपना बजट बनाकर सरकार को भेज दें, वे भी नोमिनेटेड होते हैं मिनिस्टर वगैरह तो उनको अधिकार रहे यह तो ठीक समझ में आ सकता है। हां, गबन और ऐसे ही दूसरी बातें हों जावे तो अलग बात है, उस की स्क्रुटिनी किया जाना उचित है, वरना तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा एक ऑडिट के अनुसार बनाये गये किसी बजट को स्क्रुटिनाइज कियेजाने की बात करना मेरे ख्याल से गलत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होगा। आप कोड बनादें इसमें किसी को ऐतराज नहीं। उसके आधार पर अगर बनाकर बजट आपको देती है तो फिर उस बजट को मान्यता होनी चाहिये।

(समय समाप्तिसूचक घंटी)

पर उस बजट को ऐसे अधिकारियों के हाथ देना जो कोई इसका अनुभव नहीं रखते, नये नये होते हैं उनको सरकार इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के बारे में अपनी ताकत दे तो यह दिक्कत की बात है। हां, मिनिस्टर साहब के सामने ले जा सकते हैं वे उनकी दिक्कतों को समझ सकते है। पर इन अधिकारियों को डेलीगेट करना ये पावर्स जो खुद नहीं समझते कतई ठीक नहीं है। आज भी जब कभी मैं डाइरेक्टर के दफ्तर में इन बजटों के सिलसिले में चक्कर लगाते जनता के इलेक्टेड लोगों को देखता हूं तो मुझे दुःख होता है। ये लोग स्वयं नहीं जानते आडिट कोड के मामले में। आप को इसलिये ये पावर उनको नहीं देने चाहिये, अपने पास ही रहने देने चाहियें, हां आप अकाउन्ट्स कोड दीजिये। यह जरूरी है। नहीं तो आप उनको अधिकार देकर इसको और कम्पलीकेटेड ही बनायेंगें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलियें मैं कहूंगा कि इस पर पूरी तरह से गौर करके फिर व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): इस सम्बन्ध मे दो मिनट का समय भी आप देंगे तो मैं कह दूंगा। दो मिनिट सिर्फ़ चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में इससे पहले कई बार चर्चा हुई और यह भी बजट वक्त पर पहुंचता नहीं और वक्त पर पेश नहीं होता इस बारे में बहुत कहा गया। यह भी कहा गया कि वक्त पर इसे पास नहीं किया गया, इसका जवाब तो मैं, इस बारे में एक क्वेश्चन कल आ रहा है, तब दे दूंगा।

लेकिन यह मैं साफ कर दूं कि इसकी जो मंशा हैं वह यह है कि हर छोटी से छोटी म्यूनिसिपैलिटी का बजट जब जयपुर में आवे और यहां आने के बाद कोई लेकूना उसमें पाया जावे, कोई छोटी मोटी गलती पाई जावे तो फिर उनको लिखिये। इस पर वहां के चैयरमैन और सेक्रेट्री यहां आवें और इस तरह से सब हैरान हों तो इस सारे लम्बे सिल सिले को खतम करने के लिये यह तय किया गया कि जो टाउन की म्यूनिसिपल कमेटियां हैं उनके बारे में इस तरह की व्यवस्था करदी जाय तो ठीक होगा। जयपुर में हैं, अजमेर में है तो वे डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज से बात कर सकते हैं। जो पचास हजार की म्युनिसिपैलिटीज़ है यानी डिस्ट्रिक्ट टाउन के अन्दर हैं उनके अन्दर कलेक्टर उनके सारे बजट को देखे। बजट में क्या होता है कि प्रोफॉर्मा होता है कि उनकी इनकम कितनी है, किस किस तरह के टेक्सेज से कितनी आमदनी है, ऐस्टेब्लिशमेन्ट कितना है। लेकिन कलेक्टर को यह अधिकार नहीं हैं कि वह कोई भी जायज आइटम को डिलीट कर दे। बल्कि जो पहले से बजट पास हो चुका है; जैसे हर म्यूनिसिपैलिटी का

Page No.97

(श्री बरकतुल्लाखां)

बजट जो राजस्थान गवर्नमेन्ट ने या डाईरेक्टर लोकल बॉडीज ने पास किया है, इतना बजट जो पास हो चुका है, वह तो पास ही माना जायेगा। उसके अलावा एक्सट्रा एक्सपेन्डीचर है उसके लिए कलेक्टर अपने व्यूज को दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कलेक्टर कोई म्युनिसिपेलिटीज का ऑफिसर बन गया हो। वह जो डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज स्क्रूटनी करता था वही की वही स्क्रूटिनी कलेक्टर करेगा या जो छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं वहां एस० डी० ओ० करेगा और बाकी जो उनका खर्चा जयपुर आने में होता था वह बच जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of information, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Now there will be no clarification.

प्रश्न यह हैं कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

स्वीकृत

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३ जो डेफर कर दिया गया था

श्री बरकतुल्लाखां : जो पोइन्ट श्री झाला ने उठाया है उसको क्लियर करना चाहता हूं—" provided that a member to whom charge has been handed over under clause (a) and (b), shall hold charge for a period not exceeding one month or till taking over charge by the Chairman or the vice-Chairman, as the case may be whichever is earlier."

दूसरे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए था उसके लिए यह है—

"First Class Magistrate shall be inserted between the word 'Municipality' and the words competent to do so." with these amendments, I seek permission to move the clause.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ का संशोधन जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

धारा ३, यथासंशोधित स्वीकार हुई।

क्लॉज ३, यथासंशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फार्मुला.....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और मंत्री महोदय ने भी कहा था कि अमेन्डमेन्ट जिस रूप में स्वीकार करते हैं वह उसको पेश करेंगे। लेकिन इस क्लॉज को अमेन्डिंगफोर्म में भी डिलीट करने के लिए निवेदन करने का अधिकार है......

श्री उपाध्यक्ष : It has already been put to vote and now there can be no question... ..

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I have raised the point of ordes in between the......

श्री उपाध्यक्ष : There can be no point of order after the rulling has been given.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फार्मुला, प्रिएम्बल टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल, इनेक्टिंग फार्मुला टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (सेकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है......

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने का अधिकार है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं है कि कहीं हमारे नागरिकों का सुधार हो सकता है......

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को पूर्व सूचित कर देता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की जो सिफारिश स्वीकार की गयी है उसके अनुसार सदन आज की कार्यवाही पूरी करने पर बाध्य है, इसलिए यदि यह कार्य इस सीमित समय में समाप्त नहीं हुआ तो अधिक बैठने की सदन की मन्शा होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कल ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कल पर नहीं जायेगा आज ही होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब एक आदमी जो वहां से हट गया है या हटा दिया है उसके अन्दर आपने यह भी रखा है कि जब वह चार्ज देने में विफल रहे तो भी उसको दण्ड दिया जायेगा......

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य किसके बारे में बोल रहे हैं?

श्री हीराभाई : इस बिल पर जनरल बोल रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जनरल स्पीच का समय नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, I will refer to rule 86 of the Rules of procedure and conduct of Business where general arguments can be given for the Bill or against the Bill and a debate is allowed within that scope. Therefore, that is the right of the House to debate it and that cannot be taken away.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it has been allowed and it is being done.

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब... ...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो केवल माननीय सदस्य से यह जानने की बात थी कि किस विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री हीराभाई : मैं नगरपालिका (सेकण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल पर जो अभी संशोधित हुआ है और पारित होने जा रहा है उस पर बोल रहा हूं।

उसमें इसी शब्द का प्रयोग किया गया है कि चार्ज देने में विफल रहता है तो उसका मतलब कहीं मेहमान चला गया या और किसी वजह से विफल रहा तो एक महीने की सजा और एक सौ रूपया जर्माना हो सकता है। अगर उसका अमेन्डमेन्ट मन्जूर भी कर लिया गया या एक महीने की सजा और १००) रूपया जुर्माना का तो उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला और काण्ड होगा। उसका मतलब यही होगा कि किसी आदमी ने किन्हीं रूपयों का गबन भी कर दिया है और गबन सबूत नही होने देने से चार्ज नहीं देना चाहे तो एक महीने की सजा और १०० रूपया जुर्माना होगा और यह होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के आदमी होंगे उनके लिए क्या होगा कि अभी एक महीने में कितने ही हजारों गबन को निपटा देंगे।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया तो इस पर तो मेरा बिल्कुल विरोध है। आपने जागीरदारी समाप्त की और उसी समय सारी जागीरें अपने हाथ में ले ली और उनका मुआवजा गवर्नमेन्ट की तरफ से दे दिया गया और आज आम और महुवे के पेड़ फिर से जागीरदारों की सम्पत्ति मानकर लोगों पर डिक्रियां की जा रही हैं। तो उसका नतीजा यह होगा कि इस एक महीने के अन्दर अन्दर कितने ही गबन के मामले सत्तारूढ़ दल के फेवर में निपट जायेंगे। चार्ज नही देने से कितने ही घोटाले होंगे तो एक महीने में सब निपट जायेंगे। अगर उसमें विरोधी पार्टी का है अगर वह किसी कारण से विफल रहा तो उसको तुरन्त सजा कर दी जायेगी। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर यह अमेन्डमेन्ट मान लिया गया तो मैं बिलकुल मना करना चाहता हूं और मेरी राय है कि इस बिल पर फिर से विचार किया जायें और ठीक ढंग से रास्ता निकाला

Page No.100

(श्री हीराभाई)

जाये तो ठीक है वरना जैसे जागीरदार फिर से आम और महुवे की प्रोपर्टी मानकर आज डिक्रियां कर रहे हैं उसी तरह से इसका भी दुरूपयोग होगा और चार्ज का बहाना निकालेंगे और अपने फेवर के केसेज को एक महीने में निपटा दिये जायेंगे।

(समयसूचक घंटी)

इसके साथ ही साथ जो गबन हुआ है उसकी सम्पत्ति वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको सजा तो कर दी जायेगी एक महीने की लेकिन जो गबन कर दिया है तो उसकी कौन वसूली करेगा। मैं मंत्री महोदय से उसके लिए क्लेरीफिकेशन चाहूंगा कि एक महीने की सजा तो उसको कर दी लेकिन जो उसने ४-५ हजार की सम्पत्ति नही दी है तो क्या ऐसा प्रावधान है कि उसकी वसूली की सम्पत्ति किसके द्वारा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि ५ मिनट से अधिक वाद-विवाद पर नहीं बोलें।

रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस म्युनिसिपेलेटीज अमेंडिग बिल के तीसरे वाचन पर बहस हो रही है, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार के सामने एक मौका आया था कि राजस्थान की, राजस्थान के नगरों की रहने वाली जनता की भावनाएं जो कि हाउस-टक्स के सम्बन्ध में जगह जगह राजस्थान में व्यक्त की गई हैं उनका आदर करते और इस म्युनिसिपेलेटीज (अमेंडमेंट) बिल में उन प्रावधानों का समावेश करते जिनके लिए जनता की जगह जगह मांग रही है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने उन तमाम संशोधनों को स्वीकार करने से इन्कार किया है, और इस प्रकार से जो यह सरकार की दलील रहती आई है कि वह एक बड़े तबके पर नये डाइरेक्ट टैक्स लगा कर म्युनिसिपल कमेटी की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और छोटे लोगों को राहत देना चाहते हैं, उस सरकार ने यह रुख जो इस बिल के तृतीय वाचन में दिखाया है, उससे यह जाहिर होता है कि सरकार वास्तव में जिस बात को कहती है उसको अमल में नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि वह कम से कम इस टैक्स की, जिसको डाइरेक्ट टैक्स कहा जाता है क्वालिटी के रूप में उसूलन इस बात को कहा जाता है कि यह एक प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में स्वीकार किया जाय, जिस रूप में इस टैक्स को लाई है या जिस रूप में इसका संशोधन भी किया गया है वह नाममात्र को कहने के लिए एक डाइरेक्ट टैक्स है, और दरअसल में इसका बोझ, इसका तमाम वजन उन आम गरीब लोगों पर, लोपेड लोगों पर पड़ेगा जो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, और इस रूप में सरकार ने जो भी संशोधन किया है १२०) से १८०) रु० का, वह बिल्कुल अपर्याप्त है, और वह जनता, जिसको इस राहत की आवश्यक्ता है, उसकी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि जो आज राजस्थान में इस प्रश्न को लेकर जगह जगह पर आन्दोलन उठ रहे हैं, जगह जगह पर जो बड़ा असन्तोष हो रहा है, सरकार उनकी तरफ से आंखें मूंदकर एक मेजोरिटी के बल पर आगे बढ़ना चाहती है वह इस डेमोक्रेटिक युग में सही नहीं है। सरकार को इस भावना को समझना चाहिए था, और वह सरकार इस बिल को पास कराके इस रूप में उनका आदर नहीं कर रही है।

दूसरा पोइन्ट, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस प्रकार इस शासन में, एक कमजोर शासन में लगातार सरकार नौकरशाही के ऊपर निर्भर करती जा रही है, और पता नहीं जाने या अनजाने में अपनी चुनी हुई लोकल बॉडीज में इस प्रकार का एक अपमानजनक स्थान उनको दे रहे हैं कि जिसके अन्दर उनको नौकरशाही के तहत उनसे ताबे रह कर उनकी महरबानियों पर चलना पड़े। जिस प्रकार इस बिल के तहत उन्होंने नौकरशाही को पावर्स देकर और इस प्रकार का प्रावधान किया है वह लज्जाजनक है, और इस प्रकार से म्युनिसिपेलिटीज़ में जिस प्रकार से कि राजाओं से आहिस्ता २ उनकी विलिंग कॉन्सेन्ट से, इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से और फिर बाद में उनकी और कॉन्सेन्ट ले लेकर उनके अधिकार लिये हैं, तो ऐसे ही म्युनिसिपेलिटीज़ में हमारी नौकरशाही अपनी होशियारी या अपनी काबलियत के बल पर सत्ताधिकारी दल से उनके दस्तखत करवा रहा है उनके डेथ वारन्ट पर, अपने सुसाइड पर। यह सब उनकी खुशी से होता जा रहा है। वे अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं और खुद उनके हाथों वे प्रोवीज़न इस एमेंडिंग बिल के रूप में पास करवा रहे हैं, और नौकरशाही अपनी शक्ति को बढ़ा रही है, और हमारे चुने हुए मंत्री-मंडल की खुद की शक्ति को कम कर रही है। यह बड़ी खेदजनक स्थिति है। इस बेबसी में हमारे चुने हुए मंत्री-मंडल के लोग अपने आपको महसूस करें तो मैं यह समझता हूं कि 'बुनियादी तौर पर यह एक ऐसी बात है जो कि आयन्दा आने वाले समय में हमारे ऊपर इसका असर बुरा पड़ेगा हमारे सारे प्रशासन में भी और हमारी राज्य की व्यवस्था में भी। तो इस स्थिति के अन्दर मैं यह उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जो कि इस बिल का संचालन कर रहे हैं वे इस पर दुबारा गौर करेंगे, और जो इस सदन में भावनाएं व्यक्त की गई है इस संबंध में उनका आदर करते हुए इस बिल को उस रूप में, एमेंडेड रूप में स्वीकार करने की फिर स्थिति में भी कोशिश करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि हम कुछ जनता से संबंधित महत्वपूर्ण बिल भी बहुत जल्दी इसलिए पारित करा रहे हैं, क्योंकि हमें केवल कराने हैं, और उसमें हम सोचे भी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय कुछ ऐसे मुद्दों पर जिनके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्योंकि हमें आज यह काम करना है इसलिए उसको करना है, और ऐसे मुद्दों को पास करें जो कि आम जनता से सम्बन्धित है। मैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

समझता हूं कि बड़े खेद की बात है कि हम लोकतान्त्रिक परम्पराओं के आधार पर चलना चाहते हैं और नगरपालिकाओं की जो एक जनतान्त्रिक इकाई है हम अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो कि लोकतन्त्र के बिल्कुल विपरीत हैं। हमने आज एक ऐसा कानून बनाया है कि जो लोकतांत्रिक तरीकों से चुने हुए व्यक्ति हैं चाहे वे नगरपालिका के चेयरमैन हों उसके जरिये से हम उनको सजा भी दे सकते हैं, जुर्माना भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लोकतन्त्र के विपरीत है।

इसके दूसरी ओर एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि हाउस टैक्स के सम्बन्ध में सारे राजस्थान में हर जगह पर इसकी खिलाफत हो रही है, आज ही मैंने एक पत्र में पढ़ा है कि म्युनिसिपेलिटी बयाना ने कहा है हाउस टैक्स की जो योजना थी, यह ठीक बात है, लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं लगायेंगे। आप यह फैसला करेंगे कि नहीं लगा रहे हैं तो हम वहां पर अपने आदमी भेजेंगे और लगायेंगे। कुछ ऐसा काम हो रहा है, कुछ लोग नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन आप अपने तरीके से लोकतान्त्रिक परम्पराओं को ठुकरा करके लगवाने की बात करते हैं। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर आज ही फैसला करें। राजस्थान के अन्दर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को हर आदमी को देखने और सोचने का मौका दें। यह ठीक बात है कि टैक्स लगाना अनिवार्य है लेकिन कम से कम वे यह सोचें कि हमारे यहां किस तरीके से लगाना पड़ेगा, हमारे यहां कितने टैक्स की आवश्यकता है और नगरपालिकाओं में कितने पैसों की कमी है। किन्हीं नगरपालिकाओं में पैसों की कमी नहीं है और आप कहते हैं कि लगाइयेगा तो क्या मकसद है ? वहां पर उनको सोचने का मौका देना चाहिए। आप कहेंगे कि अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए तो उनको लगाने के लिए सोचने का मौका दें। अगर आप मनमाने तरीकों से लगायेंगे तो वसूल हुए बिना वह रह जायगा और विद्रोह की ज्वाला इतने बड़े तरीके से फैलेगी कि आपको उसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप जनता की आवाज हैं और जो जनता की आवाज है उसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा, और उस मुकाबले के अन्दर आपको बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ से अभी मामूली बात आपसे कही गई थी। यह जो बजट पास होने के बाद जो बजट आपको भेज दिया जाता है वह अधिकार आपने कलेक्टर को सौंप दिया। मैं कहता हूं कि थर्ड फाइव ईयर प्लॉन में यह कहा जाता है कि इसमें शहरों के विकास का कार्य भी रहेगा, योजना बना कर देंगे। नगरपालिकाएं अपनी योजनाएं बनाती है उनमें ऐसी भी बातें रहती है कि जिसका संबंध सरकार से हैं, पैसे का सवाल रहता है। ड्रेनेज का सवाल है, इतना टैक्स से आयेगा, इतना सरकार से कर्जा लेना चाहते हैं, इतना विकास विभाग से लेना चाहते हैं। वहां पर पैसा लेने का सम्बन्ध आपसे है। पैसा कलेक्टर तो देगा नहीं। मान लीजिये उसने बजट पास कर दिया और पैसा सरकार से मांगेंगे और सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहेगी कि हमने तो बजट पास नहीं किया इसलिये आपको पैसा नहीं मिलेगा तो रह गया सारा बजट, रह गयी सारी विकास की योजना और रह गई सारी दूसरी बातें। सवाल यह है कि कलेक्टर को यदि आप यह काम सौंप देंगे तो काम नहीं होगा। पैसा देने का संबंध सरकार से है और सरकार ही पैसा दे सकती है कलेक्टर नहीं दे सकता यदि ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिका विधेयक को इतनी जल्दी में पारित न करें बल्कि इस पर अच्छी तरह से सोचें विचार करें। आपने अक्टूबर से टैक्स लगाने का समय रखा है। तब तक तो झगड़ा ही चलता रहेगा। कितने ही एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे। यह तो सब कुछ किया नहीं और आपने कह दिया कि लागू हो जायगा। आखिर आप लोगों को बतावेंगे, समझावेंगे, सूचना देंगे तभी तो लगा सकते हैं। यह नहीं कि आपने कह दिया कि २ अक्टूबर से लागू होगा। इसलिए सारी परिस्थिति में झगड़ा हो रहा है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इतनी जल्दी नहीं करें। गंभीरता से सोचें। और सिर्फ लागू ही करना है तो राजस्थान के लिये यह कलंक की बात होगी और जो परम्परा चल रही है उसको तोड़ कर इस प्रकार की महत्वपूर्ण मांग को क्यों पास करना चाहते हैं। पास करके उसी तरह से चलना चाहते हैं तो नतीजा बुरा होगा। मैं सोचता हूं सदन के माननीय सदस्य महसूस करते हैं यह बला है क्या? सरकार करना चाहती क्या है। इस तरह की बात करते हैं तो उसका असर दूसरा ही होगा। लोकतांत्रिक परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिये गंभीरता से सोचना चाहिये। इसको अभी पारित न करके सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करके पारित करना चाहिये। अन्यथा नतीजा बुरा होगा फिर अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा और कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री जयनारायण सार्लोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष, नगर पालिका (संशोधन) विधेयक पर बहस हो रही है। इस विधेयक का संबंध राजस्थान की पूरी जनता से है और वह जनता बहुत बड़ी मात्रा में है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि एक तरफ तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट प्रजातन्त्र के नारे द्वारा अपने आप को यह सिद्ध कर रही है कि हम जो भी काम करते हैं वह प्रजातन्त्र के आधार पर करते हैं और दूसरी तरफ हम प्रजा की आवाज को ताक में रख कर जो भी चाहें, वह जनता के खिलाफ हो, चाहे माफिक हो बहुमत के आधार पर विधान सभा में बहुमत के आधार पर यहां फैसला कर लेते हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसके हर क्लॉज का विरोध किया है और संशोधन रखा है। लेकिन जैसा पहले अर्ज किया, हमारे माननीय मंत्री महोदय नहीं मानना चाहते हैं जनता की आवाज को। उनको यह आभास नहीं है कि इधर बैठने वाले लोगों की आवाज है वह जनता की आवाज है.......

एक माननीय सदस्य : उधर मंत्रियों की आवाज है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मंत्री महोदय से सामान्य तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सही बात आपको मिलेगी तो इधर से मिलेगी। आप अपने आप मेजोरिटी के आधार पर इस तरह की बात करते हैं वह ऐसी है, पर हमारी सरकार इस तरह का बिल लाकर हमारे प्रजातन्त्र का आधार हैं ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रेलाइजेशन करना चाहिये। वह नहीं करके एक अधिकारी के हाथ में, ऐसी मशीनरी के हाथ में जिसको अभी पूर्व वक्ता ने नौकरशाही की संज्ञा दी है मैं भी इस विचारधारा को मानता हूँ कि हमारी सरकार आज आई० ए० एस० और आर० ए० एस० ऑफिसर्स के हाथ में कठपूतली बनी है, जैसा भी वे लिख दें मजाल है कि उनके विरोध में चले जांय। यह क्या प्रजातंत्र है? जिस प्रजातंत्र में मंत्री मजबूर हों, उनके कानों में जनता की आवाज नहीं पहुँच सके वह कैसा प्रजातन्त्र है?

इसमें एक क्लॉज रखा है कि जनता के चुने हुए आदमियों को सजा हो सकती है या उन पर जुर्माना कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जहां सजा और जुर्माना करने का टाइम हो, ऐसी परिस्थिति सामने आती हो उस समय मौन रहते है और हमारे चुनिदा लोगों पर इस तरह का बिल लाकर……

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): क्या चुनिदा लोगों को छूट दे देनी चाहिये?

श्री जयनारायण : छूट नहीं देनी चाहिये, लेकिन उनको ख्याल रहना चाहिये कि वे ट्रेन्ड नहीं होते है, गलतियां हो सकती हैं, आप पहले नौकरशाही पर कंट्रोल करिये, भ्रष्ट महकमों से फुरसत पा लीजिये, रिश्वत मिटा दीजिये, चोरियां खत्म कर दीजिये, पहले डकैतियां खत्म कर दीजिये, गवर्नमेन्ट में जो गबन चलता है उसको खत्म कर दीजिये। इसके बाद में यदि आपको फुर्सत मिले और बाद में करना चाहते हैं तो वह काम करिये जिससे व्यवस्था बैठे। बजट में जितना रुपया मंजूर होता है और खर्चा होता है वह ठीक तरह से होता है या नहीं इस तरह की बात को ध्यान में रखना चाहिये। मैं मानता हूं कि जो भी अधिकार है उनका दुरुपयोग हो जाता है। जिस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंन्ट ने अधिकार दे रखे हैं कि गवनमेन्ट म्युनिसिपेलिटीज के सदस्यों को……

श्री उपाध्यक्ष : Order please !!

सदन का समय समाप्त होने जा रहा है। क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय?

(अनेक माननीय सदस्य 'अवश्य बढ़ाया जाय')

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह अमेन्डिग बिल बहुत महत्वपूर्ण है……

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! कार्यवाही को देखते हुए सदन का समय बढ़ाना बहुत लाजमी होगा इसलिए मैं समझता हू कि सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाय?

श्री बरकतुल्ला खां : Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to submit that it is a third reading. It is not a general discussion. It is a discussion confined to the Bill only and argument should be used either to throw away… …

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में बोलें तो सबकी समझ में आजावे।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग होता है उसके लिये अर्ज करूं इसके मुत्तल्लिक कि यहां इसमें सारी पालिसी को डिसकस करें, मैं सबमिट करूंगा कि थर्ड रीडिंग का मतलब यह होता है कि जहां क्लॉज वाई क्लॉज पास हुआ उसको थर्ड रीडिंग में पूरा पास किया जाय या खत्म किया जाय। न तो इस समय सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात हो सकती है न जनरल डिस्कशन हो सकता है इसलिये पूरा पास किया जाय……

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वार) : खत्म किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो मन्त्रीजी ने संकेत किया है उसका माननीय सदस्य ख्याल रखेंगे क्योंकि कार्यवाही में एक मोशन और बाकी है, मंत्रीजी को जवाब देना है, और भी कार्यवाही है इसलिये समय बढ़ाना आवश्यक है·····

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपको करना है तो वैसे ही कर लीजिये···

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार की प्रवृति अच्छी नहीं है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय या दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। इससे तो अच्छा है कि मंत्रीमंडल में बैठ कर इसे पास कर लें···

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अब्दुलजब्बार : इसीलिए सदस्य चुने जाते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! सदन का समय समाप्त हो चुका है, उसको बढ़ाये बिना कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन की मन्शा है ? एक और, अन्डर रूल १२७ मोशन लिये जाने का है इसलिए सदन की यह मन्शा होगी कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : 'बढ़ा दिया जाय, बढ़ा दिया जाय')

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : समय नहीं बढ़ना चाहिये। कल भी सात बजे तक बैठे थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, समय के लिए पहले सूचना दे दिया करें क्योंकि सब लोगों के एंगेजमेंट्स होते हैं। कल भी साढ़े सात बजे तक बैठे थे। आज भी समय बढ़ाना चाहते हैं। कल ही इसके लिये बता देते तो हमें सुविधा रहती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका एंगेजमेंट कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कहना मेरे लिये कठिन है कि कितना समय कब बढ़ेगा। यह माननीय सदस्यों के सहयोग के ऊपर है कि कार्यवाही को कितना लम्बा खींचते हैं या उसको सीमित समय में समाप्त करना चाहते हैं। मैं बाध्य होता हूँ, क्योंकि कार्य-सलाहकार समिति की सिफारिश है, जो कार्यवाही आज के एजेन्डा में है, वह आज ही समाप्त होनी चाहिये। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन का एक घंटे का समय बढ़ाने में अवश्य इजाजत देंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उपमंत्री, कृषि): उपाध्यक्ष महोदय, काफी बहस हो चुकी है इस बिल पर, इसलिये आधा घंटा काफी होगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय. ...

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order please !! अब एक तरफ आप समय को बढ़ाना नहीं चाहते और दूसरी तरफ प्रत्येक माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत: एक दिन पूरा जरूरी है इस काम के लिये।

श्री उपाध्यक्ष: इसका मतलब यह हुआ कि इस वाद-विवाद को समाप्त करके मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका उत्तर दें।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां जनता का सवाल है ..

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जब तक समय समाप्त न हो जाय, बोलना समाप्त न हो जाय तब तक उत्तर कैसे दे रहे हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया: मैं एक मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्री बरकतुल्ला खां: जो व्यवस्था आपने दे दी है..

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार सदन की कार्यवाही चली तो इस सदन की प्रतिष्ठा समाप्त हो जायगी और सदन 'पटेल की पोल' की तरह हो जायगा। मैं समझता हूं, आप आसन की प्रतिष्ठा रखेंगे और इस तरीके की व्यवस्था स्वयं बनायेंगे जिससे समय पर सारी कार्यवाही समाप्त हो सके। यह कोई आसन की ट्रायल नहीं है कि इधर वाले बोलते रहें और उधर वाले बोलते रहे कि समय न बढ़ाया जाय। अब मैं बाध्य हूं। जो माननीय सदस्य कहना चाहते थे वह समय में कह सकते थे। अब मैंने माननीय मंत्री जी को उत्तर देने की व्यवस्था दे दी है। माननीय मंत्री उत्तर दें।

श्री बरकतुल्ला खां: उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपेलेटी का शासन चलाने के अन्दर जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है, उसको शायद गलत समझा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि न तो सरकार की यह मन्शा है कि म्यूनिसिपेलिटीज को खत्म किया जाय, न सरकार की यह मन्शा है कि उनकी आजादी के अन्दर फर्क लाया जाय, न सरकार की यह मन्शा है कि कलेक्टर या किसी ऑफिसर को उनके ऊपर ऑफिसर बना दिया जाय मन्शा यह थी कि जो म्यूनिसिपेलिटीज में तकलीफ होती थी एक बिलकुल छोटी चीज को पास करने के अन्दर, वह तकलीफ दूर हो जाय, मन्शा यह थी कि जो एस० डी० ओ० तहसील में

(श्री बरकतुल्लाखां)

मौजूद हैं, जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, वह वहां के हालत से वाकिफ होता है, उसको समझता है और समझते हुए उन हालत के अन्दर बजट पास कर दें तो यह केवल एक फॉरमेलिटी है । जहां तक उधार देने का सवाल है, सरकार से रुपया म्यूनिसिपेलिटी को मिलने का सवाल है, वह सरकार देगी लेकिन उसको देने से पहले जो म्यूनिसिपेलिटी का हिस्सा है, वह उनको पूरा करना पड़ता है । यह नहीं कि सौ परसेन्ट ग्रान्ट सरकार से मिले । जो ग्रान्ट म्यूनिसिपेलिटीज़ को मिलेगी, उसको सामने रखते हुए ही म्युनिसिपेलिटीज़ अपना बजट बनायेंगी। जब बजट बनायेंगी तो नेचरल है कि जो बजट में प्रोविजन है, उसके अनुसार सरकार से उधार मिल जायगा । इसलिये कलेक्टर के वहां होने से कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो सकती । यह होता है कि जो बजट महीने में पास होता है, वह दस बारह दिन में पास हो जायगा, यह मान कर हम चल सकते हैं ।

जहां तक हाउस टैक्स का ताल्लुक है, इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि यह कम्पलसरी टैक्स हैं, यह जानते हैं कि पिछली असेम्बली ने इस हाउस टैक्स को पास किया है, यह भी जानते हैं कि टैक्स लगाये बिना म्यूनिसिपेलिटीज़ का शासन ठीक तरह से नहीं चल सकता– इन हालात में यह कहना उचित नहीं है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, उनके ऊपर यह टैक्स थोपा जा रहा है । यह वस्तुस्थिति तब पैदा होती जब जैसा कि पिछली असेम्बली ने हाउस टैक्स पास करके यह कहा कि हाउस टैक्स कम्पलसरी टैक्स होगा, उस वक्त की असेम्बली यह एटीट्यूड लेती कि हाउस टैक्स को कम्पलसरी रूप में नहीं रखा जायगा तो बात समझ में आ सकती । यह नहीं किया गया तो यह माना जायगा कि जिस तरह स्टेट इन्डिपेंडेंट स्टेट नहीं है, उसी तरह राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ इनडिपेन्डेंट म्युनिसिपेलिटीज़ नहीं है । राजस्थान स्टेट कॉन्स्टीट्यूशन के फ्रेम वर्क के अन्दर काम करता है और उसके राइट्स और प्रिवीलेलेज डिफाइन हैं, इसी तरह म्युनिसिपेलिटीज़ को पॉवर, राइट्स और प्रिवीलेलेज डिफाइन हैं । यह समझना कि म्युनिसिपेलिटीज़ इनडिपेन्डेट है, हम कुछ कर सकते– यह गलत होगा क्योंकि हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि अपने पैरों पर खड़े होकर फंक्शन कर सकें । इसका मतलब यह है कि जहां म्युनिसिपेलिटी अपने टैक्सेज से अपने रिसोर्सेज को रेज करने के लिये तैयार नहीं है, वहां सरकार मदद करके उनके रिसोर्सेज को तैयार करके उनको रिसोर्सेज रेज करने के लिये मजबूर करे...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : I want one minute Sir.

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल इस हाउस टैक्स के बारे में जैसा बराबर कहा जाता है कि इस प्रकार के प्रावधान रख कर विरोधी दल की म्युनिसिपेलिटीज़ को खत्म किया जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में विरोधी दल की कितनी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं और कितनों को इस बिना पर खत्म किया है···

श्री अब्दुलजब्बार : On a Point of Clarification, Sir.

श्री बरकतुल्लाखां : और कितनों को नहीं किया है……

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : On a point of clarification Sir……

श्री बरकतुल्ला खां : यह म्युनिसिपेलिटीज बिना हाउस टैक्स के चल नहीं सकती…

श्री अब्दुलजब्बार : On a Point of clarification Sir.

श्री बरकतुल्ला खां : फिर जो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किये हैं, जैसा कि……

श्री हरिराम चौहान : On a Point of clarification, Sir, जो मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं कि टैक्स जरूर लगने चाहिए लेकिन हाउस में अगर टैक्स तय किये जाते हैं तो यह उनके अधिकारों का हनन है…

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : स्टेट के जरिये टैक्स तय नहीं होने चाहिये। म्युनिसिपेलिटीज के जो सदस्य हैं वे वहाँ की समस्याओं को जानते हैं, वे सोचें कि कितना टैक्स हो, किस तरीके का हो……

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन नहीं, आप तो भाषण दे रहे हैं। मैं सदन की सूचना के लिये यह नम्र निवेदन करता हूं कि सदन की परम्परा के अनुसार पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन जहां, बिल्कुल छोटी कोई अटकी हुई बात हो, उस विषय में ही आप एक दो सेन्टेन्स में पूछ सकते हैं। बाकी यह परिपाटी नहीं है कि मंत्री महोदय भाषण करते हों तो उनको बार बार इन्टरप्ट किया जाय। पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन इस प्रकार अलाऊ नहीं हो सकता। सदन की कार्यवाही को सहूलियत से चलाने देने मे आप सब सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मन्त्री महोदय।

श्री हरिराम चौहान : मैं व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट……

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप मन्त्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट न हो तो ना पक्ष में जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस लिये मन्त्री महोदय जवाब देना शुरू करें।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा मैं अर्ज कर रहा था, किसी म्यूनिसिपेलिटी के खिलाफ हाउस टैक्स नहीं लगाने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिवाय इसके कि जो रिजोल्यूशन पास किये गये, उनको रिजेक्ट किया गया और यह उनके इन्ट्रेस्ट में किया गया और इसलिये किया गया कि किस तरह उनके रिसोर्सेज को बनाया जाय। इस राजस्थान में टैक्स इसलिये लगाने पड़ेंगे कि क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। हम स्टेट के अन्दर टैक्स लगाते हैं, स्टेट में रोजमर्रा टैक्स लगाने की बात करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को रेज करें। इसी तरह म्युनिसिपेलिटीज को अपने रिसोर्सेज रेज करने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि वे हमेशा स्टेट की तरफ देखती रहें और स्टेट नये नये रास्ते निकाल कर रुपया देती रहे। मेरे पास तो म्युनिसिपेलिटीज के बजट में २५ हजार रुपया है, वह चाहे आप किसी तरह भी ले लीजिये, लेकिन पच्चीस हजार से काम नहीं चल सकता, काम तो तब चलेगा जब वे अपने पैरों पर खड़ी होवें। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित हुआ)

(विराम)

(Next)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आज....

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(विचार स्थगित)

श्री रामकिशन : कल बहुत कम काम है, कल के लिए स्थगित करें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६२ के लिए तय हुआ था कि इसके बाद लिया जायगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी इजाजत हो तो आज यह बिल दो-चार घंटे बैठ कर पास कर लेते हैं। इतने समय बैठने के लिए सदन राजी हो तो मैं लेना चाहूंगा।

श्री रामकिशन (वैर) : कल बहुत कम बिज़नेस है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कल ले लीजिये।

एक माननीय सदस्य : कल समय खूब मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी नहीं लेना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं लेना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो; लेकिन इसे पास करवाने में तीन चार घंटे लगेंगे....

श्री जयनारायण सालोदिया : समय काफी हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से, आज न लें तो ठीक रहेगा।

श्री बरकतुल्लाखां : जैसी आपकी इजाजत हो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाड़मेर जिले की बाबुत बाड़मेर व पचपद्रा पंचायत समितियों के क्षेत्र में अकाल की स्थिति सम्बन्धी विषय पर चर्चा

श्री अमरसिंह (पचपद्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि जिस विषय को आज के लिए रखा है वह आठ दिन हुए, उसको मूव किये हुए, यह अहमियत का सवाल है; अकालग्रस्त लोगों की भावना को मुझे इस सदन के समक्ष रखना है। कुछ सरकार की तरफ से अवहेलना होने पर मैं चीफ मिनिस्टर का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अवश्य इसका जवाब बख्शेंगे। अगर इस पर फिर कल समय रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज सब थके हुवे हैं इसलिये इस मोशन को अभी मूव किया जाए तो ज्यादा उचित नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि कल कृपा करके १२ बजे का समय दें तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। वहां पर पीने को पानी नहीं है। उनके पास खाने को रोटी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार है और इसमें कोई चेन्ज नहीं हो सकता। अतः इसको कल नहीं रखा जा सकता है।

श्री अमरसिंह : अगर कल नहीं लिया जा सकता है तो आज लेना है तो मैं इस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यस, ले लीजिये।

श्री अमरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, पश्चिमी राजस्थान का बाडमेर जिला अनावृष्टि के कारण आज अकालग्रस्त घोषित है। इस क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं कि वहां पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी और इस कारण वहां के लोगों को अपने हल खड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बकाया क्षेत्र में एक वर्षा हुई, कहीं कम हुई और कहीं बिल्कुल नहीं हुई। इस प्रकार सारे स्थानों पर फसलें नष्ट हो गई। उनके यहां पीने को पानी नहीं रहा और मवेशियों के लिये चारे का तिनका नहीं रहा। इसके फलस्वरूप त्रिविध अकाल पड़ गया। पानी का अकाल, घास का अकाल और धान का अकाल। यह बाड़मेर की तरफ हुआ और आज तक विद्यमान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को जानकारी और माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि वहां के रहने वाले मनुष्य ज्यादातर अपना निर्वाह पशुपालन से करते हैं और जिनका जीवन मवेशियों पर निर्भर रहता है, पशुपालन उनका मुख्य पेशा है और साथ साथ वे लोग खेती भी करते हैं, मगर उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। वहां के कई लोग ऐसे हैं जो २०० से ३०० तक गायें रखते हैं। उनका निर्वाह पशुपालन पर ही है, वे कतई खेती नहीं करते। इस प्रकार के काफी संख्या में लोग हैं जो केवल पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति के पास एक हजार अथवा डेढ़ हजार गायें हैं। जो कांकरेज नस्ल की चुनी हुई गायें हैं। ऐसी जितनी गायें इस ब्रीड की यहां पर है भारतवर्ष में इस क्वालिटी की गायें कहीं नहीं है। यह मैं करीब करीब आॅथेन्टीकली कह सकता हूं। बाकी इलाके भी कांकरेज गायों के हैं।

इस त्रिविध अकाल के समय इन मवेशियों के मालिकों के लिये आवश्यक है कि उनको पानी और घास किस जगह उपलब्ध हो और सरकार की तरफसे यह भी प्रबन्ध करना आवश्यक होगा कि उनके मवेशियों के लिये जो बाहर जाते हैं उनके लिये रास्ते में उनके मवेशी तकलीफ न पावें उसका प्रबन्ध हो, ऐसी आशा उन लोगों को थी। बकाया पशुधन और हल खड़ने के बैल जो वहां पर रहे जो लोग २० या २५ की संख्या में रखते हैं उनके लिये घास के गोदाम खोलने आवश्यक हैं जिससे वे घास वहां से प्राप्त करके अपने पशुओं को जीवित रख सकें।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष, जिले की समस्या यह हुई कि हमारे यहां का इलाका, खास कर लूनी के साउथ का इलाका जो थार का इलाका है वहां पर पानी की कमी रहती है और लोग साल भर पानी रिजर्वोयर में रखते हैं जिसको टांके कहते हैं, साल भर वे इन पर निर्भर करते हैं। दूसरा

Page No.111

(श्री अमरसिंह)

जो इलाका है, जो लूनी नदी से नोर्थ को है, वहां अप्रेल के बाद लोगों को ४ या ५ कोस से पानी लाना पड़ता है और वे लोग दूर दूर से पानी लाते हैं। ऐसे क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यह समस्या हो गई है कि उस समय वे लोग इस संकट का किस तरह निवारण करें।

साथ ही घास का उत्पादन नहीं के बराबर होने के कारण यह आवश्यक है कि वहां पर रिलीफ वर्क खोले जावें ताकि हरिजन और दूसरे लोग जो मजदूरी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं वे अपना निर्वाह कर सकें। सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इतना ही नहीं इसके अलावा यह व्यवस्था हुई है कि शीघ्रता के साथ बीघोड़ी वसूल की जा रही है। सरकार की तरफ से ऐसे आदेश वहां के अधिकारियों को मिले हैं कि बीघोड़ी वसूल नहीं होगी तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जायगा और तुम्हारा कार्य इस पर देखा जावेगा जिस हद तक बीघोड़ी वसूल होगी। अगर बीघोड़ी वसूल नहीं की जायगी तो तुमको नाकाबिल शुमार किया जाएगा। इसलिए परगने भर में यह हुआ कि एन केन प्रकारेण सरकारी कर्मचारी उन लोगों से बीघोड़ी वसूल कर रहे हैं। अकाल ग्रस्त लोगों की मवेशी नीलाम की गई और उससे बीघोड़ी वसूल करने का इन्तजाम किया।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, बीलाड़ा से १०, १५ मील पर कल्यानपुर में सरकारी जमीन पड़त है। गोचर नहीं है सिर्फ फैलो लैन्ड है। ऐसी जमीन पर २०० व्यक्तियों ने काश्त करना शुरू किया। किसी समय वहां पर अन्न पैदा होता और किसी समय नहीं होता और किसी समय अकाल पड़ने से नाज का एक दाना भी पैदा नही होता फिर भी वे लोग संतोष करते हैं कि यह भगवान की मर्जी है, भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। यह कह कर वे सबर कर लेते हैं। उनको किसी न किसी तरह से जमीन से हटाना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पिछले चार वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले, तीन वर्ष पहले, दो वर्ष पहले इन व्यक्तियों में से किसी को भी किसी भी सरकारी अधिकारी की तरफ से यह नहीं कहा गया कि भाई इस जगह काश्त मत करो। उन व्यक्तियों से बीघोड़ी का तकाजा नहीं किया गया।

आज ६ साल के एरियर्स उन लोगों से वसूल किये जाने शुरू हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको एम्फेसिस के साथ मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ६ साल के एरियर्स ही नहीं पेनल्टी भी उन लोगों से वसूल की जा रही है। एक ही क्षेत्र में डबल डबल पेनल्टी, भिन्न-भिन्न पेनल्टी, कई मनुष्यों से दुगुनी, कई से चार गुनी और कई से ६ गुनी- इस प्रकार की पेनल्टी के साथ में लगान वसूल करना शुरू किया और इस लगान वसूली करने का मौका १९६२ के पहले कभी नहीं मिला। माननीय उपाध्यक्ष, यह हम लोगों के लिये बड़ी समस्या पैदा हो गई है, वे लोग त्रस्त होकर सब जगह घूमे, हम लोग गांवों में रहने वाले हैं, ईश्वरवादी हैं, हम मानते हैं भगवान जरूर सुनता है, वहां अन्धेर नहीं देर जरूर है। वह देरी कब समाप्त होगी ? क्या जबकि वे बेचारे मनुष्य समाप्त हो जायेंगे ?

(श्री अमरसिंह)

इस तमाम परिस्थिति को लेकर एक महीने पहले मैंने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा। मैंने देखा कि मैं तो एक छोटा सा इन्सान हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बड़ी हस्ती है अतः उनको न लिखकर उनके सेक्रेटरी को लिखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारे यहां के अकाल की स्थिति से अवगत कराने की कृपा करें। मुझे माननीय मुख्य मंत्री के सेक्रेटरी से पत्र मिला है, मैं उनका आभार मानता हूं। उन्होंने लिखा है कि मेरा पत्र माननीय मुख्य मंत्री को पेश किया जा रहा है, यह भी नहीं कि पेश कर दिया गया है। उन अकाल ग्रस्त मनुष्यों को हम क्या राहत देना चाहते हैं, इसकी कोई खबर नहीं। यह हमारी जन भावनाओं की अवहेलना की गई है।

५ तारीख को वहां हमारी पंचायत समिति की बैठक हुई, उसमें कलेक्टर, एस० डी० ओ० भी थे और जन गण का यह छोटा सा सेवक भी था। खास करके अकाल की समस्या को समिति के सामने रखा और एक मत से यह पारित हुआ कि वास्तव में यह अकाल ग्रस्त एरिया है, क्या-क्या व्यवस्था होनी चाहिये। और कल्याणपुरा क्षेत्र में वसूली की जा रही है उसके लिये कलेक्टर को अर्ज किया कि यह समय वसूली का नहीं है, इसलिये इसकी वसूली नहीं की जाय। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सदन की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि कलेक्टर वगैरह के विरुद्ध मुझे एक भी शब्द नहीं कहना है, वे निहायत शरीफ और समझदार आदमी है उनको अपने कर्त्तव्य के पालन का ख्याल है, मैं उनकी इसके लिये दाद देता हूं। पर आज कल की सर्विसेज इतनी हक्की बक्की डिमोरेलाइज हो गई है कि जिम्मेदारी को महसूस करते हुए भी काम करने में असमर्थ है, उनकी आंखें ऊपर टकटकी लगा कर देखती हैं कि हमारी सरकार हमारा क्या करेगी, हमारा ट्रान्स्फर कर देगी, निकाल देगी या क्या करेगी। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खाली आक्षेप के लिये नहीं कह रहा हूं। यह डिमोरेलाइजेशन फैल रहा है, यह सर्विसेज के ऊपर आतंक है, उनका रेस्पोन्सिबिलिटी का मादा है उसको इस प्रकार छीन लिया गया है। मुझे अफसोस है कि एक राग में दूसरी रागिनी अलापनी पड़ रही है। नतीजा यह हुआ कि उनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि कल्याणपुर में जो वसूली हो रही है उसको स्थगित कर दें। ऐसी हिम्मत कलेक्टर की नहीं हुई।

९ तारीख को मैं यहां आने लगा तो उन लोगों का डेपुटेशन मेरे पास आया और कहा कि हमारे सब मवेशी नीलाम हो रहे हैं, लोगों के खाने को अन्न नहीं है, मवेशी मर रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को पीने का पानी तक नहीं है, मवेशियों के पीने का पानी नहीं है, उधर मवेशियों के हडर्स के हडर्स नीलाम हो रहे हैं। मैं अपना अपराध मंजूर करना चाहता हूं, पब्लिक भी मंजूर करने को तैयार है, यदि इसमें अपराध है। मैंने सलाह दी कि न्याय को प्राप्त करना तो मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरी राय है कि मवेशी को नीलाम करते हैं तो करने दो पर आप एक पैसा मत दो।

यहां आने के पश्चात् इस सदन में मैंने एक पत्र लिखकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास भेजा और निवेदन किया

(श्री अमरसिंह)

कि बाड़मेर की अकाल ग्रस्त जनता की समस्या के सम्बन्ध में बात चीत करने और अन्य लोकोपयोगी समस्याओं पर परामर्श करने के लिये मैं समय चाहता हूं, कृपा कर के मुझे २० मिनिट अता फरमाये जायं। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे अत्यन्त खेद है। यही नहीं कि मुझे समय नहीं बख्शा बल्कि मुझे उसका प्रत्युत्तर भी नहीं मिला। मैं समझता हूँ माननीय मुख्य मंत्री को मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है, पर उत्तर तक न देनां स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ होता है कि: "I do not care for you" इसके माने यह है कि यह डाइरेक्ट इन्सल्ट होती है। मैं आपसे अपील करूंगा कि यह मेरी व्यक्तिगत इन्सल्ट नहीं है, यह उन तमाम अन्नदाताओं का अपमान है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री, जिनको मैं वास्तव में माननीय समझता हूं, केवल कर्टसी के नाते ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी तबियत में इज्जत है, पर मैं नहीं चाहता कि वे हमारी बेइज्जती करें, स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य के निवासियों की बेइज्जती हो। जिनको उन लोगों ने यहां बैठाया है, उनके अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की पुकार सुनने को उनके पास समय नहीं है।

यह उपयुक्त होगा यदि मैं सदन के समक्ष निवेदन करूं कि सम्वत् १९९६ में मारवाड़ में कहत पड़ा था और अगस्त में केबिनेट मीटिंग हुई, स्व० महाराजा उम्मेदसिहजी ने उसे प्रिसाइड किया और आधा घंटे में १ करोड़ का बजट पास किया। एक केबिनेट मिनिस्टर को रिलीव किया और इस काम के लिये लगा कर कहा कि आपका काम है कि अकाल पीड़ित लोगों की देख भाल करें उनको सराबोर करें। उठते वक्त उन स्वर्गीय आत्मा ने आदेश दिया, मैं यह नहीं कहता कि एक करोड़ ही करो, पांच करोड़ करो पर सर डोनेल्ड मेरी रय्यत तकलीफ न पाये, यही मेरा डायरेक्टिव है, तुम इसका पालन करो। फलस्वरूप यह हुआ कि एक सप्ताह में तमाम मशीनरी गियर अप हो गई उधर नवाब भोपाल उनकी सरहद में घुसने से पहले ही सामने मिले और कहा मारवाड़ के भाइयों, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, मेरे बड़े भाई, तुम्हारे महाराजा साहब का मेरे पास पत्र आया है कि मैं आपकी मदद करूं अब आप फरमाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूं ?

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को अपील करूंगा कि एक तरफ तो यह चित्र है कि ऑटोक्रेटिक......

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में, मैं सदन का समय जब तक माननीय मंत्री जवाब दें तब तक के लिये बढ़ाता हूं।

श्री अमरसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष, क्या मैं समझूं कि मेरा वक्तव्य समाप्त हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखें।

श्री अमरसिंह : निहायत धन्यवाद।

(श्री अमरसिंह)

तो मैं अर्ज कर करता हूं कि इस तरह हमारे हित में उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। जिनको पीने के पानी के साधन नहीं, जो अकाल ग्रस्त हैं, उनकी सहायता करना आवश्यक है।

मेरे सुझाव यह थे कि बड़े-बड़े टोले वाले, बड़े हर्ड्स के जो ओनर हैं उनके लिये यह व्यवस्था की जाय कि जहां घास उपलब्ध हो वहां उन्हें पहुंचाने के लिये गाइडेड माइग्रेशन का प्रबन्ध करें।

दूसरा यह है कि लोकल क्षेत्रों में सस्ते डिपोज घास के खोले जायं और कन्सेशन रेट से घास दिया जाय। अनाज के लिये डिपो खोले जायं कि जो वाकई बाजार भाव से खरीद नहीं सकते हैं, भूखों मरते हैं, उनके लिये सस्ता अनाज हो, रिलीफ वर्क्स हों।

माननीय उपाध्यक्ष, पानी समस्या अत्यन्त विचारणीय है। इसके लिए मेरा विचार आज नहीं कई वर्षों से होता रहा है कि जिस जगह पानी नहीं है और उपलब्ध करने के लिए कठिनाई है वहां बोरिंग किया जाय। मैंने सुना हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से ७० कूप्स ऐसी जगह सेन्क्सन किये हैं जहां पानी नहीं और वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। हमारे क्षेत्र में वे कूप्स क्यों नहीं किये जायं। पचपदा तहसील और उधर का जो इलाका हैं उसको रिजर्व फरमाया जाय, जहां पर पानी का अभाव है वहां पानी के साधन उपलब्ध किये जायं। लोगों की जो स्टेन्डिग वान्ट है पानी की उसकी पूर्ति की जाय।

साथ में मुझे एक और निवेदन करना है। बहुत से हमारे क्षेत्र के लोग इस बात पर अवाक से हो रहे हैं कि आखिर कार हमारी अवहेलना क्यों की जा रही है। आज के सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेताओं ने इलेक्शन के वक्त उस तरफ भाषण देते वक्त, जिस वक्त मैं वहां अनुपस्थित था, यह बताया कि आपको अपने क्षेत्र को वृथा रखना नहीं है तो कांग्रेस केन्डीडेट के सिवाय अन्य को वोट देना अपना वोट गुमाना है मैं उस ओर माननीय मंत्री महोदय की तवज्जह दिलाते हुए स्पष्टीकरण के लिए विनीत निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर यह बतायें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अन्तर्गत विपक्षी पार्टी का होना कानून के माफिक है या नहीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप मंत्री, अकाल सहायता) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सम्बन्धित समस्या पर ही बात करें तो उचित होगा, सदन का समय भी बेकार नहीं जावेगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : फन्डामेन्टल राइट्स का रिप्रेशन है। मंत्री महोदय क्लीयर पक्षपात करते हैं, पार्टीबाजी की बात होती है और पार्टीबाजी का काम होता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की तथ्यहीन बातों को लेकर कमेंट करना उचित नहीं है।

श्री अमरसिंह : मैंने तो आज जबान खोली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपकी दृष्टि में ये बातें तथ्यहीन है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : चुनावों के वक्त में आपने कोई बात सुनी थी उसके आधार पर उधर कोई कार्यवाही नहीं हुई है आप ऐसा फ़रमा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी कि उससे अधिक ही कार्यवाही करने को कोशिश की जा रही है।

श्री अमरसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जजबात लोगों के हैं कि हमने वोट नहीं दिया इसलिए इस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ हो रहा है। क्या यह सही है कि जिन्दा रहना है इस दुनिया में, तो आपके पक्ष का बने? ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें और चुनाव लड़ना छोड़ दें। मैं इसके लिए स्पष्टीकरण आपका चाहूंगा कि स्वतन्त्र भारत के निवासी क्या यह समझें?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और आप सम्बन्धित पोइन्ट पर ही आयें तो अच्छा होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : विश्वास नहीं होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : गम्भीरता से बात सुनी जानी चाहिये, बड़ी दर्दभरी बात है।

श्री अमरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष ·····

श्री मोहनराज (बाली) : समय इसीलिए बढ़ाया गया है कि सम्बन्धित विषय पर ही बात हो। ऐसे पोइन्ट उठाये जाते हैं तो उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है और समय बरबाद होता है।

श्री उपाध्यक्ष प्रारम्भ रखें।

श्री अमरसिंह : माननीय मंत्री से इस बात का स्पष्टीकरण करवा लूं कि मैंने निवेदन किया उसका प्रबन्ध कब तक होने वाला है? मेरी यह धारणा नहीं थी, फिर भी इस सदन के एक सदस्य का अपमान हुआ है विशेष तौर पर उन मतदाताओं का अपमान हुआ है उस पर कृपा फरमाकर रोशनी डालेंगे और नम्बर ३ अॉपोजिशन में आया हूं तो हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है? क्या आप इसको वैधानिक समझते हैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अॉपोजिशन में मेम्बर आया है इसलिए उस क्षेत्र के रिप्रेशन की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था नहीं की जावेगी कि वहां के लोगों का जीवन कठिन हो जावे।

चूंकि आपके फरमाने का मौका है। मेरा समय समाप्त हो चुका है और मैं विशेष समय नहीं लूंगा किन्तु आशा करूंगा कि मैंने जो समस्यायें उठायी है उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन (वैर) : बड़ी दर्दनाक कहानी है। इसके लिए समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल १२६ की ओर आकर्षित करूंगा जिसके मुताबिक अगर पूर्व सूचना आसन को न दी गई हो तो इस प्रकार के रूल १२७ के अन्तर्गत विवाद में और कोई भाग नहीं ले

(श्री उपाध्यक्ष)

सकता है और केवल सम्बन्धित मंत्री ही उसका उत्तर देंगे। इसलिए मैं बाध्य हूं और किसी अन्य को समय नहीं दे सकता। अब उप मंत्राणी अपना उत्तर देंगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ……

श्री रामकिशन : पचपद्रा कहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पचभद्रा है और बाड़मेर जिला है…

श्री अमरसिंह : मैं स्वीकार करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्राणी को मालूम नहीं है कि जिले में ७-८ कॉन्स्टिट्युन्सीज होती है।

एक सदस्य : मेरी सदस्यता पर अटेक किया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा माननीय सदस्य ने निवेदन किया है कि बाड़मेर इलाके की कुछ तहसीलों में अकाल पूर्ण स्थिति है और गंभीर है और आपके कहने के अनुसार लोगों का जीना मुश्किल हो रहा बड़ी गम्भीर स्थिति हो रही है और राज्य सरकार पर यह आक्षेप करने की कोशिश की कि विरोधी पक्ष का सदस्य होने के कारण उपेक्षापूर्ण वृत्ति सरकार अंगीकार कर रही है और जितना ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिये वह नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातों को अपने दिमाग में रख कर इलाके के लोगों को गलत बात पहुंचाना न सिर्फ उनको गुमराह करना है परन्तु जिस आदर्श और धारणा के मुताबिक चलते हैं उसको गलत इन्टरप्रेट करना है इसलिए आपके दिल और दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिये चूंकि मैं विरोधी दल का सदस्य हूं इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार का जितना प्रबन्ध हैं, जानकारी है और जितनी व्यवस्था की जानी चाहिये उससे भी अधिक तेजी से यह कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है…

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कार्यवाही करने को कोशिश की जा रही है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अब तक क्यों नही की गई ?

श्रीमति कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो रेन फाल हुआ वह एवरेज रेनफाल से कम हुआ है और किसी किसी क्षेत्र में कम हुआ है मैं इससे इन्कार नहीं करती। साथ ही यह भी मानती हूं कि कुछ इलाकों में चारे का सवाल है चारे की स्थिति बहुत गंभीर बतलाई गई है उस इलाके में पानी की भी बहुत गंभीर समस्या है। उसके बारे में नियमित रिपोर्ट अवश्यक जानकारी की पहुंचनी चाहिये। इसके अलावा जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का सवाल है वह बराबर कर रही है। मैं यह भी जानती हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया उन इलाकों में जैसा फिगर्स से मालूम पड़ेगा कुछ तहसीलें ऐसी हैं किसी

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

में बहुत अधिक अकाल की समस्या का प्रभाव है । कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें मामूली सा अकाल है साधारण सा जो हर कभी हो जाया करता है । बाड़मेर पचपद्रा, सिवाना इन तहसीलों के अन्दर खास तौर से अकाल की स्थिति बहुत गंभीर है काफी तादाद में गांवों में पानी न होने के कारण चारा न होने के कारण मवेशी और मनुष्यों को तकलीफ हो रही है । जहां तक चोहटण का सवाल है उसमें ११ गांव ऐसे हैं जिनमें दस गांवों में क्षति हुई है ।

एक सदस्य : चोहटण एरिया की फसल ही सूख गई है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फिर भी विशेष खराब नहीं है वहां का एवरेज जो रेनफाल है उससे कम है । वहां कि स्थिति ठीक से चल रही है । इससे यह साफ मालूम पड़ता है अकाल की स्थिति जरूर हैं । कुछ अनाज के भावों में बढ़ोतरी हुई है चारे के भावों में बढ़ोतरी हुई साथ में अनाज और चारे की कमी हुई है कुछ मवेशी वैसे भी साधारण तौर से आस पास के इलाकों में चले जाया करते हैं चरने के लिये, इस बार कुछ ज्यादा तकलीफ होने से एडजोइनिंग एरियाज में उन इलाकों में मवेशी चले गये हैं चरने के लिये लेकिन वह भी बहुत तादाद में नहीं । मवेशीयों के लिये चारे की कमी है लेकिन अभी यह स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है, दो तीन महीने बाद वह स्थिति आने वाली है, राज्य सरकार पहले से ही सजग है । उस स्थिति के आने से पहले ही चारे पानी और अनाज के इन्तजाम के लिये व्यवस्था कर रही है । जहां तक अनाज का सवाल है राज्य सरकार ने सोचा है कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां पर रिलीफ वर्क्स चलेंगे लेबर लोग वहां रहेंगे उनको सस्ते दामों पर अनाज चारा इत्यादि मिल सके इसके लिये फेअर प्राइज शॉप्स खोली जायगी । जहां पर उनको १५) रु० १६) रु० मन के हिसाब से गेहूं प्रोवाइड किये जायेंगे । साथ में उनको सबसिडी की तौर पर खरीदने के लिये सरकार की तरफ से मदद की जायगी ।

चारे का जहां तक सवाल है चारे के लिये सरकार ने फोडर डिपोज खोलने के लिये खास तोर से अफेक्टेड एरिया के लिये रिपोर्ट मांगी है किस प्रकार का चारा कितनी क्वान्टिटी में प्रोवाइड करें, किस प्राइज तक का चारा वहां के लोगों के लिए ठीक रहेगा, कौन कौन से इलाके में डिपोज खोलने का है, इस प्रकार से डिटेल्ड रिपोर्ट हमने कलेक्टर से मांगी है । उनकी रिपोर्ट आते ही तुरन्त डिपोज कायम कर दिये जायेंगे ।

मवेशियों के जाने का जहां तक सवाल है एडजोइनिंग एरियाज जैसे पाली, जालोर, जैसलमेर, इन तमाम जगह के कलेक्टर्स को लिख दिया गया आने वाले मवेशियों के चरने की सुविधायें प्रदान करें । चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट को लिख दिया है अपने जो बीड है सरकारी जंगल के अन्दर उनको चरने की सुविधा प्रदान करें । गुजरात सरकार को भी लिखा गया है मवेशी चरने के लिये आवे तो आवश्यक जितना हो सके उनको सुविधायें प्रदान करें । जो भी प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जा सकता था वह बराबर सरकार कर रही है जहां जहां जिन जिन महकमों या जिन स्टेट्स या जिलों से कॉंटैक्ट करने

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

का था वह किया गया है। डिटेल्ड में रिपोर्ट आने के बाद एक्चुअल जो कुछ और करना होगा वह कर दिया जायगा।

वाटर स्केर्यासिटी भी बताई गई है। पांच-छः गांव ऐसे हैं जहां बहुत अधिक पानी की तकलीफ महसूस की जा रही है, कलेक्टर को लिखा गया है तुरन्त वहां से संबन्धित ट्यूबवेल, जैसलमेर बाड़मेर में दो ट्यूबवेल है, उनको बराबर चालू रखा जाय और उस इलाके में जितना भी पानी का प्रबन्ध हो सके किया जाय। रेलवे बोर्ड को लिखा गया है वे टैंक्स के जरिये से जो संबन्धित इलाका है वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। पास की नालियों को फिल अप करने की सुविधायें प्रदान करते रहें। कलेक्टर्स से वहां नाड़ी बनाने के लिये कुआ बनाने के लिये पैसे की डिमान्ड आई तो तुरन्त कार्यवाही की जाकर फन्ड्स अलॉट किये जायेंगे। जहां आवश्यकता होगी कुएं और नाड़ियां बनायी जायगी।

इसके अलावा कुछ रिलीफ वर्क्स के जरिये से भी मदद करने की कोशिश की जायगी। अमूमन यह होता है कि वहां का लेबर बाहर चला जाता है अब यह ध्यान में रखा जा रहा कि वह अपने इलाके को छोड़ कर न जाये उसके लिए कुछ पब्लिक वर्क्स खोले जायेंगे उसके लिए कलेक्टर द्वारा डिमान्ड भेजी हुई है। अब उनसे मांग की गई है कहां कहां रिलीफ वर्क्स खोले जाय। परटीकुलर वर्क तभी चालू करेंगे जब वहां से डिटेल्ड रिपोर्ट आ जायगी। १.५० हजार की उन्होंने डिमान्ड की है जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ जायगी यह फन्ड रिलीज कर दिया जायगा। उसके अलावा उनको हिदायत यह भी की गई है कि ऐसे एरियाज़ हों जहां स्थिति अधिक गंभीर दिखायी देती हो वहां पर कलेक्टर इस तरह के वर्क्स चालू कर सकता है। चालू करने के बाद गवर्नमेन्ट से समय के अनुसार सेंक्शन लेता रह सकता है। इसकी ऑथोरिटी कलेक्टर्स को दी हुई है। जहां पर स्थिति दो दिन भी नहीं चलती दिखायी देती हो वह ऐसा कर सकते हैं।

इसके अलावा जो लोग बहुत गरीब हालत में हैं और जो किसी भी प्रकार से अपने जीवन यापन के साधन नहीं जुटा पा रहे हैं उनको gratuitious रिलीफ के लिये पैसा देने का प्रावधान है, उनको रिलीज कर दिया जायगा।

इसी प्रकार फेमीन तकावी का भी प्रोवीजन होता है उसका कन्सीडरेशन चालू है इस बारे में भी कलेक्टर्स की रिपोर्ट आनी चाहिये, आते ही सेंक्शन कर दी जायगी।

यह भी कहा गया कि इस प्रकार की अकाल की स्थिति होते हुए भी राज्य सरकार काश्तकारों के ऊपर जो ड्यूज है सख्ती के साथ वसूल कर रही है, उसके साथ साथ पिछले बहुत सारे ड्यूज हैं उनको इकट्टा करके सख्ती बरतकर एक साथ लेने की कोशिश की जा रही है। मेरी सूचना के मुताबिक इस वक्त उगाही का समय नहीं है। दिसम्बर में वह समय होता है..........

श्री अमरसिंह : माननीय मंत्री महोदय से कह दूं पैसा बराबर वसूल हो रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहती हूं कोई ऐसे मामले हैं। जो आपके ध्यान में हो जिनमें कानून के विपरीत काम किया गया है तो वे मेरे ध्यान में लावें।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

मैं उस बारे में जो कुछ मदद कर सकती हूं करने की कोशिश करुंगी । हो सकता है कुछ तकावी जो पंचायत सीमितियों द्वारा दी गई हो, लोन्स दिये गये हों, उनकी उगाही में सख्ती बरती जा रही होगी । अभी लेन्ड रेवेन्यू का तो सवाल नहीं है। लेकिन हम यह भी ध्यान में रख रहे हैं कि तकाबी और लोन्स को सस्पेन्ड करने की जरूरत है? करने की जरूरत है तो उसको पोस्टपोन करके नरमी के साथ में वसूल करने की कोशिश करें।

इन सब हालात को देखने से स्पष्ट है कि अकाल की स्थिति अवश्य है फिर भी सारे जिले में एक सी स्थिति हो यह बात नहीं सब तहसीलों में गंभीर स्थिति हो ऐसी बात भी नहीं । कुछ तहसीलें, सिवाना, बाडमेर, पचपदरा, इन तीन तहसीलों की हालात बहुत खराब है उसके लिये कलेक्टर और रिलीफ कमिश्नर इस बारे में मुस्तहद है। वे अपने असेसमेंट तैयार करके भेजें, उनको मन्जूर करके भेजा जा सकता है।

जैसा आपको मालूम होगा यह सब फेमीन कोड के अन्तर्गत होता है ३१ अक्टोबर को गिरदावरी रिपोर्ट आ जाती है उसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है, नवम्बर के आखिर तक फाइनल रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद स्केअरसिटी कन्डीशन डिक्लेयर की जाती है। और इसके बाद में नॉर्मली सभी काम चालू होते हैं । लेकिन यहां चूंकि कुछ इलाके में स्थिति बहुत गंभीर है इसलिये वहां से रिपोर्ट जल्दी मंगवाकर, फाइनल रिपोर्ट भी जल्दी मंगवाकर यहां के इलाके में जो स्केअरसिटी कन्डीशन है उसे डिक्लेअर करके रिलीफ वर्क चालू कराये जावेंगे । और कुछ गंभीर इलाकों में एडहाक वर्क्स भी चालू करा दिये जावेंगे ।

इन हालातों को देखकर स्पष्ट है कि स्थिति काबू से बाहर हो ऐसा नहीं है। इसके प्रति सरकार जागरुक है ।

मैं सदन की जानकारी के लिये और माननीय सदस्यों के सन्तोष के लिये इतना जरूर कहना चाहती हूं कि आपसे मुख्य मन्त्री जी नहीं मिले, या अन्य मन्त्रीजी नहीं मिले और इससे आपको अपमान महसूस हुआ । यह होना नहीं चाहिये क्योंकि ऐसा कोई विचार या कार्यक्रम किसी का हमारा नहीं है, न हो सकता है । आपने नोटिस देकर फर्ज पूरा कर लिया है और मिलने का एक्चुअली कोई इम्पलीमेन्टेशन का तकादा नहीं किया हो, यह दूसरी बात है । आपके ऐसा नहीं करने के बावजूद भी यह नहीं है कि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं हो, सरकार जागरूक है और उनको रिलीफ पहुंचाने में सदा तत्पर है। हमें बराबर उनका ख्याल है । जहां भी राहत पहुंचाना जरूरी होगा वहां हम एडहाक बेसिस पर और कायदे के मुताबिक सहायता पहुंचाने की बराबर कोशिश करेंगे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५-५३ बजे दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२ के म० पू० ११-५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १९६२)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम १९५९ की धारा २९७ के अधीन नियम।

कत्ल, डकैती व अपहरण की घटनायें—धौलपुर क्षेत्र में।

पट्टेदारों से जमीन की कीमत

ग्राम व कस्बों का विद्युतीकरण

राजस्थान नहर के निर्माण में खराब सामान का प्रयोग।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, नापासर

रेल्वे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के सम्बन्ध में।

नल योजना—बनेड़ा।

सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत लगा स्टॉफ।

मोहकम सागर तालाब की पाल।

कागज के कोटे का वितरण—बीकानेर।

जवासियावद समेलिवा बांध।

भूतपूर्व नरेशों पर पानी और बिजली का खर्चा।

जिप्सम कं० व मजदूर यूनियन के बीच झगड़ों के संबंध में।

रेल्वे लाइन पर पुल निर्माण-रतनगढ़।

अंग्रेजी फिल्म—तालेड़ा पंचायत समिति।

भारत सरकार के सी० डब्ल्यू० पी० सी० की विद्युत शक्ति सम्बन्धी योजना।

गंगाशहर की जल प्रदाय योजना

जयपुर रेन्ज के जंगलों में नुकसान

स्टेट रोडवेज की बसों से गायब सामान।

साबी नदी पर बांध।

अधिक कीमत के टेन्डर देने वाले से सामान की खरीद।

महिला मन्डल, उदयपुर।

जयपुर में ई० एस० आई० स्कीम के अन्तर्गत अस्पताल का निर्माण

शाहपुरा—नीम का थाना सड़क पर कोलटार।

सिंचाई के तालाब।

पिनों की खरीद।

नहरों पर पक्के नालों का निर्माण

सराड़ा-- पलोदड़ा सड़क ।

पाटन-तालेड़ा सड़क की मरम्मत
रायपुर बांध ।

स्थगित प्रश्न

[११-१०-६२]

बिक्री-कर की वसूली

हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

सब-डिविजन मालपुरा में री-सैटलमेंट ।

स्थगित प्रश्न

(१२-१०-६२)

कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(१३-१०-६२)

आदिवासी भील कॉलोनी, पंचायत समिति, मनोहरथाना का शिलान्यास ।

(बुधवार दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२)

२. स्थगन प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने भारत-चीन सीमा विवाद के संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यो नें भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये —

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

२. श्री भैरोंसिंह

३. मुरलीधर व्यास

४. श्री रामानन्द अग्रवाल

५. श्री रामकिशन

६. श्री केदारनाथ

७. श्री हरिश्चन्द्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री

३. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(१) श्री हरिश्चन्द्र, यातायात मंत्री ने राजस्थान मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन अधिनियम, १९५१ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ, १ (१) (४) एच. वी. जी. आर. । ६२ दिनांक १९ सितम्बर, १९६२ जिसके द्वारा टैक्निकल को-आपरेशन मिशन ऑफ यू. एस. ए. (Technical Co-operation Mission of U. S. A.) गाड़ी संख्या आर. जे. एल. ६८२२ को कर से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखी ।

(२) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखी :— 'A note on Third Five Year Plan-Resources and Priorities." [तृतीय पंच वर्षीय योजना पर टिप्पणी-संसाधन और पूर्व वर्तितायें]

४. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उदयपुर व जयपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

५. विधायी कार्य

(क) प्रवर समिति को सौंपा गया विधेयक।

राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२।

उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव जो प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक १२-१०-१९६२ को प्रस्तुत किया गया था, आज सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री बरकतुल्लाखां, प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री मुरलीधर व्यास ने क्रमश: इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किये कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित तथा एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

प्रभारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव संबंधित सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया एवं विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित किया गया।

६. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत श्री अमरसिंह (५) ने बाड़मेर जिले की वायुत,

बाड़मेर एवं पचभद्रा पंचायत समितियों के क्षेत्र में अकाल की स्थिति से संबंधित विषय पर चर्चा उठायी।

श्रीमती कमला बेनीवाल, उपमंत्री अकाल सहायता विभाग ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बजकर ५० मिनिट पर बुधवार दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, २४ अक्टूबर १९६२ की कार्य–सूची

१. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

[खण्डशः विचार-विमर्श]

२. राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२.

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थिति हेतु समय में वृद्धि)

Page No.124

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्नोत्तर ३२८ के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था देखिये)

३२८ **श्री रामानन्द, अग्रवाल** (अलवर):—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अप्रैल, १९६२, से सितम्बर, १९६२ तक कितने गावों व कस्बों का विद्युतीकरण हुआ है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज रखें।

(२) इन गांवों और कस्बों में जिनका विद्युतीकरण किया है कितनी जगह पावर कनेक्शन दिये गए हैं और कितने जगह केवल लाइट कनेक्शन दिये गये हैं।

(३) जिन गांवों या कस्बों में विद्युतीकरण किया गया है परन्तु पावर कनेक्शन नहीं दिये गये उसका कारण क्या है ?

उत्तर

३७ ग्राम। सूची संलग्न है।

पावर कनेक्शन १२ ग्रामों में दिये गये हैं।

लाइट कनेक्शन २३ ग्रामों में दिये गये हैं।

इसके लिये कृपया संलग्न सूची के विशेष विवरण को देखें।

परिशिष्ट

सूची

क्रम सं०	ग्रामों के नाम	दिये गये कनेक्शन लाइट	पावर	बाकी प्रार्थना पत्र	विशेष विवरण
१.	काला डेरा	१	--	--	--
२.	दांतला	—	—	३ ट्रान्सफार्मर लगाया जा रहा है इसके बाद कनेक्शन दिये जावेंगे	
३.	उमेरन	११	--	--	--
४.	जिदोली	१५	२	--	--
५.	दाऊदपुर	८	१	—	—
६.	धोबी सट्टा	--	६	१४ कृपया क्रम संख्या २ के सामने देखें।	
७.	खेरतल	११७	—	६० कृपया क्रम संख्या २ के सामने देखें।	
८.	नसीराबाद	—	—	—	—
९.	नुरूनगर	—	—	—	—
१०.	लिसोना	—	—	—	—
११.	नांगलमोजिया	—	—	—	—
१२.	बसीकृपालनगर	—	—	१	—
१३.	डिग्गी	११	१	१	—
१४.	श्री माधोपुर	८	—	४ कृपया संख्या २ के सामने देखें।	
१५.	किसनगढ़	३२	—	—	—
१६.	बान्सूर	२५	—	—	---
१७	किसनगढ़ गंज	७	—	—	--
१८.	मुंगे सिका	११	—	—	—
१९.	रामपुर		—	कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	
२०.	सुकेत	११	१	—	—

परिशिष्ट

क्रम सं०	ग्रामों के नाम	दिये गये कनेक्शन		बाकी प्रार्थना पत्र	विशेष विवरण
२१.	चेचट	३२	—	—	—
२२.	सांगानेर (भीलवाड़ा)	७	१	—	—
२३.	खजरला	६	१	—	—
२४.	बोरूदा	५	—	—	—
२५.	मुड़वा	२०	—	—	—
२६.	आहोर	७	—	—	—
२७.	मैंसवाड़ा	—	—	—	—
२८.	सींथल	४६	२	—	—
२९.	उदासर,	१५	—	२ उपभोक्ताओं ने एस्टीमेट के रुपये जमा नहीं कराये हैं।	
३०.	नाल बड़ी :	—	—	२ उपभोक्ताओं ने ऐस्टीमेट के रुपये जमा नहीं कराये हैं।	
३१.	मंडावा	—	—	—	—
३२.	धोलीपाल	१२	२	—	एल फ़ार्म प्राप्त हो गये हैं कनेक्शन देने का कार्य जारी है।
३३.	मकासर	१३	१	—	
३४.	रोरनवाली	४	२	—	
३५.	तलवारा झील	—	—	३५ कुछ उपभोक्ताओं को उनका वायरिंग पूर्ण कराये के लिये नोटिस दे दिये हैं। बाकी के प्रार्थना पत्रों की जांच की जा रही हैं।	
३६.	मोठी	—	—	— कोई मांग नहीं आई है।	
३७.	सेवर	७	२		—

————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिये)

LAST OF MISSING ARTICLE

S. No.	Vehicl No.	Name of article	Quantity	Amount	Action taken
1.	RJL 7262	Cut out	1 no.	40.45	Case report to Polic.
2.	7250	Self starter	1 no.	805.35	,,
3.	2914	Cut out	1 no.	40.45	,,
4.	RJL 3552	—do—	1 no.	40.45	,,
5.	RJL 445	—do—	1 no.	40.45	,,
6.	3540	—do—	1. no	40.45	,,
7.	3587	—do—	1 no.	80.16	,,
8.	3572	—do—	1 no.	80.16	,,
9.	3575	—do—	1 no.	80.16	,,
10.	3602	Horn	1 no.	48.79	,,
11.	3605	—do—	1 no.	48.79	,,
12.	3614	—do—	1 no.	43.79	,,
13.	8589	—do—	1 no.	85.89	,,
14.	3161	—do—	2nos.	111.38	,,
15.	8590	—do—	1 no.	354 89	,,
16.	8569	—do—	21 nos.	111.36	,,
17.	8572	—do—	2 nos.	111.38	,,
18.	3553	—do—	1 no.	52.19	,,
19.	RJL 493	Cut out	1 no.	51.60	,,
20.		Eadiator	1 no.	467 34	,,
21.		Cut out	1 no.	40.45	,,
22.	RJL 7232	Front outer be ring.	1 no.	94.55	Rycovery effected after due enquiry
23.		Nozzels	6 nos.	109.80	Case under investigation of Police and Deptt.
24.		Horn	1 no.	48.79	,,
25.	RJL 7283	Stepny	1 no.	746.97	,,

परिशिष्ट

LIST OF MISSING ARTICLES

S. No.	Vehicle No	Name of articles	Quantity	Cost	Date of detection	Action taken	Case referred to Police
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RJL 7262	Cutout	1	40.45	5-3-62		Case reported to Police on 26-3-62
2.	,, 7259	Self Starter	1	805.35	,,		—do—
3.	,, 6944	Cutout	1	40.45	,,		—do—
4.	,, 8532	—do—	1	40.45	,,		—do—
5.	RJW 446	—do—	1	40.45	,,		—do—
6.	RJL 8540	—do—	1	40.45	,,		—do—
7.	,, 8590	—do—	1	80.16	,,		—do—
8.	,, 8572	—do—	1	80.16	,,		—do—
9.	,, 9575	—do—	1	80.16	,,		—do—
10.	,, 8602	Electric Horn	1	48.79	,,		—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	RJL 8605	Electric Horn	1	48.79	5-3-62		Case reported to police on 26-3-62
12.	„ 8614	—do—	1	48.79	„		—do—
13.	„ 8599	—do—	1	48.79	„		—do—
14.	„ 8581	—do—	2	111.38	„		—do—
15.	„ 8590	—do—	1	55.69	„		—do—
16.	„ 8569	—do—	2	111.38	„		—do—
17.	„ 8572	—do—	2	111.58	„		—do—
18.	„ 8553	—do—	1	92.19	„		—do—
19.	RJW 403	Cut out	1	51.60	„		—do—
20.	Ajmer Deport	Radiator.	1	46.84	18-10-62		19-10-52
21.	RJL 7220	Cut out	1	40.45	4-3-61	Chargesheet has been served on defaulter & action for recovery is being taken.	
22.	„ 7282	Front Outer Bearing	1	94.55	7-3-61	—do—	—do—
23.	„	Nozzles	6	109.80	10-8-62		Case reported to police on 12-8-62
24.		Horn Reed	1	0.50	„		—do—
25.	„ 7202	Stepney	1	746.87	29-11-1960		Case reported to police on 1-12-60

परिशिष्ट ३ [२४६६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ का उत्तर देखिये)

Copy of Proceedings of the Stationery Purchase Committee, held on 25-4-1961,

---

PRESENT.

1. Shri K. V. Shankaran, I. A. S., Deputy Secretary Finance.
2. Shri U. S. Menon, RSS., Deputy Secretary Home 'D'.
3. Shri V. Puri, T. A. to Chief Engineer, P. W. D.,
4. Shri D. V. Shivehare, Director, Printing & Stationery.

Item No. 114.

Typewriting Carbon Paper Blue or Black "F" Cap.

The cheapest Tender is Tender No. 32 M/s. Kores (India) Private Ltd., Bombay, who has quoted for his sample (AII) Rs. 7.30 nP. per ream for his qulity 777 Foolscape size but this he is giving in a packing of 500 sheets in a packet. He has also quoted Rs, 8.10 nP. for the same quality of Carbon paper bur additional advantage of having a packet of 100 each which facilitate in handling. Therefor, the rate of Rs. 8.10 nP. per ream of 100 sheets packed in Badami paper wrapped in small five such wrappers is approved.

Item No. 114 (Typewriting Carbon Paper Blue or Black 'F' Cape.

S No.	Tender No	Rate Unit per			
1.	32 (a) (ii)	7 30 Koros Qullity	VII/777 Black	F' Cap	13″ × 8″
2.	32 (a) (ii)	7.90 ,, ,,	VII/73 ,,		13″ × 8″
3.	32 (a) (i)	8.10 ,, ,,	VII/777 ,,	F' Cap	13″ × 8″
4.	67 (A)	8.40			
5.	44 (A)	8.55			
6.	21 (B)	8.60			
7.	67 (B)	8.65			
8.	21 (A)	8.70			
	32 (b) (i)	8.70 Kores Quality	VII/73 Black		13″ × 8″
9.	34	9.25 Inclusive S. T.			
10.	44 (B)	9.57			
11.	44 (c)	9.74			

———

परिशिष्ट ४

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिंचाई के तालाब

३५२. **श्री देवीलाल, (सराड़ा)** -क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील सराड़ा-खैरवाड़ में सिंचाई के कुल कितने तालाब हैं ? इस वर्ष उनमें कितना कितना पानी भरा हुआ है तथा कितने एकड़ भूमि सिंचित किये जाने का अनुमान है ?

उत्तर

(१) तहसील सराड़ा और खैरवाड़ा में कुल १५ तालाब सिंचाई विभाग के आधीन हैं इस वर्ष इनमें जितना पानी भरा हुआ है और अनुमानित जितने एकड़ की सिंचाई होगी उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

तहसील खेरवाड़ा सराड़ा सिचाई के तालाबों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र शुमार	नाम तहसील,	नाम टैंक	तालाब का गेज	अनुमानित भूमि जो इस वर्ष सिंचित की जा सकेगी
१.	सराड़ा	बंजड़	१५.३०	४२५ एकड़
२.	,,	चावन्ड	१५.८०	३०० ,,
३.	,,	पीलाधर	निल	निल
४.	,,	हरचन्द	११.८०	५५० एकड़
५.	,,	सुरखनलड़ा	७.००	२० एकड़
६.	,,	नटारा	४.५०	निल
७.	,,	लालर	२.३०	,,
८.	,,	नौकना सेबुर	२.५०	,,
९.	,,	टोकर	२.६०	,,
१०.	,,	रटोड़ा	४.००	,,
११.	,,	बडगाली	पेटा में	,,
१२.	सराड़ा खेरवाड़ा खुमरपुर	सोम पीकजद वीयर	--	३०० नदी में क्लोकम होने की वजह से।
१३.	सराड़ा	जयसमन्द	१४.६०	६०००
१४.	खेरवाड़ा	भूधर	२०.००	४००
१५.		हाथी का नाका	—	४०
				८०३५ एकड

पिनों की खरीद

३५३. **श्री भैरोंसिंह,** (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा सन् १९६१-६२ में मुद्रण तथा लेखन सामग्री के लिये आमंत्रित टेन्डर नोटिस के आइटम नं० ९८ व ९९ पर अंकित आलपिन्स किस २ फर्म से कितनी २ कीमत की खरीदी गई ?

(ख) क्या यह सही है कि यह आलपिन्स बिना टैस्ट के खरीदी गई तथा लोएस्ट रेट्स के टेन्डरर का टेन्डर मंजूर नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो टेन्डर्स के कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट की तथा टेस्ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इन रेट्स के अन्तर के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है और उसके लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

आलपिन्स कमेटी द्वारा जांच करने के बाद ही स्वीकृत की गई थी। लावेस्ट रेट्स के टेन्डरर्स को मंजूर नहीं किये जाने के कारण प्रोसीडिंग्स में दे दिये गये थे। इन आइटम् की तुलनात्मक तालिका की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

२५०३] परिशिष्ट

Serial No. 15,

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४३ का उत्तर देखिये)

Copy of the Proceedings of the Stationery Purchase Committee held on 7-4-61.

PRESENT

1.	Shri Ram Singh, I. A. S. Finance Secretary.	Chairman.
2.	Shri U S. Menon, RSS. Deputy Secretary Home 'D'	Member
3.	Shri D. V. Shivhare, Director, Printing & Stationery	Member Secretary

Item No. 98.

Pins Small 1" (100 pins to a sheet) sharp point Rust Proof (Made of steel nickle plated 1" long pins shall have solid heads & sharp points of 22" guuge wire

Tenders. No. 48 (A), 62 and 86 have not sent the sample. Tender No 23 (B), 90, 95 (A), 40, 71, 60, 95 (B), 24, 50, 23 (A), 107, 95 (c), 34, 27, 18, 21 (B), 21 (A), and 25 are of inferior quality and include blund pins also. Tender No. 12 (B), 110, 87, 20 (B), 46, and 101 have not been ap roved because either they did not give brand or were found inferior. The next Tender No. 12 (A), 20 (A), 22, 41, 110 (B), all have offered Offipins and the rates of all of them are the same i.e. 91½ nP. per pkt. of 12 sheets each sheet containing 100 pins. Out of these Tender No. 20, 41, 110 are local dealers whereas Tender No 12 and 22 are outside dealers. Tender No. 20 M/s. J. N. & Co., Jaipur, Tender No. 41 M/s Jaipur Stationers, Jaipur and Tender No. 110 M/s. R. K. Dass & Co. Jaipur who have quoted 91½ nP. per packet are approved and order be divided equally. They will supply in Printed Offipins sheets. It may be made clear to them that Government will not pay Centeral Sales Tax even if they ask manufacturers to supply these pins and the rates accepted will be treated as inclusive of Central Sales Tax.

1. Sd/- Ram Singh
2. Sd/- Shri U. S. Menon.
3. Sd/- D. V. Shivahare.

Massey/17/10

Serial No. 17.

Copy of Proceedings of the Stationery Purchase Committee held on 13-4-1961.

PRESENT

1. Shri K. V. Shankaran, I. A. S.,
   Deputy Secretary Finance.

2. Shri U. S. Menon, RSS,
   Deputy Secretary Home (D).

3. Shri D. V. Shivahare,
   Director, Printing & Statisnery.

Item No. 99.

Pins big 1½" (100 pins to a sheet) sharp point rust proof (Made of steel nickle plated 1½" long pins shall have solid heabs and sharp points) of 21" gauge wire.

The samples of Tender No. 40, 107 (2), 34, 95, 23 (A), 24, 60' 27 (B) 90, 23 (2) were not good quality, while Tender No. 62 has not sent samples. Hence these all not considered. The next Tender is that of T. No. 46 M/s. Sindh National Type Foundry, Jaipur who has quoted Rs. 1.05 nP. per packet for Bell Brand pins 1½" for a packet of 12 sheets and each sheet containing 100 pins and is approved.

Massey/17/10

Item No. 98 Pins small 1" (100 Pins to a sheet) sharp point rustproof made of steel nickle plated 1" long pins have solid shall have solid heads and shap points of 22" gauge wire.

S. No.	Tender No,	Rate per Packet of 12 Sheets.	
1.	23 (b)	0.61 nP.	Inclusive S. T. (12 Packets of 100 Pins) each
2.	90	0.62	Rend Braud
3.	95 (a)	0.63	Crown
4.	40	0.67	
5.	71	0.69	Crown Brand
6.	60	0.70	No Rust Proof India
7.	95 (b)	0.71	Crown
8.	24	0.72	
9. (a)	48 (a)	0.73	Repply in envelops
9. (b)	50	0.73	
9. (c)	62	0.73	Packets of the approved and 925 Per packet supply No. 2 Bundle of 12 sheets each & 100 pins (Inclusive S.T.).
10.	23 (a)	0.74	
11.	107	0.74	
12 (a)	1	0.75	
12 (b)	95 (c)	0.75	No legible
13.	34	0.76½	Inclusive S. T.
14.	27	0.76	Crown
15.	18	0.77	Inclia 100 Pkets to a packet 12 Pkot of 100 pines
16	21 (b)	0.80	
17.	86	0.81	
18.	21 (a)	0.82	
19.	25	0.83	
20.	12 (b)	0.84½	Plato sise 26 M/M See original.
21.	110	0.85	Ajenta
22.	87	0.88	
23. (a)	20 (b)	0.90	See original
23. (b)	46	0.90	Sell Brand L
24.	101	0.91	Any Indian manufactured.
25. (a)	12 (a)	0.91½	See original.
25. (b)	20 (a)	0.91½	offi.pin
25. (c)	22	0.91½	offi.pin
25. (d)	41	0.91½	offi pin
25. (e)	110 (b)	0.91½	offi. pin

Item No 99. Pins big $1\frac{1}{2}$" (100 Pins to a sheet) Sharp point Dust Proof (made of Steel nickle plated $1\frac{1}{4}$" Long-pins shall have solid head and sharp points) of 21" gauge wire.

S. No.	Tender No.	Rate per Packet of 12 sheets.	
1.	62	0.73	Per packts of 7¼ lb aprox. 785 pins Per pkts.
2.	40	0.87	
3.	107 (2)	0 89	
4.	34	0.90	Inclusive S. T. per pkts of 12 pkts.
5.	95	0.90	crown
6.	23 (a)	0.91	Inclusive S.T. 12 ppts of 100 pirs each.
7.	24	0.91	
8.	60	0.98	No rust proof Indian
9. (a)	27 (b)	1.00	In pktr not is Sheets
9. (b)	90	1.00	Bharty crown Brand
10.	23 (2)	1.03	Inclusive S T.
11. (a)	46	1.05	Bell hand
11 (b)	71	1.05	Crown BranP
12.	48 (b)	1.10	Shodre Supply in envelopes
13.	12 (b)	1.11	per pkts of 12 Sheets without brand plated Size 32 m.m.
14.	26	1.12	
15. (a)	21(b)	1.18	Best quality.
15. (b)	86	1.18	
16.	107 (i)	1.19	
17.	110 (a)	1.19½	
18.	18	1.20	
	20 (b)	1.20	
	21 (a)	1.20	
19.	12 (a)	1.21	
	20 (a)	1.21	
	22	1.21	
	41	1.21	
	110 (b)	1.21	

नहरों पर पक्के नालों का निर्माण

३५४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में नहरों के निकाले जाने से ग्राम में आने जाने के रास्ते बन्द हो गये हैं ?

(२) पाटन तहसील में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों पर कितने नालों के रास्ते पक्के बना दिये गये हैं एवं अब कौन से नाले कितनी तादाद में बनाना बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि कापरेन डिवीजन में अभी तक पक्के नाले नहीं बनाये जा सके हैं और कितने ही नाले ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अधूरे पड़े हैं ?

(४) क्या यह सही है कि असिस्टेंट इन्जीनियर कापरेन के पास पाइप, ट्रक, मोटरों तथा अन्य साधन होते हुए भी रास्तों की अस्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकी है ?

(५) क्या भविष्य में शीघ्र ही नालों का निर्माण करने का सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) नहीं ऐसी कोई विशेष अड़चन नहीं हुई है।

(२) करीब १५० पुलिये बन चुके हैं। शेष करीब १३० बनाये जा रहे हैं।

(३) कुछ पुलिये बन चुके हैं। शेष काम प्रगति में हैं। इनके पूरे व होने का मूल कारण ठेकेदारों की लापरवाही नहीं कहा जा सकता।

(३) जी नहीं।

(५) जी हां।

सराड़ा-पलोदड़ा सड़क

३५५. श्री **देवीलाल** (सतराड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) सराड़ा से पलोदड़ा सड़क कुल कितने मील पक्की बन चुकी है ?

(२) क्या उक्त सड़क के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धन-राशि रखी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि सराड़ा, केजड़ नदियों के पुल बन चुके हैं ?

उत्तर

सात मील पक्की सड़क बन चुकी है। बाकी पर योजना अनुसार मिट्टी का काम पूरा करा दिया गया है।

जी हां। ६४,०००) रु०।

जी नहीं।

पाटन-तालेड़ा सड़क की मरम्मत

३५६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन):- क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में पाटन से तालेड़ा रोड़ में गहरे गड्ढे हो रहे हैं एवं नहरों के लीकेज के कारण सड़क बैठ गई है तथा डामर फूल कर उखड़ गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस पक्के रोड़ पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण मोटरों का आवागमन बन्द हो गया है ?

(३) क्या यह सही है कि बूंदी के सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करने पर भी यह कार्य नहीं किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर पत्थर व मिट्टी बिछाकर अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है ?

(५) यदि हां, तो क्या अब शीघ्र ही उक्त सड़क की मरम्म करवाने के आदेश प्रदान किये जावेंगे ?

उत्तर

नहर का पानी रिसने के कारण सड़क कुछ स्थानों पर बैठ गई है।

जी नही, सड़क पर आवागमन चालू है।

सड़क की मरम्म (गैंगों द्वारा) चालू है।

यह किया जा रहा है।

मरम्मत कराने के आदेश दिये जा रहे हैं।

रायपुर बांध

३५७. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या मंत्री, सिचाई विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील नीम का थाना में रायपुर बांध का काम कितना हो गया है ?

(२) बाकी काम कब तक पूरा होने की आशा है ?

उत्तर

(१) तहसील नीम का थाना में रायपुर बांध पर लगभग १६ प्रतिशत काम समाप्त हो चुका है।

(२) बाकी कार्य लगभग १½ साल में समाप्त होने की आशा की जाती है।

दिनांक ११-१०-६२ के स्थगित प्रश्न

बिक्री-कर की वसूली

३५. (१/एफ. एम.) श्री रामकिशन एम. एल. ए. (बैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज, मावण्डा व अन्य लाइम वर्क्स, मावंडा (नीम का थाना, सीकर) का सैल्स टैक्स का असैसमेंट किन किन वर्षों का कितना कितना हुआ है ?

(२) क्या रकम वसूल हो गई है? यदि हां, तो कितनी और कितनी बकाया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सन् ५७ से अब तक न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज, मावण्डा का सैल्स टैक्स का असैसमेंट नहीं हुआ है ? अगर हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है?

(४) उक्त इण्डस्ट्रीज का सैल्स टैक्स लाइसैन्स किस के नाम से है ?

उत्तर

मावण्डा के रजिस्टर्ड लाइम वर्क्स के जो असैसमेंट हुए उनका एक स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

रकम वसूल हो गई। सिर्फ राजस्थान मिनरल सैन्डीकेट, मावन्डा में ६३) रु० ६२ न० पै० व कृष्णा लाइम इन्डस्ट्रीज, मावण्डा में २७३४) रु० ०४ न० पै० बाकी है।

जी नहीं। एसेसमेन्ट सैल्स टैक्स का ३१-३-६१ तक का किया जा चुका है। केवल एक ही वर्क्स का सेल्स टैक्स का एसेसमेंन्ट बाकी है जो कि पुराना नहीं है और इस लिये जिम्मेवारी का प्रश्न नहीं उठता।

सैल्स टैक्स अधिनियम के अनुसार लाइसेन्स देने का प्रॉवीजन नहीं है।

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत

नाम पंजीकृत	एसेसमेन्ट का काल	जो मांग की गई रू० न० पै०	पेनेल्टी रू० न० पै०
मेसर्स न्यू भारत इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	७-१-५७ ३१-३-५७	६५६.६२	–
	१-४-५७ ३१-३-५८	५५४२.२२	३०.००
	१-४-५८ से ३१-३-५६	८१६६.३१	५.००
	१-४-५६ से ३१-३-६०	६६५५.४०	५.००
	१-४-६० से ३१-३-६१	१०८७४.६०	११.००
राजस्थान मिनरल सिन्डीकेट, मावण्डा	१-४-५७ से ३१-३-५८	४१.०६	२१.००
	१-४-५८ से ३१-३-५६	१२३.६२	५.००
	१-४-५६ से ३१-३-६०	१६.३१	३.००
मे० मोहनलाल अग्रवाल, मावण्डा	१०-११-५७ से १०-११-५८	७२१.०३	–
	११-११-५८ से ३१-१०-५६	२५४.२८	–
	१-११-५६ से १६-१०-६०	३४४.५३	११.००
	२०-१०-६० से ७-११-६१	–	–
शंकर वाईस इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	१-४-५६ से ३१-३-६०	५७०.००	३०.००
खोखरा लाईम इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	१-४-५५ से ३१-३-५६	१७००.००	५.००
	१-४-५६ से ३१-१-५७ पंजीयन प्रमाण पत्र जनवरी, १९५७ के से नीरसत किया गया।	४५८५.०३	५.००

नाम पंजीकृत	एसेसमेन्ट का काल	जो मांग की गई रू० न० पै०	रायल्टी रू० न० पै०
कृष्णा लाईम इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	७-१-५७ से ३१-३-५७	११२६.५६	-
	१-४-५७ से ३१-३-५८	६७५२.२०	-
मे० न्यू भारत लाईम इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	१-७-५७ से ३१-३-५८	५०४७.३१	२०.००
	१-४-५८ से ३१-३-५९	६५११.४१	५.००
	१-४-५९ से ३१-३-६२	३४७२.६८	११.००
	१-४-६० से ३१-३-६१	३०६६.५६	११.००
राजस्थान मिनरल सिन्डीकेट, मावण्डा	१-७-५७ से ३१-३-५८	१५८.२५	५.००
	१-४-५८ से ३१-३-५९	१६६.२०	५.००
	१-४-५९ से ३१-३-६०	८७.०६	५.००
मोहन लाल अग्रवाल, मावण्डा	१०-११-५७ से १०-११-५८	२४६६.६७	११.००
	११-११-५८ से ३१-१०-५९	२११३०.८७	११.००
	१-११-५९ से १९-१०-६०	१८२०.१६	११.००
	२०-१०-३० से ७-११-६१	२०८४.६०	११.००
मे० कृष्णा लाईम इन्डस्ट्रीज, मावण्डा	१-७-५७ से ३१-३-५८	२९९७.६८	-

हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

४६. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या बेंगू (जिला चित्तौड़गढ़) में पहले हाई स्कूल में साइन्स पढाया जाता था ?

(२) कौन से साल से साइन्स पढ़ाना बन्द किया गया है ?

(३) क्या गांव वाले बेंगू में साइन्स क्लांस खोलने के लिये कुछ रुपया देने को तैयार है ?

(४) शिक्षा विभाग द्वारा साइन्स का सामान बेंगू में कब और कितना भेजा गया ?

(५) क्या सन् ६२ में भी सामान लेबोरेट्री के निमित भेजा गया है ? यदि हां, तो वह किस काम में लाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। जुलाई ६० से प्रारम्भ किया गया था।

(२) जुलाई ६२ से।

(३) जी नहीं।

(४) सरकार द्वारा १५२३.४० नये पैसे, का व जनता द्वारा किये गये २०००) रु० में से १२३५.७५ नये० पैसे० का सामान सन् ६० में खरीदा गया ?

(५) जी नही। लेबोरेट्री निमित्त कोई सामान नहीं भेजा गया।

सब-डिविजन, मालपुरा में री-सैटलमेंट

६१. श्री दिग्वजय सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सब-डिविजन, मालपुरा में कोई री-सैटलमेन्ट करवाया गया था ? यदि हां तो किस साल में ?

(२) क्या यह सही है कि उस सैटलमेन्ट को उसी समय इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया और आज दिन तक भी उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि इस समय वहां पर काश्तकारों को नोटिस दिये जा रहे हैं और उनको बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ?

(४) क्या यह सही है कि वहां पर अभी तक परचे नहीं दिये गए हैं जिससे वहां तहसीलदार काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं ?

उत्तर

जी नहीं, किन्तु तहसील टोडारायसिंह के जागीर के गांवों का सन् १६५७ में बन्दोबस्त चालू था उस समय संबंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी ने यह बउंम्मेद मंजूरी सालाना के ग्रामों में कार्य तरमीभ प्रारम्भ कर दिया था किन्तु उस समय सब जागीर के गांवों का सैटलमेन्ट कराना आवश्यक था। एवं स्टाफ की भी कमी थी अत: सैटलमेन्ट कमिश्नर ने इस कार्यवाही को रोक दी थी।

जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

पर्चे देने का प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक १२-१०-६२ की स्थगित प्रश्न

कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रश्न

९५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों की विभिन्न कक्षाओं में इस साल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला और क्यों ?

(२) क्या सरकार कुछ ऐसे उपायों पर विचार कर रही हैं जिनसे इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी बिना प्रवेश न रह सके ? अगर हां तो वे क्या हैं ?

उत्तर

(१) राजकीय कॉलेजों में इस वर्ष २२०६ छात्र ऐसे थे जिन्होंने प्रवेश चाहा था परन्तु दाखिल नहीं हो सके। इनमें से १६८५ छात्र ऐसे थे जो कि प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी तथा सरकार के नियमों के अनुसार प्रवेश के अयोग्य थे। बाकी के ५२१ छात्रों में से ४२४ ऐसे थे जो उसी कक्षा में फेल हो चुके थे और कॉलेज में प्रवेश के बिना भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में एक्स स्टूडेन्ट के रूप में बैठ सकते हैं और पास होने पर कॉलेज में पुन: प्रवेश ले सकते हैं। उस तरह से केवल ९७ छात्र ऐसे रह जाते हैं जिनका जगह की कमी के कारण दाखला नहीं किया जा सका। यह संख्या न मिलने के बराबर है जब की सब राज्य के कॉलेजों में प्रवेश छात्रों की संख्या १५०० से अधिक है। विभिन्न कॉलेजों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश न मिलने की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) छात्रों के अधिक प्रवेश के लिए अतिरिक्त कक्ष (additional Sections) कक्षाओं में खोले जाते हैं जैसे कि भरतपुर में इस वर्ष दो नये कक्ष (Section) खोले गये, अथवा एक कक्ष (Section) में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाती है उसका अलवर में यह संख्या ६०-७० तक कर ली गई है। इन उपायों के अतिरिक्त नये कॉलेज के खुलने भी समस्या हल हो जाती है।

	No. of Students who applied for admissions.	Admissions refused due to not eligible.	Admissions refused to failure Students.
Govt. Colleges.	1391	971	333
Jaipur University	652	561	91
Jodhpur University	163	153	+
	2206	1635	424

ADMISSIONS REFUSED FOR NOT BEING ELIGIBLIE

S NO. Name of College	P. U. C			T. D. C. Arts			T.D.C Science			T. D. C. Com.			M. A	S.Sc.	M.Com.	Law
	Arts	Sci	Com.	I	II	III	I	II	III	I	II	III				
1. M. S. J. Bharratpur	1	3	—	4	—	—	5	—	—							
2. S. D. Beawar	—	6	—	—	1	—	12	—	—							
3. M. B. Udaipur	—	40	7	45	7	—	20	3	—	10	—	—	57	5	3	30
4. G. C. Bhilwara	—	3	—	1	1	—	1	—	—							
5. G C. Kishangarh	5 Only		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. L. C. Churu	13	13	—	3	—	-	15	--	—	6						
7. S. K. Sikar	1	—	—	—												
8. R. R. Alwar	69	13	13	4	—	—	11	11	—	—						
9. G C. Ajmar	30	14	—	22	7	—	62	10	—	7	2	—	66	113	2	40
10. G.C. Jhalawar	—	1	only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. G.C. Deedwana	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. G.C. Kota (Boys)	—	13	2	—	2	—	6	2	—	3	—	—	15	3	—	25
13. G.C. Chittorgarh																
14. G.C. Bundi	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	163	115	25	142	22	—	131	21	—	26	2	—	138	126	5	95

G. Total 971

ADMISSOIONS REFUSED

S. NO. Name of Colleges	Total Number of students refused admission.	Refused on account of not being eligible	Failare	For want of seats
1. Maharaja College, Jaipur	29	29	—	—
2. Maharaja College, Jaipur	317	300	17	—
3. Rajasthan, College, Jaipur	288	218	70	—
4. Commerce College, Jaipur	18	14	4	—
	652	561	91	
JODHPUR UNIVERSITI				
1. Jaswant College, Jodhpur	163	153	—	10
2. Kamla Nehru Girls College, Jodhpur	—	—	—	—
3 S. M. K. College, Jodhpur	Awaited			
	163	153	—	10

FAILURE

S.N.	Name of College	P.U.C. Arts	P.U.C. Sc.	P.U.C. Comm.	T.D.C Arts I	T.D.C Arts II	T.D.C Arts III	SCIENCE I	SCIENCE II	SCIENCE III	Commerce & I	Commerce & II	Commerce & III	M.A	Sc.	M.Com.	Law.
1.	M.S.J. Bharatpur																
2	S.D. Beawar	1	—	—	—	—	—	5									
3.	M.P, Udaipur	4	2	3	5	—	—	5	—	5	—	—	—	57	5	3	30
4.	G.C. Bhilwara	1	13	8													
5.	G C. Kishangarh																
6.	L.C. Churu																
7.	S.K. Sikar	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.	R.R. Alwar	27	—	19	22	13	13	—	6								
9.	G.C. Ajmer	8	12	—	3	—	—	9	8	—	—	—	—	8	13		5
10.	G.C. Jhalawar																
11.	G.C. Deedwana	3	2	3	2	—	—										
12.	G.C. Kota (Boys)	—	1	—	4	—	—	1									
13.	G.C. Chittorgarh																
14.	G C. Bundi	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—				
		44	30	44	36	13	3	26	11	—	5	—	—	65	18	3	35

G. Total 333

परिशिष्ट

STATEMENT SHOWING THE NAME OF THE COLLEGES IN WHICH ADMISSIONS WORK REFUSED ALONG WITH CLASSES.

ADMISSION REFUSED

S. No.	Name of the Colleges	P.U.C. Artm	P.U.O, Science	P.U.C. Com.	T.D.C. Arte I	II	III	Science I	II	III	Commers I	II	III	M.A.	M Sc.	M.com	Law
1.	M.S.J. College Bharatpur.	I	8	—	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	S.D. College, Beawar.	—	6	—	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	M.B. College, Udaipur	40	60	15	50	5	15	730	—	—	—	—	—	57	5	3	30
4.	G C. Bhilware	—	16	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	G. College Kishangarh	5 Only															
6	Lobia College, Churu	13	15	—	3	—	—	14	—	—	6	—	—	—	—	—	—
7.	S.K. College, Siker	2	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	R.R. College, Alwar.	95	13	34	39	17	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	45
9.	Govt. College Ajmer	38	26	—	25	7	—	71	18	—	7	2	—	74	224	2	J D.
10.	G.C. Jhalawar		1 Only														
11.	G.C, Deedwana	7	4	4	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
12	G.C. Kota (Boys)	—	13	2	—	2	—	6	2	—	7	—	—	15	23	—	25
13.	G C. Chittorgarh	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	G.C. Bundi	4	2	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		06	164	70	173	54	15	136	33	3	23	2	--	146	252	5	100

G. Total 1391

- दिनांक १३-१०-६२ का स्थगित प्रश्न

आदिवासी भील कॉलोनी, पंचायत समिति, मनोहरथाना का शिलान्यास

१०५. (१६१ आई. ए. एम.) **श्री भैरव लाल 'कालाबादल'** एम० एल० ए० (अकलेरा) : क्या विकास मंत्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) आदिवासी भील कॉलोनी, पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ का शिलान्यास किस तारीख को किया गया था?

(२) उपरोक्त कॉलोनी के निर्माण हेतु कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी ? उसमें से कितनी खर्च हो चुकी है ?

(३) अब तक इस कॉलोनी का कितना काम हो चुका है, और कितना शेष रहा ?

उत्तर

(१) दिनांक २४-५-६१ को।

(२) ५०,५००) रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से ६,२५०) रु० ग्राम कनवा के ५० भीलों को प्रत्येक को १२५) रु० के हिसाब से सामान खरीदने हेतु दिये गये।

(३) अभी तक कॉलोनी का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि भूमि के एलॉटमेंट में कठिनाई आगई है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २३ अक्तूबर, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२२५५	१०	अब	कब
२२६७	अन्तिम से ८	आभयन्ता	अभियन्ता
२२७१	४	नरेश	नरेशों
२३०८	२	जसा	जैसा
२३२५	अंतिमलाइनमें	अ्यक्ष	अध्यक्ष
२३४४	२	उसमें	उस
२३४६	६	मौझूद	मौजूद
२३४८	१६	हो रहा है	हो रही है
२३६२	१७	रिचार	विचार
२३७५	१७	इच्छक	इच्छुक
२४००	४	hundered	hundred
२४००	७	मीनल	पीनल
२४०६	१५	चेअरमैन	चैयरमैन
२४०६	१७	वेखा गया	देखा गया
२४१३	१६	यहत्व	महत्व
२४१७	अंतिम से ५	स्वीकर	स्वीकार
२४२०	,, ८	समक्ष	सक्षम
२४२१	१	आसीद	आंसीन्द
२४२१	१३	the of	of the
२४२१	१६	cherge	charge
२४२१	अन्तिम से ७	"magistrte'	'magistrate'
२४४१	अन्तिम	टक्स	टैक्स
२४५६	८	इन्डिपेन्डेन्ट	इन्डिपेन्डेन्ट
२४६६	३	LAST	LIST